राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३८ वां दिवस [संख्या २५

गुरूवार, दिनांक १९ अप्रेल, १९६२

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, स्वायत शासन, पंचायत, विद्युत्, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण एवं गृह-विभाग)

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५५

श्री मानसिंह महार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जल कष्ट निवारण योजना, सांचोर

२५७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सांचोर में प्रति वर्ष चैत्र मास में एक प्रसिद्ध पशु मेला भरता है और उसमें सांचोरी नस्ल के पशुओं की भारी तादाद में बिक्री होती है ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त पशु मेले में पानी की बड़ी भारी कमी रहती है ? अगर हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही मेले में पानी की समस्या को हल करने के लिये कुछ धन-राशि स्वीकृत करने या बोरिंग करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

Page No 2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) मेले में पानी की कमी रहती है। इसके लिए पंचायत समिति प्रबन्ध करती है। राज्य सरकार से सांचोर में बोरिंग के लिए हाल ही में २०,०००) रु० मन्जूर किया गया है।

प्रश्न संख्या २५८

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५६

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६०

श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६१

श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा वसूल किये जाने वाला यात्री-कर

२६२. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका, नाथद्वारा ने दिनांक २७।८।६१ को एक प्रस्ताव पारित कर नाथद्वारा में यात्री-कर को रद्द करने के लिये सरकार को लिखा था ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिका के इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं देकर यात्री-कर को चालू रखने को नगरपालिका को लिखा ?

(ग) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने पुनः राजस्थान सरकार को लिखा कि इससे कोई आय नगरपालिका को नहीं होती तथा जन मत विरुद्ध होता है, अतः कर समाप्त किया जाय ?

(घ) क्या यह सही है कि उसका प्रत्युत्तर अभी तक नहीं दिया गया है ? इस प्रकार नगरपालिका के प्रस्ताव पर भी यात्री-कर क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है ?

(ङ) क्या इस तरह की अन्य नगरपालिकाएं भी हैं, जिनका कोई कर उनके प्रस्ताव पर समाप्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी हैं तथा उनमें बहुमत किस पार्टी का है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां, इस प्रकार का प्रस्ताव निर्देशक, स्थानीय निकाय के यहां प्राप्त हुआ था।

(ख) जी नहीं। चूंकि नगरपालिका ने राजस्थान अधिनियम, १९५९ की धारा ११२ में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था, अतः इस अभाव की पूर्ति हेतु निर्देशक, स्थानीय निकाय ने वापिस भिजवा दिया था।

Page No 3

(श्री दौलतराम सारण)

(ग) इसके पश्चात् नगरपालिका से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव या प्रत्युत्तर पुनः प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सरकार ने किसी भी नगरपालिका द्वारा ऐसे कर को जो आय का महत्वपूर्ण साधन न हो समाप्त करने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर प्रेषित करने पर अस्वीकार नहीं किया है। किसी दल के बहुमत अथवा अल्प मत का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला: यह जो निर्देशक, स्थानीय निकाय ने वापिस भेजा था, जो खामियां रहीं उनको पूरा करने हेतु, वह किस तारीख को भेजा था और इसमें क्या खामियां थीं जो बताई गईं ?

श्री दौलतराम सारण : खामियां तो वर्णित कर चुका हूँ। २३।१०।६१ को लिखा गया था।

श्री विजयसिंह झाला : क्या नगरपालिका ने तारीख १.६.६१ को वापिस जवाब नहीं दिया, नम्बर ५०१ ता. १.६.६१ के पत्र से ?

श्री दौलतराम सारण : २३।१०।६१ का लिखा बतलाता हूँ। इसलिये १.६.६१ तो पहले पड़ता है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : २३.१०.६१ ?

नेक्स्ट।

पंचायत समिति, नैनवा (बूंदी)

२६३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति का कार्यालय देई में रखने हेतु बहुमत से सरपंचों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि देई इस क्षेत्र के मध्य में होने से जनता को पूर्ण सुविधा है ?

(३) क्या यह सही है कि देई ब्लॉक का कार्यालय रखने का आदेश सरकार द्वारा २५-१-६२ को दिया जा चुका है ?

(४) क्या यह सही है कि इस आज्ञा के बाद ही पुनः संयुक्त आयुक्त विकास द्वारा पुनः उसे रोक दिया गया है ?

(५) यदि हां, तो सरकार की आज्ञा के बाद ऐसा क्यों किया गया ?

(६) क्या सरकार अपने आदेश को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) देई क्षेत्र के मध्य में है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवेदन आने से।

(६) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि देई में कार्यालय खोलने से पहले इसके आदेश नैनवा के लिए सरकार द्वारा दिए गए थे और १६-६-५६ को पंचायत समिति का हैडक्वार्टर नैनवा में रहा ?

श्री दिनेशराय डांगी : पहले मुख्य कार्यालय नैनवा के लिए किया गया था, किन्तु बाद में प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके अनुसार देई में कर दिया गया था। इसके विरूद्ध कुछ प्रतिवेदन आये थे। इसलिए इस पर पुनः विचार के लिए निर्णय किया गया और पंचायत समिति का प्रस्ताव आने पर इस प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसके बाद फिर दुबारा यह आदेश दिए गए थे कि हैड-क्वार्टर नैनवा में होना चाहिए। तो देई में न होकर नैनवा में रहे।

पंचायत मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हां, गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फिर इसके बाद में तिबारा यह आदेश हुआ कि वहां मत करवा लिए जायें और उसका हैडक्वार्टर देई में रखा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फिर बाद में इसका हैडक्वार्टर देई में ही रहा। विकास आयुक्त द्वारा उसको फिर से रोक दिया ! और नैनवा में ले जाने के लिए बहुमत से सरपंचों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और वहां पर दो पार्टियां हैं और कांग्रेस के दो जिम्मेदार नेता दिलचस्पी ले रहे हैं इसके कारण जनता में बहुत भारी रोष छाया हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कांग्रेस के नेताओं का तो पता नहीं, पर दो पार्टियां हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में जिले में विषमता फैली हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार मतों के अनुसार, पंचों के बहुमत के अनुसार जो निश्चय हो जाता है वही रहना चाहिए। अगर दूसरे जिलों में भी ऐसी समस्या आयेगी तो वहां से भी बदला जा सकेगा, जैसा कि अभी आदेश दिया गया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न यह है कि जब मत ले लिए गए और बहुमत चाहता है कि हैडक्वार्टर बदल दिया जाये, उसके बाद में भी हैडक्वार्टर क्यों नहीं बदला जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुमत कभी कुछ चाहता है और कभी कुछ चाहता है। बहुमत चाहता है कि कभी इधर कर दो और कभी उधर कर दो।

श्री विजयसिंह झाला : क्या दो बार बहुमत हुआ था इस पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो दफा हो चुका।

श्री विजयसिंह झाला : दो बार मत हो चुका तो फिर लेने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक दफा देई के लिए और एक दफा नैनवा के लिए हो गया।

श्री विजयसिंह झाला : फिर एक बार ऑलरेडी मत हो गया तो दुबारा मत लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आवश्यकता तो वहां की पंचायत समिति को होती है। वह रोज रोज प्रस्ताव पास कर देती है।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि जब ऑलरेडी एक बार बहुमत हो जाता है तो उसके बाद में दुबारा मत लेने का क्या मूल्य होता है और दुबारा क्या कोई एप्लीकेशन आई थी ? अगर आई थी तो पंचायत समिति के किसी निर्णय को जो एक बार हो चुका है उसको किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो सवाल अलग है और परिवर्तन का फैसला तो गवर्नमेन्ट ही करेगी। लेकिन पंचायत समिति को बार बार प्रस्ताव पास करने से कौन रोक सकता है ?

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन ऑलरेडी जिसका निर्णय हो गया है उसके ऊपर दुबारा निर्णय अवैधानिक नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर पंचायत समिति चार बार फैसला करे तो उसको प्रस्ताव पास करने से कौन रोके ?

श्री विजयसिंह झाला : किस धारा के अन्तर्गत एक ही चीज के ऊपर पुनः विचार किया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें धारा की आवश्यकता नहीं है। पंचायत समिति अपने फैसले पर पुनः मत लेना चाहे तो ऐसा कर सकती है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या पंचायत समिति पर ऐसा करने के लिए कोई कानून लागू नहीं होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फैसला तो फाइनल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि पंचायत समिति कभी कार्यालय को इधर करती है कभी उधर करती है तो गवर्नमेन्ट अपना डिविज़न लेगी।

श्री विजयसिंह झाला : इस तरह एक एक प्रस्ताव को पुनः बदला जा सकता है तो क्या लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती ?

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : यह पंचायत की तहसील कौन से स्थान पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसील नैनवा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : और एस.डी. एम. कहां है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एस. डी. एम. का तो पता नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि मत लेने के लिए पंचों को कमरे में बन्द किया गया और सारे हथकण्डे काम में लिये

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

गए ? इस तरह सरकार कहां तक बराबर निर्णय बदलती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से प्राप्त हुई बिजली

२६४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) Will the Minister for Power be pleased to state :—

(1) What percentage of electricity generated under Bhakra Nangal Project are we receiving in Rajasthan ?

(2) Is the full quota of electricity allotted to Rajasthan being received ?

(3) If not, what are the reasons of short supply of electricity to Rajasthan and what steps are being taken by the authorities to get supply in time ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) Full quota of our share at present.

(2) Yes.

(3) Question does not arise.

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is the total amount which you have to get ? Can you give figures in kilo watt ?

श्री हरिश्चन्द्र : At present we are getting between 5,000 to 6,000.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I want exact figures.

श्री हरिश्चन्द्र : 5,620.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

डिस्पेन्सरी, नापासर का स्थानान्तरण

२६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी, नापासर को गांव नोरंगदेसर में स्थानान्तरित करने हेतु पंचायत समिति, बीकानेर ने अपनी बैठक (माह अक्टूबर) में प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार के पास भेज दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांव के निवासियों ने डिस्पेन्सरी के लिये दी जाने वाली बिल्डिंग में मेडिकल विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक परिवर्तन व परिवर्धन करा दिये हैं ? अगर हां, तो उक्त डिस्पेन्सरी को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

उप-मन्त्रिणी स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां ।

(२) यह भी सही है कि पचायत समिति, बीकानेर ने नोरंगदेसर में एक मन्दिर के भवन में डिस्पेन्सरी खोलने का विरोध किया है । इसलिये अभी तक इस भवन में आवश्यक परिवर्तन व परिवर्धन नहीं हो सका है । यह तय होने पर कि डिस्पेन्सरी किस बिल्डिंग में खोली जाय, डिस्पेन्सरी को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

श्री भीमसेन : गांववालों ने जो बिल्डिंग एक कमरे की बनाई है उसके लिए

(श्री भीमसेन)

मेडिकल डिपार्टमेन्ट को सूचना दे दी है कि कमरा तैयार है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, इस तरह की कोई सूचना नहीं है ! पंचायत समिति को लिखा गया है कि वह आखिरी फैसला लिख कर भेजे ताकि जल्दी से जल्दी यह काम किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

कृषि-निपुणों की नियुक्ति

२६६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितनी जिला परिषदों में कृषि-निपुण घोषित किये जा चुके हैं तथा कितनी जिला परिषदों में अभी तक घोषित किये जाने शेष हैं ?

(ख) कृषि-निपुण घोषित किये जाने में देर क्यों हुई है ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर २ जिला परिषदों में कृषि-निपुण घोषित किये गये हैं । शेष २४ में घोषित करना बाकी है ।

(ख) समय पर नियमानुसार कृषि प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई । आशा है कि इस रबी और आगामी फसल के आधार पर जिला परिषदें कृषि-निपुण घोषित कर सकेंगी ।

श्री विजयसिंह झाला : वह दो जिले कौन कौन से हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : नागोर व चुरू ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार की कोई नीति थी कि इतने समय में कृषि-निपुण नियुक्त कर लिये जायेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : इन नियमों के अनुसार फसल प्रतियोगिता के आधार पर जिला परिषद् द्वारा एक समिति का गठन पंचायत समितियों के लिए कृषि-निपुण नियुक्त किये जाने के लिए किया था, क्योंकि उनको फसल के अनुसार सारी चीजों को देखना पड़ता है ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ?

श्री अध्यक्ष : फसल प्रतियोगिता के आधार पर कृषि-निपुण किये जाते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सब जिलों में फसल प्रतियोगिता का प्रावधान हो चुका है ?

श्री दिनेशराय डांगी : Pardon.

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि फसल प्रतियोगिता के आधार पर कृषि निपुण नियुक्त किये जाते हैं तो क्या सब जिलों में अमुक समय के पहले कृषि-निपुण नियुक्त हो जायेंगे, इस प्रकार की कोई नीति थी ? अगर थी तो उसमें देरी क्यों हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : क्योंकि आवे-

(श्री दिनेशराय डांगी)

दन–पत्र नियमानुसार नहीं भरे गये थे और फसल के समय जो आवेदन-पत्र हैं वह नहीं भरे जा सके, इसलिए देरी हो गई।

श्री विजयसिंह झाला : नियमानुसार आवेदन–पत्र नहीं भरे गये, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मार्च, १६६१ के अन्दर इनके नियम बन कर पास हुए थे और मार्च के बाद में दो जिलों ने ही यह प्रतियोगिता करके अपने कृषि-निपुण नियुक्त करने की घोषणा कर दी। दूसरे जिलों ने यह कार्यवाही नहीं की या तो वह अब रबी की फसल में करेंगे या आगे खरीफ में करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ऐसे भी जिले हैं कि जहां फसल प्रतियोगिता हो चुकी थी और वहां कृषि-निपुण नियुक्त नहीं किये जा सके ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कह सकता।

श्री विजयसिंह झाला : क्या उदयपुर में कृषि-निपुण नियुक्त हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसका अलग सवाल पूछते तो मैं जवाब दे देता।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि जब कि फसल प्रतियोगिता के आधार पर कृषि-निपुण नियुक्त किये जाते हैं तो जिस जिले में प्रतियोगिता हो चुकी है तो उसमें क्यों नहीं कृषि-निपुण नियुक्त किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उदयपुर का अलग पूछते तो मैं जानकारी करके बता देता।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल तो साधारण था कि किस किस जिले में कृषि-निपुण नियुक्त नहीं किये गये और किस किस जिले में किये गये और जहां यह आधार लिया गया कि फसल प्रतियोगिता के आधार पर होते हैं तो जहां फसल प्रतियोगिता हो चुकी वहां क्यों नहीं नियुक्त किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल का जवाब तो दे दिया है। पर दो जिलों में नियमों के अनुसार कृषि-निपुणों की घोषणा हो गई और किसी जगह कार्यवाही नहीं हुई, वहां घोषणा नहीं हुई।

श्री विजयसिंह झाला : आप एक निश्चित अवधि बता दें कि सब जिलों में कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सरकार अवधि मुकर्रर नहीं कर सकती है। वे सारी स्टेच्यूटरी बोडीज हैं। कानून के अन्तर्गत उनको अधिकार है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वे ही नियुक्त करती हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जहां पर फसल प्रतियोगिता हो गई वहां पर भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें कोई दखल नहीं करती है। यह उनके दायरे की चीज है। यह जिम्मेवारी जिला परिषद् की है। छोटे छोटे मामलों में सरकार इन्टरफियर करे तो ये संस्थाएं नहीं चल सकेंगी।

जल-प्रदाय योजना

२६७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, करमीसर एवं पंचायत समिति, बीकानेर ने मूंदड़ों की तलाई से गांव करमीसर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पंचायत अपने हिस्से का खर्चा देने को तैयार है ? अगर हां, तो उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : ग्राम पंचायत, करमीसर ने इस ग्राम की जल योजना के सम्बन्ध में अक्टूबर, १९६१ में एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, बीकानेर के पास पत्र भेजा था । किन्तु यह अपूर्ण था अतएव नियमानुकूल पूर्ति को वापिस भेज दिया गया । तदुपरान्त इस क्रम में पंचायत समिति ने कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया है ।

श्री भीमसेन : क्या अपूर्णता थी ?

श्री दौलतराम सारण : प्रस्ताव में यह कहीं नहीं था कि ५ पर्सेन्ट जो उनका हिस्सा होता है वह देने को तैयार थे या नहीं और आगे उसके लिए मेन्टीनेन्स फन्ड्स वे रेज कर सकेंगे या नहीं; यह विवरण नहीं था ।

श्री भीमसेन : ये दोनों के लिए तैयार हैं । क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : आप भिजवायेंगे तो जरूर विचार करेंगे ।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या सरकार ने पंचायतों से मालूम किया है कि ५ पर्सेन्ट देने को तैयार हैं कि नहीं ? नहीं, तो क्यों ?

एक माननीय सदस्य : दुबारा फरमाइये ?

श्री मोहरसिंह : क्या सरकार ने पंचायतों से मालूम किया है कि वे ५ पर्सेन्ट देने को तैयार हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री दौलतराम सारण: पंचायत ने एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को लिखा था । परन्तु पंचायत का जो प्रस्ताव था वह अपूर्ण था इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री मोहरसिंह : क्या सरकार ने पंचायत को सूचना दी कि आपका प्रस्ताव अपूर्ण है ?

श्री अध्यक्ष : क्या आपने जिला परिषद् को लिखा है कि आपका प्रस्ताव ठीक तरह से नहीं आया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद ।

नगरपालिका बूंदी

२६८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी नगरपालिका का चुनाव होना बाकी है ?

(२) क्या यह सही है कि करीब १॥

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वर्ष से नगरपालिका का कार्य एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं ?

(३) क्या सरकार का शीघ्र चुनाव करवाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्रिणी स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं। बूंदी शहर में एक जनरल हॉस्पिटल एवं दूसरा मेटर्निटी हॉस्पिटल है।

(२) इमारती खर्चा नहीं हुआ। अन्य खर्चा अवश्य किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जवाब किसका आ रहा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। प्रशासक केवल १. १०. ६१ से ही वहां कार्य कर रहे हैं।

(३) जी हां। लगभग ७ महीने पश्चात्।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरकार के सामने चुनाव कराने में क्या बाधाएं थीं कि एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करना पड़ा ? उसको डेढ साल हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किये हुए और चुनाव क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : आम चुनावों को देखते हुए चुनाव की तैयारी पूरी नहीं कर सकते थे। अब जल्दी ही करा दिया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : डेढ़ साल से चुनाव नहीं हुआ है। आम चुनाव होने के बाद भी ६ महीने की मियाद और बढाई है और इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है, उसका क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : आम चुनावों में जब एडमिनिस्ट्रेटर तैयारी करता है हो म्युनिसिपल इलेक्शन्स को सेकिण्डरी समझा जाता है। जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर प्रेशर हो तो नेचुरली प्रायोरिटी फिक्स की जाती है और कोशिश की जाती है कि जनरल इलेक्शन्स पोस्टपोन नहीं हों और म्युनिसिपल इलेक्शन्स पोस्टपोन हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आम चुनावों को कितने दिन पहले समीप मानने लगते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जनरल इलेक्शन्स के तीन महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : यह तो प्रश्न डेढ़ साल का है। डेढ़ साल से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त था और डेढ़ साल पहले आम चुनाव भी नहीं थे। तो पहले क्यों नहीं चुनाव कराये गये ?

श्री बरकतुल्लाखां : १-१०-६१ को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : उससे पहले नगरपालिका की अवधि भी तो बढ़ाई गई है।

श्री दौलतराम सारण : जी हां, अवधि भी एक बार बढ़ाई गई है।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिन पहले ?

श्री दौलतराम सारण : २६-५-६१ को मूल अवधि समाप्त होती थी । उसको ३०-६-६१ तक बढ़ाई गई थी।

श्री भैरोंसिंह : २६-५-६१ को मूल अवधि समाप्त होती थी उस समय चुनाव कराये जा सकते थे । उस समय कोई इलेक्शन नहीं था ।

श्री बरकतुल्लाखां : चुनाव कराने के लिये डीलिमिटेशन वगैरह करने पड़ते हैं । नोटिफिकेशन निकालने पड़ते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनाने पड़ते हैं । उनके अन्दर म्युनिसिपैलिटी की तैयारी नहीं होती है तो एक्सटेन्शन देकर कोशिश की जाती है । तब भी अगर नहीं कर पाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसमें सरकार की दूरदर्शिता नहीं है कि २६-५-६१ को मियाद खत्म होने से पहले म्युनिसिपल चुनावों की तैयारी करायें ?

श्री बरकतुल्लाखां : सरकार की दूरदर्शिता का जहां तक ताल्लुक है वह तो आप मुलाहिजा कर सकते हैं । यह एक डिसप्यूटेबल बात है । मैं कहूंगा कि है और आप कहें कि नहीं है । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज को वक्तन फवक्तन कहा जाता है कि इलेक्शन की तैयारी करो । तैयारी नहीं करते हैं तो प्रेस नहीं किया जा सकता है । कोशिश यह की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यह जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको परसुएड किया जाय । प्रेस नहीं किया जा सकता है । जब नहीं कर पाती हैं एक्सटेन्शन के बाद भी तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके वह सारी कार्यवाही की जाती है, जो कि म्युनिसिपैलिटी को करनी चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस नगरपालिका के संबंध में सरकार ने कहा था कि चुनाव के सम्बन्ध में तैयारी करनी है और उसके बावजूद भी म्युनिसिपैलिटी ने तैयारी नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद ।

बूंदी अस्पताल में स्थानाभाव

२६६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बूंदी शहर में जिले भर के लिये एक ही अस्पताल है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में गत १० वर्षों में किसी भी प्रकार का इमारती व अन्य खर्चा नहीं किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में मरीजों को बरंडे में रखना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में अतिरिक्त कमरे बनवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं । बूंदी शहर में एक जनरल हॉस्पिटल एवं दूसरा मेटर्निटी हॉस्पिटल है ।

(२) इमारती खर्चा नहीं हुआ । अन्य खर्चा अवश्य किया गया है ।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(३) जी हां, जब कभी अधिक मरीज हो जाते हैं तब उन्हें बरंडे में रखना पड़ता है।

(४) बूंदी की जनसंख्या को देखते हुए अतिरिक्त कमरे बनवाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपमंत्रिणी यह मंजूर करती हैं कि पंचवर्षीय योजना के बाद उस अस्पताल में किसी प्रकार की लागत नहीं लगी है और वह बूंदी सरकार के जमाने की हालत में चल रहा है जब कि मरीज बरांडे में रहते हैं। उसका भी वे जवाब देती हैं कि आवश्यकता नहीं है, जब कि ५०, ६० मरीज रोज बरांडे में लेटते हैं और वे यह कह कर टाल देती हैं कि आवश्यकता नहीं है। तो मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि वहां की गरीब जनता का भी खयाल रखा जाय और उन मरीजों का भी खयाल रखा जाय जो कि इतने बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें एक सवाल है कि कितनी जनसंख्या पर कितने बैड्स होने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई सरकार ने नियम मुकर्रर कर रखा है कि इतनी आबादी पर इतनी शैयायें होनी चाहिये ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या जहां आबादी के अनुसार कमरे बनाने की जरूरत है वहां सरकार बनाने के लिए तैयार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सीमित साधनों के अनुसार बराबर प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : भीम अस्पताल के लिए बराबर निवेदन कर रहे हैं और सरकार से जवाब मिल रहा है कि फन्ड्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बात बूंदी की हो रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने बताया कि आबादी के अनुसार कमरे बनाये जायेंगे, इसलिए मैं पूछती हूं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आबादी के साथ साथ सीमित साधनों का भी प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि बूंदी की जनता के लिए अधिक बैड्स की आवश्कता नहीं है। तो बूंदी की जनसंख्या कितनी हैं जिससे यह बैड्स पर्याप्त समझती हैं और कितनी जनसंख्या पर कितने बैड्स होने चाहिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आम तौर से २,००० की पोपुलेशन पर एक बैड दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : बूंदी की कितनी जनसंख्या है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ४५,३६१।

श्री भैरोंसिंह : बैड्स कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी आबादी और बढ़ाइये।

[redacted]

श्री भैरोंसिंह : फेमिली प्लान चल चल रहा है।

प्रश्न संख्या २७०

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल बरदिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

डिस्पेन्सरी, लूणकरणसर में डॉक्टर का अभाव

२७१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

कस्बा लूणकरणसर तहसील हैडक्वार्टर में डॉक्टर न होने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, १९६१ में उक्त डिस्पेन्सरी में डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी ?

उपमंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) कस्बा लूणकरणसर में एक एड पोस्ट डिस्पेन्सरी है और एड पोस्ट डिस्पेन्सरी में डॉक्टर की पोस्ट नहीं होती है।

(२) जी नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि एडपोस्ट को डिस्पेन्सरी में कन्वर्ट कर दिया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

स्थगित प्रश्न
(१२-४-१९६२)
सड़क निर्माण

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

अध्यक्ष महोदय, बगैर संख्या का प्रश्न है इसलिये संख्या नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार की उदयपुर डिविजन में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो किस किस जगह तथा अभी तक उनका कितना कितना कार्य हो चुका है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : जो सूची में सड़कें दी हैं क्या उनके प्रोपोज़ल्स जिला परिषद् के प्रमुख से या जिला परिषद् से आये थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिला परिषदों से तो आते ही रहते हैं प्रोपोज़ल्स।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आधार है सड़क बनाने का ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : इसके अन्दर सरकार जिसको जरूरी समझती है, ले लेती है।

श्री विजयसिंह झाला : सरकार कहां जरूरी समझती है और कहां नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो स्कीम योजना में ले ली है वह जरूरी है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि योजना में बहुत सी सड़कें जरूरी थीं उनको नहीं लिया और जो योजना में नहीं थी और जिला परिषद् से जिनके बारे में सिफारिश नहीं आई थी उनको ले लिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप जिसको जरूरी समझें उसको सरकार भी जरूरी समझे, यह आवश्यक नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जिला परिषद् जिसकी सिफारिश करती है उस सड़क को नहीं बनाते हैं तो क्या जिला परिषद् से जो प्रोपोजल्स आते हैं उनके अलावा भी सड़कें बनाते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप अलग से प्रश्न पूछिये किस जिले से प्रोपोजल आया है और किस जिला परिषद् से नहीं आया है ?

श्री विजयसिंह झाला : अलग प्रश्न पूछने का सवाल नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अन्दर यह प्रश्न आ जाता है। आप से यह पूछा गया था कि सड़क बनाने का क्या आधार लिया गया है ? उसके ऊपर आपने बताया कि जिला परिषद् से प्रोपोजल आने पर बनाते हैं। तो इस पर प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की सड़कें बनी हैं जिनके बारे में जिला परिषद् की सिफारिश नहीं आई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिला परिषद् से जो सिफारिशें आती हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल उन्हीं सड़कों को बनाया जाय जिनके बारे में जिला परिषद् की सिफारिश आती है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : वह कौनसा स्टेन्डर्ड है जिससे बताया जाता है कि अमुक सड़क बनाई जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आवागमन के साधन देखे जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स से गाइड होते होंगे।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : बिल्कुल नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : जिला परिषद् से प्रोपोजल आते हैं उन पर ध्यान न देकर मिनिस्टर साहब अपनी व्यक्तिगत बातों पर अधिक ध्यान देते हैं क्या ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यदि ऐसा है तो वोट ऑफ नोकॉन्फीडेन्स ले आइये।

श्री विजयसिंह झाला : इसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप साइन करेंगे उस पर ?

श्री अध्यक्ष : ये तो खुद बनाने में शामिल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यदि किसी मंत्री के विरूद्ध वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स लावें तो आप उस पर साइन कर देंगे क्या ?

श्री बरकतुल्लाखां : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी की जानकारी आपको नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अब्दुलजब्बार : मसला बहुत अच्छा है । अमुक सड़क बननी चाहिये थी इस चीज का डिक्लेरेशन होना चाहिये, पॉलिसी होनी चाहिये कि अमुक सड़क इस कारण से नहीं बन सकती ।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार जब कोई निर्णय लेती है सड़क बनाने के बारे में तो उस समय जिला परिषदों के प्रपोजल्स को भी कंसीडर करती है, पंचायतें और पंचायत समितियें जो प्रपोजल्स जिला परिषदों को भेजती हैं वे भी कंसीडर होते हैं । हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जो काम करते हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं, डिफेन्स की सड़क हो तो डिफेन्सवालों को भी कंसल्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स के लिये होती है तो उससे सम्बन्धित लोगों को भी कंसल्ट करते हैं, लोगों की कन्वीनियेन्स को भी ध्यान में रखते हैं और एम० एल० ए० साहब भी आते हैं तो उनकी बात को भी ध्यान में रखते हैं ।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : कोई बात और छूट गई क्या ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जरूरी समझने, न समझने में मिनिस्टर साहब की स्वेच्छाचारिता काम करती है या दूसरी चीज काम करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जूनियर स्पेशियलिस्ट्स की पदोन्नति

२५४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल [जौहरी बाजार, जयपुर-(श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : Will the Medical and Health Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that Dr. K. N. Sharma, F.R.C.S. and Dr. Majumdar were directly appointed as Junior Specialists in 1958 and 1960 respectively ?

(2) Is it a fact that Dr. Majumdar possesses no Post-Graduate Degree in Medicine ? If so, how has he been appointed as specialist in Medicine ?

(3) —Were no Post-Graduate available in the Department for such appointments ? If they were available, why were they not given a chance ?

(4) Are there any rules for recruitment and promotion framed by the Government or the Department ? If so, please place a copy on the table of the House. If there are none, how recruitments and promotions are made in the Department ?

Page No 16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(5) Were these two posts advertised ? If not, why ?

(6) Was any prior concurrence taken from the P.S.C. as required by Circular No. F.11(1)Apptt.(A)/58 dated 15-3-58 and whether these appointments were made after complying with the directions contained in the said Circular. If not, why action has not been taken against the defaulting officer as required vide circular No. F. 11(1) apptts(D) 58 dated 27-6-60 ? Please place copies of both these Circulars on the Table of the House.

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : (1) Yes, Sir.

(2) He does not possess post-Graduate qualification but he satisfied the qualifications laid down in the requisition sent to R.P.S.C.

(3) In Surgery (Medical side) there were three Post-Graduates available in the Department, while in Medicine also some post graduate were available, but the Department was still short of doctors. Recruitment is made through both channels i. e. by promotion and direct recruitment. While the Doctors already in service get higher posts by promotion. Candidates are appointed temporarily against the vacancies to be filled by direct recruitment till suitable candidates are made available by R. P. S. C. Some of the post-graduate candidates already available in the Department have also been given temporary promotions.

(4) No Sir. The question of placing a copy of the Rules on the table of the House, therefore, does not arise. In the absence of the Rules, candidates are selected by R.P.S.C. for direct recruitment or for promotion through Promotion Committee.

(5) The posts of Junior Specialists (Medicine) were advertised by R.P.S.C. The R.P.S.C. have been requested to advertise the other posts also.

(6) No prior concurrence of R.P.S.C. was necessary under Government instructions. The appointments were made by the Govt. in relaxation of Appointments Departmeut Circular No. F. 11 (1) Apptts (A) 58 dated 15-3-58 in view of acute shortage of doctors. The question of any default by an officer dose not arise. Copies of the Circulars have been placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह अपोइन्टमेन्ट गवर्नमेन्ट ने किया था या डाइरेक्टर ने ?

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेन्ट ने।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने अपने सक्युंलर में जो रिलेक्सेशन किया है वह इसी केस में किया है या जनरल किया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : अलग अलग केसेज में जरूरत होती है तो करती है।

Page No 17

श्री भैरोंसिंह : इसमें अलग किया था या जनरल किया था ?

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक रिले-क्सेशन का ताल्लुक है, गवर्नमेन्ट को इनहेरेन्ट पावर्स हैं, जब चाहे कर सकती है और इसमें किया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं गवर्नमेन्ट के इनहेरेन्ट राइट को क्वेश्चन नहीं करता । आपने इसमें किया है या जनरल करते हैं इमर्जेन्सी के लिये ?

श्री बरकतुल्लाखां : शायद इस केस में किया होगा, मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इस केस में रिलेक्सेशन किया है तो उसका कारण क्या हो सकता है ?

श्री बरकतुल्लाखां : आम तौर से डॉक्टरों की कमी है । जब डॉक्टर्स के अपोइन्टमेन्ट की जरूरत होती है तो पी० एस० सी० को रिक्विजीशन की जाती है । इसमें यह स्टेज भी आई कि पी. एस. सी. के थ्रू नहीं हो पाता है तो डाइरेक्ट निगोसियेशन भी किया जाता है । ४०० डॉक्टरों की कमी है । कोशिश यह की जाती है कि किसी न किसी तरह से यह कमी पूरी की जाय ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की तरफ से पी. एस. सी. को रिक्विजीशन भेजा गया उसके कितने दिनों बाद अपोइमेंट किया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : राजस्थान पब्लिक सरविस कमीशन को रिक्विजीशन भेजते हैं उसमें आम तौर से यह होता है कि विदिन सिक्स मंथ्स रिक्रूटमेन्ट कर दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ६ महीनों तक इन्तजारी की ?

श्री बरकतुल्लाखां : ६ महीनों के लिए सरकार अपोइन्ट कर सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : जब रिक्विजीशन भेजा जाय उसके ६ महीनों के अन्दर रिक्रूटमेन्ट नहीं किया जा सके, पी. एस. सी. द्वारा, तब तो सरकार अपनी इनहेरेन्ट पॉवर्स यूज कर सकती है । आप उनको यह कह सकते थे कि कम थ्रू पी. एस. सी. । लेकिन यह न कह कर आपने डाइरेक्ट रेक्रूटमेन्ट किया है । इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एडवर्टाइजमेंट का सवाल था, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने पब्लिक सरविस कमीशन को दरख्वास्त की थी कि इन क्राइ-टेरियाज़ को रखते हुए वे एडवर्टाइज करें । एक्च्युअली यह दरख्वास्त सन् १६५६ में की थी लेकिन वह एक पोस्ट अभी तक एड-वर्टाइज नहीं हो पाई....

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : एक पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो पाई है, जिसके बारे में सन् ५६ में लिखा था ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय अपोइन्ट-मेंट किया गया उस समय एडवर्टाइजमेंट के तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था, क्या यह सही है ?

Page No 18

श्री बरकतुल्लाखां : एक पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया था। डॉक्टर बुलाये गये, उनमें से सलेक्ट नहीं हुए इसलिए डॉक्टर शर्मा को २८-२-६२ तक की कॉन्करेन्स दी गई। जहां तक दूसरे डॉक्टरों का ताल्लुक था, सन् ५६ में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रिक्विजीशन भेजा था उसको एडवर्टाइज करने के बारे में अब तक कॉरिस्पोन्डेन्स चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कॉरेस्पोन्डेन्स चल रही है? गवर्नमेन्ट जो क्वालिफिकेशन चाहती थी उस क्वालिफिकेशन का नहीं मिला, इसलिए चल रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जिसको नियुक्त किया जाय, उसके बाबत चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्वालिफिकेशन ही ऐसी प्रेस्क्राइब करके भेजी है कि जिसको अपोइन्ट करना चाहते हैं उसके अलावा दूसरा कोई अपोइन्ट नहीं हो सके। इसमें जो आपके पास अवेलेबल हैंड्स थे उनको प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, जो अवेलेबल हैंड्स थे वे ड्यू कोर्स में अपने आप अपोइन्ट होते हैं। इससे उनकी सीनियोरिटी एफेक्ट नहीं होती और ज्यादातर क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ के लोग हैं और टीचिंग स्टाफ के लोग जूनियर स्पेशलिस्ट के स्थान पर आना पसन्द नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह : वे पसन्द करते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन क्या यह सही है कि सरकार के सामने उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन कर रखे हैं इस नियुक्ति के खिलाफ ?

श्री बरकतुल्लाखां : उसके बाद कुछ लोग जूनियर स्पेशियलिस्ट अपोइन्ट हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जब आदमी अवेलेबल थे, उनको प्रमोशन न देकर रिक्रूटमेंट कर दिये दूसरे आदमियों के, यह कैसे ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष,....

श्री भैरोंसिंह : हर मंत्री के लिये माननीय गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं और जवाब देते हैं, यह ठीक नहीं है। इससे तो कोई डिप्टी लीडर हो सदन में, ताकि वह हर प्रश्न पर जवाब दे सकें।

श्री मथुरादास माथुर : यह हमारी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, कोई भी जवाब दे सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का विवरिंग यूज कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर साहब की रूलिंग हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : This is not a good practic.

अध्यक्ष : The Hon'ble Member is concerned with the answer.

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री जवाब न दे सकें तो आप से उत्तर पूछ लें। लेकिन जवाब

Page No 19

(श्री भैरोंसिंह)

देना पड़ेगा मंत्रीजी को । वर्ना यह कहा जायगा कि मंत्रीजी जवाब न दे सके और आपने उनको बचाया ।

श्री अध्यक्ष : आपके डिपार्टमेंटल रूल्स बन गये ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जनरल इश्यू था, केवल मेडिकल डिपार्टमेंटल का ही नहीं है । कोई पोस्ट अगर वेकेन्ट होती है तो पी. एस. सी. को उसका रिक्विजीशन भेजते हैं और रूल्स के हिसाब से छः महीने में इमर्जेन्सी केसेज के अन्दर गवर्नमेंट डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकती है । छः महीने की मियाद या पी. एस. सी. का सलेक्शन पहले हो जाय, विच एवर इज अर्लीयर, उसके बाद अपोइन्टमेंट हो जायगा । ये जनरल रूल्स हैं मेडिकल और एजुकेशनल के कि जब कॉलेज खुलते हैं तो गवर्नमेंट इमर्जेन्सी में अपोइन्टमेंट करती है । वैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करती है। अब सवाल रहता है प्रमोशन का और नये रिक्रूटमेंट का । इसके लिए कोटा फिक्स है कि इतने डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट किये जायेंगे और इतने डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होंगे । इनके लिए अलग अलग कोटा है । डिपार्टमेंट के आदमियों का प्रमोशन डिपार्टमेंटल हैड द्वारा होता है और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट पी. एस. सी. की सेंक्शन से होता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह स्थिति पैदा होती है........

श्री बरकतुल्लाखां : आपने पूछा कि रूल्स बन गये । चूंकि यह आपका सवाल है, मैं इसे इग्नोर न करके जवाब देना चाहता हूं । आठ-नौ महीने से रूल्स पी. एस. सी. के डिस्कशन में पड़े हैं, ड्राफ्ट रूल्स बने हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय गृह मन्त्रीजी ने बताया कि रूल्स के अनुसार कोटा निर्धारित किया गया, तो वे कौन से रूल्स हैं जब कि रूल्स पी. एस. सी. के डिस्कशन में हैं ?

श्री अध्यक्ष : जनरल प्रिन्सिपल के लिए बताया ।

श्री भैरोंसिंह ; I am not putting a general question. I am putting a particular question for a particular department.

कौन से रूल्स गृह मन्त्रीजी बताते हैं ? कौन से रूल्स का हवाला दिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि पी. एस. सी. के रूल्स थे, उनके मातहत गवर्नमेंट ने रिलेक्सेशन के रूल्स बनाये, उनका जिक्र कर रहा हूं । वैसे डिपार्टमेंट अपने अपने रूल्स बनाते हैं प्रमोशन के और पी. एस. सी. के पास एप्रूवल के लिए भेजते हैं । वहां से एप्रूवल आने के बाद वे नोटीफाई हो जाते हैं । आपको मेडिकल डिपार्टमेंट के रूल्स की सूचना दे दी गई है कि वे रूल्स पी. एस. सी. के डिस्कशन के लिए भेज दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो छः महीने के लिए नियुक्ति की थी उसका पी. एस. सी. से कन्फर्मेशन हो गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक क्यों नहीं कराई ?

श्री बरकतुल्लाखां : अभी तक पी.-एस. सी. ने उसको कन्फर्म नहीं किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार........

श्री भैरोंसिंह : : जब पी. एस. सी. की कन्सेन्ट नहीं थी तो छः महीने के बाद तक नियुक्त कैसे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : एक केस में कॉन्करेन्स आ गई है, दूसरे केस के अन्दर सब्जेक्ट टू डिस्कशन और अन्डर कॉरस-पोन्डेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह ठीक है कि आपने छः महीने के लिए नियुक्ति की थी ?

श्री बरकतुल्लाखां : बाद में टाइम बढ़ता गया।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री भैरोंसिंह : यह छः महीने की अवधि में टाइम बढ़ाया गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह आवश्यक है कि छः महीने के लिए अपो-इन्टमेंट दिया जा सकता है, लेकिन पी. एस. सी. की छः महीने के अन्दर सेंक्शन नहीं आये तो सेंक्शन लेना जरूरी है, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉवर है कि वह आगे बढ़ा सकती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : छः महीने के अन्दर पी. एस. सी. से कॉन्करेन्स लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने एक्सटेन्शन किया है और छः महीने की अवधि में नया अपोइन्टमेंट नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है कि क्या उसका एक्सटेन्शन या अपोइन्टमेंट छः महीने में किया है ?

श्री अध्यक्ष : सारी स्थिति सदन के सामने आ गई है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : अब उससे आपको संतोष हो या नहीं हो, यह दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह : पूरे मन्त्रिमण्डल में से कोई मन्त्री जवाब दे दे कि छः महीने की अवधि में अपोइन्टमेंट किया गया है या एक्सटेन्शन किया गया है ? आप पीछे की तरफ नहीं देखें, वे अपनी नॉलेज के अनुसार जवाब दें।

श्री मथुरादास माथुर : नॉलेज का क्या सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : अपोइन्टमेंट कन्टीन्यू कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : इल्लीगल भले ही हो, लेकिन कन्टीन्यू कर रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर छः महीने में पी. एस. सी. रिक्रूटमेंट नहीं कर पाती है, तो उसके बाद कायदा यह है कि उस केस में गवर्नमेंट टाइम एक्सटेन्ड करती है अपोइन्टमेंट का और पी. एस. सी. से कॉन्करेन्स लेती है।

श्री भैरोंसिंह : यह गलत है। इस तरह एक्सटेन्शन करना गलत है। मैं मन्त्री महोदय को बता दूं कि ऐसा नहीं होता है।

श्री मथुरादास माथुर : छः महीने के बाद पी. एस. सी. की कॉन्करेन्स से एक्सटेन्शन हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हो सकता।

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : Concurrence of the P. S. C. for continuing a particular officer in his office.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या एक्सटेन्सन के लिए पर्मीशन ली गई है ?

श्री बरकतुल्लाखां : Sir, the appointment is continued till such time as the P. S. C. finally refuses.

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलेसर (आमेर) में किया गया गबन

२५५. **श्री मानसिंह महार** (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि करीब दो वर्ष पूर्व कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलसेर, तहसील आमेर में एक रामलाल नामक व्यक्ति ने करीब ४,०००) रु० का गबन किया ?

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस को केस दिया गया, व साबित हो गया, लेकिन केस का अभी तक चालान पेश नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। केस रजिस्टर किया जाकर तफतीश की गई और मुल्जिम के खिलाफ काफी सबूत पाया गया। चूंकि मुल्जिम का चालान पेश करने के पूर्व विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अतः उसके प्राप्त होने के बाद चालान प्रस्तुत किया जावेगा।

श्री मानसिंह महार : क्या तारीख बतायेंगे कि कितने दिन पूर्व गबन हुआ और उसका चालान पेश नहीं हुआ ? आप इसका अन्दाज दे दें ?

श्री मथुरादास माथुर : The case was registered on 30-7-60. The S. I. who was investigating it was transferred and in November, 1961 another S. I. took up the investigation. Since it was a matter of accounts and a complicated matter, the assistance of the Intelligence Department was sought. Ultimately, on 7-3-62, the

Page No 22

(श्री मथुरादास माथुर)

Collector, Jaipur, has been approached for sanction, who is the Head of Deptt. in this case,

श्री मानसिंह महार : मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा कहा गया कि सरकार की आज्ञा के लिए भेजा गया है, इसका क्या यह मतलब है कि आम चुनाव के पहले, काफी पहले डिटेक्ट हो गया लेकिन इस पर्टीक्यूलर केस को ठंडा रखा गया, चुनाव तक के लिए ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री मानसिंह महार : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर क्या हो सकता है, आप खुद सोच लें । (हंसी)

श्री मानसिंह महार : दूसरा सवाल पूछ लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूछ लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कौन से कॉम्प्लीकेशन्स थे ?

श्री अध्यक्ष : वह बता दिया, एक ट्रान्सफर हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया और कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो गये ।

श्री मथुरादास माथुर : This was a Complicated matter of accounts of a Co-operative Society. The dispute was that the Secretary was telling that he was not responsible and the President was responsible, and signatures etc. had to be verified. All these things take time. When proof was found we wrote to the Head of Department for sanction.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सिग्नेचर एक्सपर्ट के पास भेजा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : Police Department examined it.

श्री मानसिंह महार : यह गलत है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या....

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ! आप जनरल क्वेश्चन पूछने लगे । माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं, उनको पूछने दीजिये ।

श्री मानसिंह महार : क्या पर्मिशन अब तक जारी है सरकार की ?

श्री मथुरादास माथुर : जारी है, कानून से ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद का फैसला हुआ है । ए. आई. आर. इलाहबाद ५६, उसमें फैसला हुआ है :—

It is not necessary to get permission to file a suit against the Government servants, who are doing act, which is not in their scheduled duties.

श्री अध्यक्ष : यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं है ।

Page No 23

श्री मथुरादास माथुर : यह केस नहीं जानते हैं, यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : गृह मंत्रीजी नहीं जानते हैं इसलिए इजाजत की बात हुई। वह सरपंच हो गया है। मेरा कहना था कि इस आदमी को बचाने के लिए इजाजत ली गई है। जो सस्पेन्शन के लिए लिखा है, इसे सरपंच से सस्पेन्ड किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : The case was against the Secretary of a registered Co-operative Society. As regards suspension, we have absolutely no powers.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : एक मुकदमा, केस रजिस्टर किया जाय १६५५ में, १६५० में और १६६२ तक....

श्री मथुरादास माथुर : The case was registered in the middle of 1960.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : १६६० में केस रजिस्टर हुआ और १६६२ तक चालान पेश नहीं किया। तो क्या इस्तगासे शहादत के के लिए आप अन्दाज लगाते हैं कि दो वर्ष के बाद वहां रहेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : Documentary evidence is there.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डॉक्युमेंट साबित करने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ेगी। Documents will not speak, document are to be proved.

श्री मानसिंहमहार : अध्यक्ष महोदय, केस इतना क्लिअर था कि वे महाशय १६ हजार रुपये जयपुर से कर्जे के रूप में ले आये और वहां लाकर उन्होंने १५ हजार रुपये ही जमा किये और ४ हजार का पता नहीं। इसकी इन्क्वायरी किन्हीं पोलिटिकल रीजन्स से लम्बी की जा रही है। मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी कब तक हो जाएगी ?

श्री मथुरादास माथुर : We have written to the Head of the Department. Whenever he sanctions, we will prosecute the accused.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार : यह तो सरकारी नौकरों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : In deference to the wishes of the Hon'ble Member, we will again issue a reminder today to the Collector to expedite sanction. What more you want ?

श्री राधकृष्ण, गोयल (टोंक) : इस केस में सेंक्शन लेना जरूरी है, इसके लिए क्या लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय ले ली गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : This is done in all cases when sanctions are required, and not in this particular case.

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या पंचायत एक्ट के तहत सेंक्शन लेना जरूरी नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : The Panchayat Act does not apply in this case at all.

श्री मानसिंह महार : आप कानून तो इस सम्बन्ध में बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : Come to my chamber, I will teach you law.

श्री मानसिंह महार : सदन में प्रश्न चैम्बर में आने के लिये नहीं पूछते हैं। प्रश्न तो सदन की जानकारी के लिये पूछते हैं। हम तो सदन की सेवा करते हैं, चैम्बर की नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

नगर विकास ट्रस्ट, जयपुर द्वारा अलॉटमेंट

२५६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**[जौहरी बाजार, जयपुर—श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) वर्तमान समय में जयपुर नगर में प्लॉटस का एलॉटमेंट राज्य सरकार कर रही है या नगर विकास ट्रस्ट ?

(ख) नगर विकास ट्रस्ट में इस समय कितनी अर्जियां एलॉटमेंट के लिये विचाराधीन हैं ?

(ग) १६६१ में कितने एलॉटमेंट किये गये और किस वर्ष की अर्जियों पर ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) दिसम्बर, १६६१ व जनवरी, फरवरी, १६६२ में कितने अलॉटमेंट हुए और किस वर्ष की दर्ख्वास्तों पर ? इसका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलसराम सारण) : (क) वर्तमान समय में प्लॉट्स का एलॉटमेंट इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कर रहा है।

(ख) नगर विकास ट्रस्ट में लगभग २५,००० (पच्चीस हजार) प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(ग) सन् १६६१ में ६७८ एलॉटमेंट किये गये, जिसमें २२० एलॉटमेंट्स तो प्राथमिकता सूची के अनुसार किये गये हैं और शेष उन लोगों को किये गये हैं जो कि उन्हीं बस्तियों के पुराने बासिन्दा हैं। प्राथमिकता सूची के अनुसार जो एलॉटमेंट किये गये हैं वे सन् १६४५ से १६५५ तक के प्रार्थनापत्रों पर किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) दिसम्बर, १६६१ से फरवरी सन् १६६२ तक ३७३ एलॉटमेंट किये गये जो कि सब कच्ची बस्तियों के है और उन्हीं को दिये गये हैं जो कि उन बस्तियों में मुद्दतों से रहते आये हैं। प्लॉटों के इस प्रकार के वितरण में प्राथमिकता का नियम लागू नहीं होता है सिर्फ उन बस्तियों के आपस की प्राथमिकता को ही देखा गया। इसके अलावा ५१ एलॉटमेंट जनवरी, १६६२ में १६५६ तक के प्रार्थनापत्रों पर किये गये।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।

Page No 25

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्राथमिकता के आधार पर केवल उन लोगों को छोड़ दिया जो कच्ची बस्तियों में रहते थे और बाकी को दे दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति है वह मैं आपको निवेदन कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : वास्तव में स्थिति क्या है ? क्या मैंने कहा वह स्थिति सही है कि प्राथमिकता के आधार पर केवल उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जो कच्ची बस्तियों में रहते थे और दूसरों को दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या सही है और क्यासही नहीं है, माननीय सदस्य इस उत्तर से समझ सकते हैं। आप चाहें तो फिर से पढ कर सुना दूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी भाषा को नहीं समझता। आप स्पष्ट समझाइये।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जितनी सूचना है वह मैंने आपको बता दी।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास कोई भी सूचना हो सकती है। मगर मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वह यह है कि प्राथमिकता के आधार पर यह एलोंटमेंट किया गया या नहीं ? इसकी सूचना आप मुझे दें।

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता को ही देखा गया। इसके अलावा ५१ एलोंटमेंट जनवरी, १९६२ में १९५६ तक के प्रार्थना-पत्रों पर किये गये।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो लिस्ट दी है उसमें लिखा हुआ है :—

" List of plots allotted to khadi and other social workers in Bajaj-Nagar by Goverment order in October, 1961" इसमें कौनसी प्राथमिकता दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से पहले गवर्नमेंट ने एलोंटमेंट किया था।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने जो एलोंट-मेंट किये वे प्राथमिकता के आधार पर नहीं किये ?

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट ऑर्डर कर चुकी थी इसलिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उसके मुताबिक कार्य किया।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने प्राथमिकता के आधार पर प्लोंट एलोंट नहीं किये ?

श्री दौलतराम सारण : बाहर वालों को प्रायोरिटी से दिये और लोकल को बिना प्राथमिकता के दिये जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह किस आधार पर है ?

श्री भैरोंसिंह : यह कैसा कायदा है ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डूंगरगढ़ में होता होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इससे यह माना जाए कि गवर्नमेंट की नीति यह है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्रायोरिटी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हिसाब से एलॉटमेंट करे और गवर्नमेंट मन-माने तरीके से एलॉटमेंट करे ?

श्री दौलतराम सारण :-जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यह आपकी समझ का फेर है। मैंने यह निवेदन किया कि १६६१ में ६७८ एलॉटमेंट किये गये, जिसमें २२० एलॉटमेंट तो प्राथमिकता सूची के अनुसार किये गये हैं। कच्ची बस्तियों में अलॉटमेंट हुए हैं वे उन्हीं को दिये गये हैं जो मुद्दतों से वहां पर रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये उनकी प्रायोरिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए प्लॉट्स एलॉट किये वह किस आधार पर किये ?

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट स्पेशल कन्सीड्रेशन करके दे सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या रूल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर ही लागू होते हैं,सरकार पर नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने मुझे एक लम्बी चौड़ी लिस्ट दी है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें बहुत से एलॉटमेंट ऐसे व्यक्तियों को किये गये हैं जो खादी में काम करनेवाले हैं और उनके बच्चों और औरतों के नाम पर किये गये हैं और एक एक आदमी ने अलग अलग अपनी फेमिली के नाम से ८-८ एलॉटमेंट करा लिये। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इस तरह से एलॉटमेंट में छूट देकर दूसरे लोगों के साथ आप अन्याय करते हैं, वह आपका नहीं चलेगा। आप सारी लिस्ट उठा कर देख लें आपको मालूम होगा कि एक एक फेमिली के ८-८ आदमियों को एलॉटमेंट हुआ है। सारा घर खादी का काम करता है ! खादी कौनसी ऐसी चीज है जिससे बाकी के लोगों के हक को मार कर आप उनको प्राथमिकता दें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुलाखां): मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि जहां तक मेरा बस चलेगा, किसी को नाजायज तरीके से एलॉटमेंट नहीं होने दूंगा। मैं यह नहीं कह सकता कि पहले के एलॉटमेंट नाजा-यज थे। मैं यह कहता हूं कि इन चीजों को खोलने से कोई फायदा होनेवाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि दूसरे मंत्रियों ने जो किया वह गलत किया ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने यह कभी नहीं कहा कि पहले जो किया वह गलत किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह:आपने जो सूची दी है उसमें आपने ५८ तक की एप्लिकेशनों पर एलॉट-मेंट होना बताया है। क्या इससे यह समझा जावे कि सन् ५८ से पहले की सभी एप्ली-केशन्स डिस्पोज्ड ऑफ कर दी गई हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् ५१, ५२, ५३ की अर्जियें पड़ी हुई हैं और ५८ में प्रार्थना-पत्र देनेवालों को प्लाट एलॉट कर दिये गये हैं। क्या यह समझा जावे की सन् ५८ तक की सभी एप्लीकेशन्स डिस्पोज ऑफ कर दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसे लोगों को बिना एप्लीकेशन्स के दिया गया ?

श्री भैरोंसिंह : आपने जो लिस्ट दी है उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों ने सन् ५८ में प्रार्थनापत्र दिये उनको जमीन एलॉट कर दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों ने प्रोपर फार्म पर एप्लिकेशन्स दी उनको एलॉटमेंट किये गये।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो लिस्ट दी है उसका तात्पर्य यह निकलता है कि ५८ से पहले की सभी एप्लीकेशन्स डिस्पोज्ड ऑफ हो गई हैं।

श्री दौलतराम सारण : बहुत से लोगों ने प्रोपर फार्म पर प्रार्थनापत्र नहीं दिये। उनको प्रायोरिटी के आधार पर एलॉटमेंट नहीं मिला और जिन्होंने प्रोपर फार्म पर प्रार्थनापत्र दिये उनको एलॉटमेंट मिला।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाए कि जिन लोगों ने सन् ५८ से पहले प्रार्थनापत्र दिये थे उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं रहा है जिसको जमीन एलॉट नहीं हुई हो ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५८.

श्री सम्पतलाल

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

सघन कृषि योजना व लघु सिंचाई योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था

२५६. श्री मोहनराज (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में सघन कृषि योजना में उत्पादन बढ़ाने हेतु नये बेरे खोदने व लघु सिंचाई हेतु तालाब बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा पाली जिले में सघन कृषि योजना सफल बनाने हेतु नये बेरे खोदने व लघु सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। बेरे खोदने के लिए ऋण की व तालाबों के लिये अनुदान देने की व्यवस्था है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता। तृतिय पंचवर्षीय योजना काल में सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत ४८,७३,०००) रुपये की धन राशि दीर्घकालीन ऋण देने हेतु रखी गई है। इसके अतिरिक्त १,६३,०००) रुपये तालाबों के लिये अनुदान के रूप में रखे गये हैं।

श्री मोहनराज : क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, पाली ने १ करोड़ रुपयों की मांग नये बेरे खुदवाने के लिये पाली जिले के लिये पेश की थी ? उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि ४८ लाख रुपया रखा गया है। मांग तो एक करोड़ की क्या दो करोड़ तीन करोड़, की भी कर सकते हैं पर जितना धन उपलब्ध हो उसी हिसाब से दिया जा सकता है, काफी बड़ा अलॉटमेंट है, कुओं के लिये ४८ लाख रख दिये हैं।

श्री मोहनराज : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सघन कृषि योजना के अन्दर जो विशेष धनराशि उपलब्ध होती है उसका लाभ शुरूआत में नहीं मिलेगा तो उस योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने में विलम्ब होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक है, जल्दी मिले तो रिटर्न्स जल्दी आयेंगे। पर कुल कितना रुपया उपलब्ध है और उसमें से पाली जिले को कितना दिया जा सकता है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री उदयलाल वरदिया।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रश्न संख्या २७०

सड़क निर्माण

२७०. **श्री उदयलाल वरदिया** [लसाड़िया-श्री मानसिंह महार (आमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लसाड़िया से कानोड़ रोड का कार्य कब से चालू होकर कब तक समाप्त होने का एग्रीमेंट है ?

(२) उक्त सड़क बनते हुए अब तक कितना समय हुआ है और कितने माइल का टुकड़ा बना है ?

(३) उक्त सड़क पर कितनी धनराशि कितनी अवधि तक खर्च हुई है एवं कब तक यह कार्य समाप्त होने की आशा है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ८ मील का कार्य २३-६-६० से चालू होकर २२-२-६२ तक समाप्त होने का था।

(२) १८ महीने का। ७ मील बना है।

(३) उक्त सड़क पर मार्च १९६२, तक ६६,८६१)रु० खर्च हुआ है। आशा है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कार्य वर्ष पूरे समाप्त हो जायेगा।

श्री मानसिंह महार : तृतीय योजना काल का मतलब तो ५ वर्ष हो गये। तो क्या ५ लग जायेंगे ? कितना लम्बा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १७ मील लम्बा।

श्री मानसिंह महार : ५ मील बनने में ५ वर्ष लग जायेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सभी

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

सड़कों पर पैसा देना पड़ता है, इसलिये जितना इसके हिस्से में आयेगा उतना ही मिल सकेगा।

श्री मानसिंह महार : क्या यह सही है कि सड़क नहीं बनने से बरसात में ढाई महीने तक तहसील का रास्ता बन्द रहता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वर्षा में तो होता ही है।

श्री मानसिंह महार : तहसील में जाने का रास्ता बन्द हो जाता है तो क्या इसको प्रायो रिटी देने का विचार नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विचार है इसीलिये तो बनाई जा रही है।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : अल्पकाल सूचना प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Should I read it, Sir ?

श्री अध्यक्ष : We may take it as read.

[नगर परिषद्, अलवर द्वारा श्रम सहकारी ठेका समिति लि० की रकम का भुगतान रोकना

२(१७)एस.एन.क्यू.) **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्रम सहकारी ठेका समिति लि० अलवर का ४०,०००) रु० से अधिक का पेमेन्ट नगर परिषद्, अलवर ने रोक रखा है ?

(ख) क्या यह सही है कि सहकारी समिति के मंत्री ने नगर परिषद् से पेमेन्ट न मिलने पर आगामी १३ अप्रेल, १९६२ से आमरण अनशन करने का नोटिस दिया है ?

(ग) क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (बी. एण्ड आर.) अलवर ने नगर परिषद् को इस सहकारी समिति का रूपया समिति से एक डिक्लेरेशन लिखवा कर पेमेन्ट कर देने के लिए सिफारिश की है ?

(घ) क्या यह सही है कि सहकारी समिति द्वारा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा सुझाए गए डिक्लेरेशन देने के बाद भी नगर परिषद् ने सहकारी समिति का पेमेन्ट नहीं किया है ?

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि इतनी बड़ी रकम रूक जाने के कारण सहकारी समिति के मजदूर भारी आर्थिक संकट में फंस गए हैं और इस सहकारी समिति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है ?

(च) क्या सरकार नगर परिषद्, अलवर के इस अनुचित रवैये को रोक कर सहकारी समिति का पेमेन्ट कराने के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?]

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) श्रम सहकारी ठेका समिति लि० अलवर का ४०,०००) रू० का कोई पेमेन्ट नगर परिषद्, अलवर को नहीं करना है। मार्च)

(श्री दौलतराम सारण)

१९६२ तक का लगभग १५,०००) रू० का पेमेन्ट करना था जो दिनांक १२.४.६२ को विवादास्पद पट्टियों की कीमत कम करके कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) पेमेन्ट दिनांक १२.४.१९६२ को कर दिया गया है।

(ङ) सहकारी समिति को लगभग १५,०००) रू० का पेमेन्ट दिनांक १२.४.६२ को कर दिया गया है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा यह बात कह दी गई थी कि जो पट्टियां इसमें लगाई गई हैं उसके बारे में सोसाइटी डिक्लेरेशन दे दे तो उसका पेमेन्ट नहीं रोकना चाहिये, फिर भी नगर परिषद् ने उस पेमेन्ट को रोका ?

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषद ने नोटिस दिया था कि ये पट्टियां नहीं लगाई जायं फिर भी मंडावर की पट्टियां लगाई गई। उसके कारण नगर परिषद् ने पेमेन्ट रोका। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सलाह लेने पर कहा था कि डिक्लेरेशन ले लिया जाय फिर पेमेंट कर दिया जाय। इस आधार पर पेमेंट बाद में किया गया लेकिन डिक्लेरेशन कब तक हो और उसमें क्या शर्त हो, यह फिर उनसे पूछा गया और इसी कारण इसमें विलम्ब हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नगर परिषद् ने यह एतराज कौनसी तारीख को किया कि ये पट्टियां नहीं चढाई जायं।

श्री दौलतराम सारण : तारीख मेरे पास नहीं है पर पट्टियां लगाने से पहले एतराज किया।

एक माननीय सदस्य : क्या नगर परिषद् द्वारा नोटिस देने के बाद भी खराब पट्टियां चढाई गई ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

एक माननीय सदस्य : इसके सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटी और सरकार क्या कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो म्युनिसिपैलिटी करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि चुनावों के दौरान में पट्टियां चढाई गई और २ मार्च, १९६२ को नोटिस दिया है कि ये पट्टियां नहीं चढाई जायं ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि यह पेमेंट १५ हजार का बताया जाता है और जब किया गया, जब नगरपरिषद की विशेष बैठक बुलाई गई और विरोधी दल की ओर से जोर दिया गया कि राजनैतिक तौर से उनके साथ ज्यादती की जा रही है ? उस बैठक के बाद और यह प्रश्न रखे जाने के बाद यह पेमेंट किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : अमूमन समिति को छः सात को पेमेंट कर दिया जाता है। यह झगड़ा होने पर देर हुई। पेमेंट १५ हजार का कर दिया है। जब कोई झगड़ा नहीं है। केवल पट्टियों का झगड़ा है, आपस में तय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(६.० म. पू०)

कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ३५-विविध

(पूर्व-क्रम से)

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत हुए :

श्री केदारनाथ (गंगानगर): (4)Demand No. 35, Major Head 71 -Miscellaneous be reduceed by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Govenment to extend the municipal limits of Ganganagar city to meet the need of the fast growing population).

(5) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to accord the same Concessions to the dis-placed persons of Ganganagar District as done in Alwar)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००)रू०की कटौती की जाय(बीकानेर में गंदी बस्तियों के सुधार में आयोजन-व्यय के खर्च करने की उपेक्षा पर प्रकाश डालने के लिए)।

(७) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रू० की कटौती की जाय (बीकानेर नगरपालिका में होनेवाले गबन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये)।

(८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रू० की कटौती की जाय (नगर सामुदायिक योजना के अन्तर्गत बीकानेर में ड्रेनेज की व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए)।

(९) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रू० की कटौती की जाय (आई० ए० एस० व आर० ए० एस० पर्यवीक्षाधीनों के प्रशिक्षणों में बहुत ज्यादा धनराशी के खर्चे पर ध्यान आकर्षित करने के लिये)।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में नगरपालिका के चुनाव कराने में विलम्ब पर बहस करने हेतु) ।

(७८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत कोलायत में जमीन बिक्री में भ्रष्टाचार और गबन पर प्रकाश डालने के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (११) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर, भरतपुर जिलों में बसे पुरुषार्थी किसानों से जमीन की कीमत, क्लेम तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर हुए सरकार से समझौते पर अमल करने में ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

(१२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्राकृतिक आफतों में और कमी प्रभावित क्षेत्रों के लिये सरकारी सहायता देने में सरकारी नीति पर बहस करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (अलवर, भरतपुर जिलों में बसे पुरुषार्थी किसानों को बसावट के समय छप्पर, बीज और बैलों के लिये दिये गये कर्ज की सरकार द्वारा वसूली की नीति गलत है, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (१५) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१— विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगर सुधार न्यास जयपुर द्वारा प्लॉट्स के वितरण में की गई अनियमितताओं पर विचार करने हेतु) ।

(१६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (गन्दी बस्तियों के विकास एवं सुधार में असफलता पर विचार हेतु) ।

(१७) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को अनुदान में पक्षपात पर विचार हेतु) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (१८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१—विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर विचार करने हेतु) ।

(१९) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण नीति पर विचार करने हेतु) ।

(२०) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (बाहर से आये शरणार्थियों की व्यवस्था की नीति पर विचार करने हेतु) ।

(५६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को फ्री फण्ड तथा जन–सहकारी कार्य के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि पर विचार करने हेतु) ।

Page No 33

(श्री भैरोंसिंह)

(५७) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा अंशदान या सहायतार्थ अनुदान देनें की नीति पर विचार करने हेतु ।)

(५८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (विरोधी पार्टियों की नगरपालिकाओं के साथ होने वाले पक्षपात पर विचार करने हेतु ।)

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : (२३) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम फलोवास, तहसील बहरोड़ के अग्नि पीड़ितों की समय पर व उचित राहत न मिलने के विषय पर बहस करने के लिये) ।

(२४) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय Nntaral calamities में जनता को पर्याप्त और अविलंब राहत नहीं मिलती, पर बहस करने हेतु ।)

श्री पोहूमल (अजमेर): (२५) Demand No. 35 Major Head 71—Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the feeding, clothing and Medical charges for relief in hard cases to displaced persons).

(२६) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the grants for construction of houses to displaced persons).

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): (२७) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the irregularities of Dausa Municipal Board).

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): (२६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान में की गई कटौती की रकम को बढ़ाये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(७०) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दी जाने वाली रकम स्वीकृत शुदा थी, पूरी नहीं दी गई, पर बहस करने के लिये) ।

(७१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १)रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ दिये जाने वाला अनुदान बहुत कम है, इसकी बढ़ोत्तरी के लिये) ।

(७२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (फ्री फण्ड की सहायता की मद में सरकार द्वारा की गई कटौती को पुनः बढ़ाई जाय और इसके खर्च की शर्तें सरल की जांय, इस पर बहस करने के लिये ।)

(७३) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को भू-राजस्व के अंशों के बदले दिया जाने वाला अंशदान बढ़ाने हेतु) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (३०) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss the plight of residents of scarcity affected areas and provision for more fund for them).

४८) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss Adhoc-Grant to Panchayat Samitis etc.).

४६) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss the expenditure on Zenana Deorhi).

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (४५) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की अभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने की Discrimination की नीति पर बहस करने हेतु) ।

(५५) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में २०,०००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की Loans व Advances देने के कारण जिनसे वसूल नहीं हो सकते की नीति में परिवर्तन कराने के लिये) ।

(६८) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की पंचायतों को Slum clearance को आवश्यक महत्व न देने व आवश्यक Grants-in-aid न दे सकने की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की पंचायतों को Grants-in-aid देने की नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़): (५१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्राकृतिक आपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों में जरूरत पर सहायता देने में सरकार हमेशा असफल रही है, इस पर विचार करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : (५६)मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले फ्री फण्ड की नीति पर बहस करने हेतु) ।

(६१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (बाढ़, आग आदि से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के बारे में बहस करने हेतु) ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (६२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका क्षेत्र में बेघर नागरिकों को भूमि भवन–निर्माण हेतु देने सम्बन्धी समस्या पर विचार करने हेतु) ।

(६३) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की सरविसेज पैन्शनेबल करार दें, इस बाबत विचार करने हेतु) ।

(७५) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the poor financial

('श्री अब्दुलजब्बार)

condition of Panchayats and failure of Governmant to give promised aid).

(७६) Demand No. 35, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of Government to help flood and fire sufferers of Rajasthan).]

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष, मुझे आपकी इजाजत से मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध पर दो कट मोशन्स रखने का मौका मिला । मेरे दूसरे कट मोशन को रखने के साथ साथ मेरी यह मंशा है कि जो गंगानगर जिले में शरणार्थी बसे हैं उनकी बिगड़ती हुई आर्थिक और सामाजिक हालत पर रोशनी डालूं और यह भी कहूं कि केन्द्रीय सरकार से स्टेट गवर्नमेंट की मार्फत भरतपुर, अलवर में बसे शरणार्थियों को जो कन्सेशन दिये जाते हैं, उन कन्सेशन्स से, उन सुविधाओं से पंजाब से आये हुए शरणार्थी गंगानगर जिले में बसे हुए हैं उनको वंचित रखा गया है, इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है ! जब भी शरणार्थियों का सवाल पैदा होता है, my mind goes back to the days of Partition. और यह भी याद आता है कि उन्होंने देश-प्रेम से, इन्सानियत के नाम से अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत और आबरू को लुटाया और हिन्दुस्तान की जमीन पर पैर रखते ही जितनी सख्त से सख्त कन्डीशन्स उनके सामने रखी गई उनको स्वीकार किया। The House will sympathise those sufferers with me. इस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये ज्यादा सख्त से सख्त शर्तों को मंजूर किया क्लेम्स के संबंध में, जमीनों के अलॉटमेंट के सम्बन्ध में ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे इलाके में जो शरणार्थी आकर बसे वे दो केटेगरीज के हैं, एक तो क्लेमेंट और दूसरे नॉन क्लेमेंट । जो क्लेमेंट थे वे चाहे पाकिस्तान में हजारों एकड़ जमीन छोड़ कर आये, इस इलाके में हमारी सरकार ने उनको ३० एकड़ से ज्यादा अलॉट नहीं किया और वह भी टुकड़ों में किया गया, अलग अलग गांवों में अलॉट किया गया । ऐसे लोगों के लिये मुश्किल था कि सेल्फ कल्टीवेशन करें मगर फिर भी सलेक्टेड कल्टीवेशन न करने के बजाय टीनेन्ट्स ने काश्त करनी शुरू करदी । उसके बाद टीनेन्सी लॉज शुरू हो गये और उनको ११६ उनका प्रोड्यूस मिला । आज हालत यह है कि जब से जमींदारी, विश्वेदारी एक्ट लागू हुआ है, मैं आपकी ओर से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन जमीनों की मिल्कियत का हक इन लॉज के ऑपरेशन्स के तहत समाप्त किया गया । जो अलॉटमेन्ट उनके नाम से थे वह जमीन स्टेट में वेस्ट कर दी गई और उनको १५ एकड़ जमीन पर ५००) रु० का मुआवजा मिला । जो क्लेम उन्होंने पुट-अप किये उनमें से उनको ११७ मिला । १५ एकड़ जमीन पर केवल पांच सौ रुपया । जमींदारों और जागीरदारों को जो जमीन दी टीनेन्सी एक्ट की दफा १८० के अन्तर्गत, जो राइट्स उनके सेफगार्ड किये गये उन जमीनों के बाबत उन शरणार्थियों के वे क्लेम्स सेफगार्ड नहीं किये गये । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी हालत को देखते हुए, उनकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए और उनकी कन्डीशन्स

(श्री केदारनाथ)

ऑफ लिविंग को देखते हुए अधिक से अधिक उनको सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिये ।

दूसरी केटेगरी उनकी जो है वह नॉन-क्लेमेन्ट्स के नाम से कहलाती है। ये वे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान में जमीन नहीं थी। वे लोग यहां पर आये । उनकी फेमिली मेम्बर्स की जो स्ट्रेन्थ थी उस पर उनको जमीन अलॉट हुई, किसी को दस, किसी को पन्द्रह एकड़ और किसी को २० एकड़ भूमि। लेकिन किसी को भी २० एकड़ से अधिक नहीं मिली। जमीन की कीमतें उस वक्त राजा के खजाने में जमा करदी जाती थी । सरकार ने जमीनें किश्तों में बेची थीं। वायदा यह था कि न मकान की कीमत लेंगे, न तकावी वापिस लेंगे और न इन्ट्रेस्ट ही लगेगा। उनके साथ यह भी प्रोमिज़ था कि जमीन नहीं दे सकेंगे तो सरकार जमीन उनको अलॉट करेगी। जब जमीन उनको अलॉट हुई थी, जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनके पास बैल भी नहीं थे । इसलिए जमीन नहीं रख सके और इस शर्त से भी पीछे हट गये। स्थिति यह बनी कि उन शरणार्थियों को न तो इवेक्युइ प्रोपर्टी मिली और न जमीन मिली। वे हर तरह से वंचित रह गये। आज हालत उनकी यह है कि सड़कों पर रोड़ी कूटते मिलेंगे, राजस्थान केनाल में काम करते हुए मिलेंगे! उनकी हालत बहुत बुरी है, बड़ी दयनीय है। दूसरी तरफ उनसे मकानों की किश्तें वसूल की जा रही हैं और कॉस्ट ऑफ लैंड की किश्तों का कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट उनसे वसूल किया जा रहा है, जो कि उन पर लेवी कर दिया गया। इस पर उनके अन्दर बड़ा भारी रिजेन्टमेन्ट फैला। एक आन्दोलन चला। उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने बड़े ही कॉन्स्टीट्यूशनल तरीके से रखा, लॉ अबाइडिंग तरीके से रखा। वे सरकार के सामने गये कि हमारी मांगों को मानो और हमारी ग्रिवेन्सेज को सुनो। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अर्ज करूं कि सन् १९५३ में सारी कॉलोनी में सारे पीजेन्ट्स ने वाटर बोर्ड्स के खिलाफ आन्दोलन चलाया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रोफेसर मल्कानी उसको फेल करने के लिए आये । उन्होंने आश्वासन दिया। The whole peasantry was on the move. मैं समझता हूं कि ऐसा एजीटेशन राजस्थान बनने के बाद किसी इलाके में नहीं हुआ । इस एश्योरेंन्स पर वह आन्दोलन, एजीटेशन समाप्त हुआ और शरणार्थी शामिल उसमें नहीं हुए कि मकानों की किश्तें नहीं ली जावेंगी और भाखरा में उनकी जमीन अलॉट की जायगी, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नहीं लिया जायगा।

दूसरी तरफ एक हालत और पैदा हुई। भरतपुर और अलवर के इलाके में जो रिफ्युजीज़ थे उन पर जमीन की किश्तें लागू की गई और इन्स्टॉलमेन्ट्स लागू किये गये। लेकिन उन्होंने शुरुआत से रेजिस्टेन्स पुट-अप किया और जिसने आहिस्ता आहिस्ता एक एजीटेशन का फॉर्म ले लिया। उस एजीटेशन के कारण उनको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से कन्सेशन मिले। वे यहां तक हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड ४॥ करोड़ की थी अब उसको रिड्यूस करने के बाद वे लोग बतौर कॉस्ट ऑफ लैंड एक करोड़ रुपया अदा करेंगे। और अभी दो तीन दिन पहले सदन

Page No 37

(श्री केदारनाथ)

के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिये थे कि बतौर कस्टोडियन सरकार को देते हैं । उनसे वे डिडक्ट नहीं किये जावेंगे । यह कन्सेशन उन लोगों को मिला है । एक तरफ जो लॉ अबाइडिंग रहे, अपनी मांगों को पूरा कराने के जिन्होंने डेमो-क्रेटिक और कॉन्स्टीट्यूशनल तरीका अपनाया उनको कुछ नहीं मिला और दूसरी तरफ एजीटेशन के मार्फत सरकार के सामने एजीटेशन किया और उनको कन्सेशन मिला । क्या यह उचित है ? क्या मैं यह समझूं कि सरकार इस प्रकार के एजीटेशन्स को चाहती है क्या ? मैं यह समझूं कि सरकार चाहती है कि ऐसी इकोनॉमिक मांगों पर लोग एजीटेशन करें, ताकि उनमें एक फाइटिंग कल्चर पैदा हो और जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है उससे उनको लाभ मिले ? लॉ एबाइडिंग होने के नाते, सही तरीके से जिन्होंने अपनी ग्रिवेन्सेज को पेश किया है उनको कन्सेशन नहीं देंगे, क्या मैं यह मानूं ? आपने जो कन्सेशन नॉनक्लेमेन्ट्स को भरतपुर और अलवर में दिये हैं, उसी प्रकार से कम से कम कन्सेशन गंगानगर में भी बसे हुए उन शरणार्थियों को दीजिये जो कि नॉन-क्लेमेन्ट्स हैं ।

अब उन लोगों को राजस्थान केनाल में अलॉटमेन्ट करने जा रहे हैं । जागीरदार और रिएक्सनेरीज फोर्सेज रही हैं राजस्थान में, जो हमेशा आपकी खिलाफत करती रही हैं, जिन्होंने देश के पार्टिशन के समय भी अंग्रेजों और राजाओं का साथ दिया उनको आप आज सेफ गार्ड देते हैं, अमुक अमुक प्रकार की उनको जमीनें देते हैं और जो लोग देश के पार्टीशन के कारण सफरर हुए हैं, जिन्होंने देश के बंटवारे के कारण सेक्रिफाइस किया है, जिनकी सेक्रिफाइस की हिस्ट्री रही है, उनको आप जमीन नहीं देते हैं, यह कह कर कि गिरदावरी नहीं हुई, मालशुमारी नहीं हुई, एन्टरी नहीं हुई इसलिए वे जमीन पाने के हकदार नहीं । मैं समझता हूं जो लोग शरणार्थी हैं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हैं, जिनको इवेक्यु प्रोपर्टी नहीं मिली है, जो अलॉटमेंट की कन्डीशन्स पूरी नहीं कर सके हैं, पाकिस्तान बनने के बाद यहां आये, इलाकों में रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में उनके नाम हैं और यही काफी बड़ा डॉक्युमेंट है उनकी रियायत राजस्थान में होने की, उन शरणार्थियों के लिए इस बिना पर राजस्थान केनाल में एक एरिया रिजर्व करिये, जिससे आप अपनी वफादारी निभा सकें, जिन्होंने देश की एकता के लिए कुर्बानियां की, राजस्थान की एकता के लिए कुर्बानियां कीं । इन सब के साथ साथ जो क्लेमेन्ट्स रिफ्युजीज हैं उनको भी सेफगार्ड दीजिए, जिनको सिलिंग से नीचे जमीन अलॉट की गई हैं । उन पर इस रिवोल्युशनरी एक्ट के द्वारा बड़ा भारी असर पड़ा है । १५, २० एकड़ से अधिक जमीन जिनके पास नहीं है । इसलिए मैं दर्ख्वास्त पेश करता हूँ और सोचता हूँ कि राजस्थान सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिकमन्ड करेगी और हवाला देगी कि एक तरफ पंजाब की स्टेट है, वहां पर ३० एकड़ जमीन दी गई है, उसी केटेगरी, उसी कम्युनिटी, उसी क्लास को, उसी कन्डीशन में ५०० एकड़ जमीन भी दी गई है और साथ साथ टीनेन्सी एक्ट में छूट दी गई है कि ४० स्टेन्डर्ड एकड़ तक कानून

Page No 38

(श्री केदारनाथ)

लागू नहीं होगा। हमारी स्टेट के अन्दर अलवर और भरतपुर में नॉनक्लेमेन्ट्स रहते हैं। गंगानगर एरिया में उनको फिर शरणार्थी बना देना क्या उचित है ?

दूसरा मेरा कट मोशन है गंगानगर म्युनिसिपल एरिया की लिमिट्स बढाने के बारे में। मैं शहर के बारे में अर्ज कर रहा हूं जिसकी इम्पोर्टेन्स आज भी बहुत है। वह हमारे राजस्थान की ग्रेनरी है, वैलफेयर सिटी है। इस शहर को जिन लोगों ने बसाया था और जिन्होंने इसका प्लान बनाया था उनके दिमाग में यह चीज थी कि ३० हजार से ज्यादा आबादी नहीं होगी। लेकिन आज इस शहर की आबादी ६५ हजार है। अगर सारे जिले की रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जहां २६ परसेन्ट आबादी अन्य जगहों पर बढी हैं वहां इस शहर में ६४ फी सदी आबादी में इन्क्रीज हुई है। इसके भी स्पेशल कारण हैं, कन्डीशन्स हैं अलग अलग हालात हैं। इस शहर की अगर अन्दरूनी हालत को देखा जाय तो ८, १० हजार शरणार्थी ऐसे हैं जो केम्प्सि में रहते हैं, बुरी हालत में रहते हैं। जिनके रहने के लिये साफ सुथरे घर नहीं हैं, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। शहर में इतना कन्जेश्शन है कि प्लॉट नहीं, जहां पर स्कूल खोली जा सके, खेलने के लिये, ग्राउन्ड बनाने के लिये जगह नहीं और न हरिजनों और गरीब लोगों को बसाने के लिये ही जमीन है। आप म्युनिसिपल लिमिट्स को एक्सटेन्ड नहीं करते। इससे न तो डवेलपमेन्ट हो सकता है, न खुशहाली हो सकती है और न सेनीटरी और तन्दुरुस्ती की ही अच्छी हालत बन सकती है। सरकार के सामने जो दिक्त है वह एक्विजीशन की है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्विजीशन के प्रोपोजल्स आपके सामने हैं, म्युनिसिपल लिमिट को एक्सटेन्ड करने के प्रोपोजल्स आपके सामने आये हुए हैं। आप उनको क्यों नहीं मन्जूर करते ? हम आप से कोई एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की मांग नहीं करते, न एग्रीकल्चर कॉलेज जी स्थापना के लिये ही आग्रह करते हैं, इसमें तो आपको पैसे देने पडेंगे। हम जो जमीन चाहते हैं वह हमारी जमीन हैं और हमारे काम के लिये ही मांगते हैं। हम कभी भी डेवलपमेन्ट के लिए पैसे की मांग करते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपका इलाका अमीर इलाका है। अगर जमीन एक्वायर कर देंगे तो जमीन लोगों को रहने के लिये मिल जायगी, उस जमीन के बीच में हम ड्रेनेज सिस्टम भी चालू कर देंगे। आज वहां हालत यह है कि लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता, सड़कें नहीं हैं, ग्राउन्ड्स नहीं बना सकते। मैं समझता हूं यह शहर, बोर्डर के पास होने से भी इसका अपना महत्व है। यह शहर स्ट्रेटेजीटिक इम्पोर्टेन्स का भी है, बोर्डर के पास है। इसलिये इसके म्युनिसिपल लिमिट को एक्सटेन्ड न करना, मैं समझता हूं हम लोगों के साथ अन्याय है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि शीघ्र ही म्युनिसिपल लिमिट्स को एक्सटेन्ड करने के और जमीन एक्वायर करने के जो प्रोपोजल्स हैं उनको आप स्वीकार करेंगे। इस शहर की अपनी अहमियत है। यहां के म्युनिसिपल इलेक्शन इसकी लिमिट्स को एक्सटेन्ड करने के बाद ही हो सकते हैं। इसमें क्यों ढिलाई हो रही है ? वह इसलिए

(श्री केदारनाथ)

कि यहां पर कुछ डिग्निटरीज हैं जो अहमियत रखते हैं, उनकी जमीन आती है। अगर एक्सटेन्ड की जाय तो, एक्वायर की जाय तो उनके बाग-बगीचे हैं, कल कारखाने हैं इसलिये सरकार को मुआवजा देने में दिक्कत आयगी। गत दो साल से वे लोग ऑफिसरों से मिल मिल कर किसी न किसी तरीके से उन पेपर्स को फाइल के अन्दर दबवाते आ रहे हैं। मेरे खयाल से इस चीज में ढिलाई करना, लापरवाही करना सीर्फ दो चार सेठों को ऑब्लाइज करना शहर की सारी जनता के साथ अन्याय करना, उसकी खूबसुरती को खराब करना, उस शहर के साथ और उसमें रहनेवालों के साथ अन्याय होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह स्लम क्लियरेन्स के सम्बन्ध में है। जो इस बारे में राज्य सरकार असफल रही है उसके सम्बन्ध में है। हमने अपनी योजना के अन्तर्गत सबसे बड़ा उसूल यह माना है कि जो लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं और ऐसी हालत में बसे हुए हैं उनकी हालत को ठीक करना हमारी योजना का लक्ष्य है। इस बुनियाद को आधार लेकर हमारी केन्द्रीय सरकार ने स्लम क्लीयरेन्स की योजना बनायी है और राज्य सरकार को भी उसके लिये सहायता दी है। उसमें कुछ आधार भी निर्धारित किये हैं कि किसी प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाय। मुझे कहना है कि कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है वह सबसे पहले उस व्यक्ति के लिये है जो पिछड़ा हुआ है, गन्दी बस्तियों में रहता है। उसको हर काम में सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जानी चाहिये।

हमने दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी की हैं। पहली योजना में जो रुपया इसके लिए निर्धारित था उसमें से सिर्फ दस प्रतिशत ही हम लगा पाये हैं और इसी तरह से दूसरी योजना का भी रुपया हम खर्च नहीं कर पाये। ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां के शहरों में गन्दी बस्तियां या गन्दे मोहल्ले हैं ही नहीं। विधान सभा में भी गन्दी बस्तियों को ठीक करने के लिए जब कहा जाता है तो यह उत्तर मिलता है कि इसके लिये हमारे पास पैसे और साधन नहीं हैं। हमारे शहरों में इस प्रकार की बस्तियां हैं जिनकी तरफ हमने कभी खयाल ही नहीं किया। दूसरी योजना में जो इसके लिए रुपया रखा गया था उसमें से २५ प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं हो पाया है और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में २९ करोड़ रुपया रखा गया है उसको भी हम खर्च कर पायेंगे या नहीं, यह प्रश्न सोचने का है। इतनी गन्दी बस्तियां सारे शहरों में होते हुए भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय खुद जब कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों में जाकर किस प्रकार से बस्तियों का निर्माण किया जाय, इस बारे में सलाह देते हैं, अपना समय उसमें लगाते हैं वहां राजस्थान के मंत्री लोग इन गन्दी बस्तियों के बारे में सोचते तक नहीं। जयपुर में और दूसरे स्थानों पर इस प्रकार की गन्दी बस्तियां हैं, पैसा आपके पास में है लेकिन लगा नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

पाते हैं। बीकानेर के बारे में कई दफा दर्ख्वास्त की गई हरिजनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिये योजना में प्रायोरिटी दी जाय, इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायं। बीकानेर में पहले ऐसा तरीका था कि पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वे कोने में रहते थे जहां कूड़ा-कचरा डाला जाता था, वहां पर वे कच्चे मकान बना कर रहते थे। आज जब देश आजाद हुआ, उन लोगों ने भी सोचा अब हमारे दिन भी इन गन्दी जगहों पर रहने से छूटेंगे, लेकिन उनके लिए जो भी पैसा केन्द्र से हमें मिलता है उसको आज हमारी सरकार खर्च नहीं कर पाती-सोशियल वर्क्स के द्वारा आप उस पैसे को खर्च करवाइये। हम वहां के कलेक्टर से मिल कर बड़ी मुश्किल से उनको उन गन्दी बस्तियों में ले गये और ३५ हजार रुपये समाज-कल्याण विभाग से उन्होंने दिलवाये और उससे पचास मकान बनवाये। एक एक मकान ७५०) रुपये में बना। बाद में मालूम हुआ कि पाबूजी की बारी के पास कोऑपरेटिव बेसिस पर अपने श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा उन्होंने अपने मकान बनाये। दूसरी बस्ती के लोगों ने भी कोऑपरेटिव के लिये दर्ख्वास्तें दी पर उन्हें कहा गया कि पहले गवर्नमेंट से इजाजत ले लें उसके बाद आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर किया जायगा। गवर्नमेंट ने उस पर खयाल नहीं किया। अगर उसको मान्य कर ली जाती तो पाबूजी की बारी के पास जिस प्रकार से गन्दी बस्ती ठीक हुई, गोगा गेट के पास भी नायकों की बस्ती है, नत्थूसर दरवाजे के पास भी गन्दा रास्ता पड़ा हुआ है। आपके पास पैसा है स्लम क्लियरेन्स योजना का उसको उसमें जरूर लगाइये। अगर आपने वहां पैसा लगाया तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा।

तीसरी योजना के अन्तर्गत जो स्लम क्लियरेन्स के लिए पैसा रखा गया वह आप इन गन्दी बस्तियों और गन्दे नालों को ठीक करने में लगायेंगे। हमारे यहां के लिये आठ लाख रुपये रखे गये हैं। मेरा उसके लिये निवेदन है कि हमारे यहां पर ड्रेनेज था वह बहुत पुराना था वह टूट गया है। इसके लिये आप स्लम क्लियरेन्स से पैसा दे सकते हैं और सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत भी पैसा लगा सकते हैं। आप बीकानेर जाकर जांच कर लीजिये। बीकानेर शहर के बीच में जो नाला बहता है ड्रेनेज वहां का कई जगहों से टूट गया है उसकी आपके पास रिपोर्ट है, आपके पास पैसा होते हुए भी आप उसको ठीक नहीं करवाते फिर दूसरा कौनसा रास्ता या तरीका है जिससे आप उसके लिये ठीक व्यवस्था कर सकते हैं ?

अभी बीकानेर में स्टेशन के पास में रेलवे-वालों ने क्या किया कि उस नाले में एक दिवाल बांध दी। आपका गन्दा पानी एक तरफ बाहर शहर में दस फीट गहरा जमा हो गया। अब चूंकि जो हिस्सा रेलवेवालों के एरिया में आता था उसमें नाले को जाने से तो उन्होंने रोक दिया तो अब शहर में वह गन्दा बढ़ गया। यह अभी दस दिन पहले का किस्सा है।

तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि केन्द्रीय सरकार का रेलवे विभाग तो ऐसा कर रहा है, आप खयाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप से पुरजोर प्रार्थना है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि बीकानेर शहर में ड्रेनेज के लिये आपके पास सामुदायिक विकास का पैसा है, स्लम क्लीयरेन्स के अन्तर्गत पैसा है, उस पैसे का उपयोग करके गन्दी नालियों को ठीक कराएं। साधन आपके पास सब मौजूद हैं। सुझाव मैंने रखे हैं। आशा है आप इन पर खयाल करेंगे। म्यूनिसिपैलिटी का सवाल नहीं है। आपका ही प्रशासक वहां है। दस–बारह महीने के लिये आपने और कह दिया है। अब आपका प्रशासन, आपके पास साधन, फिर भी अगर काम नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दो कटौती प्रस्ताव इसमें मेरे आ गये हैं।

तीसरा, बीकानेर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर होनेवाले गबन और घोटालों के सम्बन्ध में मेरा कट मोशन है। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ इसकी जांच के लिए। आखिर सार्वजनिक संस्था है और इसमें जनता का एक एक पैसा जो आता है उसकी कीमत होनी चाहिये। बीकानेर में ५२ से लेकर आज तक की जो ऑडिट रिपोर्टें हैं, उनमें ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने, लोकल सेल्फ ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने चार्ज लगाये हैं कि इतने इतने नम्बर के बिल डबल आ गये, ये ये गबन हैं और घोटाले हैं। ५८ में जांच करके ५९ में रिपोर्ट दी। अनेकों ने पैसे ले लिये। किसी ने दो हजार, किसी ने चार हजार, किसी ने पांच हजार, दस, दस हजार और बीस, बीस हजार रुपये आपके अफसर और प्रेसीडेन्ट के नाम पर दर्ज हैं। उन्होंने उनका हिसाब नहीं दिया, न बिल दिये, न वाउचर दिये। आखिर उनको नोटिस दिये गये और जब नोटिस देते हैं तो वे भाग कर आपके पास आ जाते हैं, मिनिस्टर साहब के पास आ जाते हैं। आप कहते हैं अपने आदमी हैं इसलिए माफ कर दो। आखिर जनता के लाखों रुपयों का यह मामला है और आप माफ कर दें। दूसरी तरफ टैक्स लगाने की बात कहते हैं, इधर लोग बीच में पैसा खाते चले जावें। ऑडिटर लोगों पर बड़े भारी सीरियस चार्ज लगायें और खुद एडमिनिस्ट्रेटर मनमानी करें। उनके खिलाफ भी चार्ज हैं और आप एन्क्वायरी नहीं करें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटियों की क्या स्थिति है। दूसरी म्युनिसिपैलिटियों के बारे में और भीलवाड़ा आदि के बारे में सुना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं आप कोई जुडीशियल एन्क्वायरी या डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी बैठा दीजिये। आपको मालूम हो जायगा कि बीकानेर में सन् ५२ के बाद से आज दिन तक कैसे घोटाले हुए हैं और किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया गया है। कोई सीमा नहीं है। आपको कोई इसका विचार नहीं है। कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि लोगों को मनमाने तरीकों से पेमेन्ट कर दिये गये हैं। मुझे आशा है आप इस सम्बन्ध में ध्यान देंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं कानून और नियमों के अन्तर्गत काम चलना चाहिये। अगर नहीं किया जाए तो वहां भी आपको देखना होगा। आप इन पर भी निगरानी रखें। कार अलाउन्स इनको मिलता है। हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटर ने चार हजार रुपया कार अलाउन्स के नाम से ले लिया और कार उनके पास है नहीं। तो आखिर ऐसी चीजें कैसे आप होने दे रहे हैं ? जनता के पैसे का दुरुपयोग कोई भी करनेवाला हो, कहीं पर भी करनेवाले

(श्री मुरलीधर व्यास)

हों, आपको जानकारी रखनी चाहिये और बीकानेर म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत अगर इनको आप गलतियां समझते हैं तो इतनी ज्यादा ऐसी गलतियां आपको बहुत मिलेंगी। मैंने तो एक दो उदाहरण के रूप में रखी हैं।

इस म्युनिसिपैलिटी का स्टोर है, भैंसावाड़ा है। ऑडिटरों की रिपोर्ट में आया है कि चालीस भैंसें इसमें हैं पर तीन रुपये के कंडे बिके इसमें। दूसरी रिपोर्ट यह आती है कि १८ तारीख को एक भैंसा मर जाता है और दाना एक एक भैंसे के हिसाब से मिलता है और इस १८ तारीख को मरे हुए भैंसे के नाम से भी आगे की तारीखों में दाना दिया जाना दर्ज है। तो इस तरह वह मरा हुआ भैंसा भी दाना खाता रहता है और इसके बाद में २२ दिन के बाद वह मरा हुआ भैंसा वापिस आ जाता है। नया खरीद कर लाया हुआ दिखा दिया जाता है। नया खरीद कर आता है, पर भैंसा वही आता है और फिर दाना चलता रहता है। तो जहां मरा हुआ भैंसा दाना खाता रहे, फिर जीवित हो जावे ये सारी छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। इनकी जांच करानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त और अर्ज करना चाहता हूं। आपने इन सब बातों की कोई जांच नहीं कराई, चलने दिया इससे जनता वहां की असन्तुष्ट हो गई। जनता की इस असन्तोष की स्थिति में आप टैक्स लगाते हैं, हाउस टैक्स वहां लगाने की योजना करते हैं। इसलिये इसकी खिलाफत करते हैं। म्युनिसिपैलिटी में गबन, घोटाले, जबर्दस्त हो गये हैं, होते जा रहे हैं, आप इनकी तरफ नहीं देखते और हाउस टैक्स लादने जा रहे हैं।

यह हाउस टैक्स ऐसा है कि आप लोगों की कुछ सेवा भी करें। पर बीकानेर शहर में आपकी म्युनिसिपैलिटी के जरिये शहर की कोई सफाई या मकान की सफाई वगैरह नहीं होती। मकानों के भीतर बाहर की सफाई करना, लेट्रिन की सफाई करना....

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

दो मिनट में खत्म करता हूं।

म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है इसलिये दूसरी जगह हाउस टैक्स है। आप कोई काम ऐसा नहीं करते हैं; न भीतर की, न बाहर की। इसके लिये लोगों को अलग से हरिजन रखने पड़ते हैं। आप वहां भीतर की लेन्स की सफाई नहीं करते। मकान वालों को इसके लिये २०)रु० २५)रु० देना ही पड़ता है अलग से इस काम के लिए हरिजनों को। अब इसके साथ आप भी हाउस टैक्स लेंगे। तो आखिर हाउस टैक्स का मतलब क्या है? इसके बारे में जो भी कानून बना दिया गया हो, दूसरे प्रांतों की बात कही जाती हो, पर आपके यहां दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में लेट्रीन की सफाई व मकानों की सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां पर जब इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे तो टैक्स की बात समझ में आ सकती है। फिर इस व्यवस्था में वहां म्युनिसिपैलिटी में जनता के चुने हुए नुमाइन्दे भी नहीं हैं। तो जब तक जनता के चुने हुए नुमायन्दे नहीं हों तब तक आपको वहां हाउस टैक्स नहीं लगाना चाहिये। जब तक जनता के नुमायन्दे नहीं होंगे ये गबन और घोटाले और ये गड़-

(श्री मुरलीधर व्यास)

बढ़ियां बन्द नहीं होंगी, या फिर आप इनको रोक लें ।

प्रशासक को रखते हैं पर तब भी ऐसी बातें चलती हैं । ऐसी हालत में अगर आपके प्रशासन में यह हाउस टैक्स आप लगाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर की जनता इसका पूरा विरोध करेगी, आन्दोलन करेगी और मांग करेगी कि पहले म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव कराये जावें और जनता के प्रतिनिधियों के चुनाव होने के बाद ही इसकी घोषणा करनी चाहिये । यह आपके प्रशासक को आदेश देना चाहिये । इसलिये मैं इस टैक्स का विरोध करता हूँ ।

और दूसरे मेरे कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं । अध्यक्ष महोदय का आदेश नहीं है समयाभाव के कारण । परन्तु इन दो, तीन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं मन्त्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय जो नये आये हैं, हमेशा यहां नये नये मन्त्री के आने का मौका मिलता है, पर यह बीकानेर का दुर्भाग्य है कि वहां चुनाव नहीं किये जाते हैं, अब दस महीने और बढा दिये । यह तो राजस्थान सरकार के लिये कलंक है कि चुनाव कराने के लिए दस महीने लग गये । अब तीन साल का भी समय आ गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनतन्त्र को सफल बनाने के लिये इस प्रकार का प्रयास नहीं करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं । लेकिन चूंकि दो पर पहले बहस हो चुकी है इसलिये मैं सदन का समय उन पर नहीं लूंगा ।

पहला कटौती प्रस्ताव मेरा प्राकृतिक विपत्ति में और उससे प्रभावित क्षेत्रों के लिये सरकारी सहायता देने में सरकारी नीति पर बहस करने के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस बजट में इस मद में केवल ६४,८००) रुपये प्रोवाइड किये गये हैं, जिसमें पचास हजार रुपये इस बात के लिए खर्च किये जावेंगे कि राजस्थान में कहीं पर आग लग जावे, बाढ आ जावे या और किसी किस्म का प्राकृतिक कोप जनता पर आ जावे तो उससे राजस्थान सरकार ऐसे लोगों को मदद कर सके ।

दो करोड़ के लगभग हमारे राजस्थान की जनसंख्या है और इस जनसंख्या के लिये पचास हजार रुपये इस मदद के लिये प्रोवाइड करना, यह सरकार की इस नीति की ओर दृष्टिपात करता है कि आम जनता के हित के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करना चाहती है और कुछ विशेष प्रीविलेज्ड क्लास के लिए, विशेष ऐसे वर्गों के लिये जो पहले ही बहुत साधन सम्पन्न हैं, उनके लिये सरकार अपने इस बजट में कितना पैसा प्रोवाइड करती है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सर्वविदित है कि जब देहातों में कहीं आग लग जाती है या कहीं बाढ़ आ जाती है तो लोग सरकार को मदद के लिए दर्ख्वास्तें देते हैं और सरकार की ओर से वह कागज़ात चलते रहते हैं, ऊपर तक आते हैं और उसमें महीनों और वर्षों गुजर जाते हैं और किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती । कारण इसका यह है कि बजट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोविजन इतना है कि उसमें कोई मदद वास्तविक तौर से मिल ही नहीं सकती । अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर यही सरकार, जो इस बजट में इतना पैसा रखा है, उसका कारण या तो अर्थाभाव कहेगी या यह कहेगी कि यह सरकार प्राकृतिक कारणों की वजह से आफत जनता पर आ जाय तो उसमें जनता की मदद करने की जिम्मेदारी अपनी नहीं समझती। मैं समझता हूं कि एक वह सरकार जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहे या जो अपना इरादा समाजवाद की ओर जाने का रखे वह सरकार आम आदमियों की प्राकृतिक आफतों में मदद करने के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण रखे तो वह सरकार आम जनता के हित का दृष्टिकोण रखनेवाली सरकार नहीं कही जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि जो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, जिनमें सामान्य नागरिकों को जो इन्सान की जरूरियात की चीजें हैं उनको प्रोवाइड करने की ओर इस सरकार को बढ़ना चाहिये उन प्रिन्सिपल्स की तरफ भी एक भारी दुर्लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। यह इस बजट प्रोविज़न से मालूम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय जो यह बजट प्रोविज़न किया गया है इससे जिन लोगों को मदद मिलेगी वे गरीब लोग हैं, क्योंकि साधन सम्पन्न लोग या सामान्य आदमी भी जिसके पास थोड़ा भी गुजारे के लायक है यदि उसके ऊपर कोई नागाहनी आफत आ जाती है तो ऐसे लोग साधारणतया नैतिकता नहीं समझते कि वे सरकार के सामने मदद की दर्ख्वास्त दें। केवल वही लोग जो बिल्कुल बरबाद हो जाते हैं, सरकार के पास मदद के लिए दर्ख्वास्त देते हैं। उन लोगों के प्रति हमारी सरकार केवल ५० हजार रुपया राजस्थान के ६१ करोड़ रुपये के बजट में से प्रोवाइड कर सकी है! लेकिन दूसरी ओर क्या नीति है सरकार की कि राजस्थान के २६ रजवाड़ों के लिये और २६ राजाओं के लिए ६० लाख रुपया प्रिवीपर्स के रूप में हमारी केन्द्रीय सरकार खर्च करती है, १३ लाख ७० हजार रुपया उनके रिश्तेदारों को पेन्शन देने के लिये हमारी सरकार खर्च कर रही है, ३ लाख ४० हजार रुपया यही सरकार ३ राजाओं को बिजली और पानी का खर्च देने के लिये खर्च कर रही है, २ लाख ८१ हजार रुपया यही सरकार हमारे २६ राजाओं को पुलिस गार्ड देने के ऊपर खर्च कर रही है। हमारे खाली राज्यपाल महोदय के टूर्स पर यह सरकार ५० हजार रु० खर्च कर रही है, उनके एन्टरटेनमेंन्ट के लिये यह सरकार १२ हजार रुपया खर्च कर सकती है, मिनिस्टर्स के टेलीफोन्स के लिये ५० हजार रुपया खर्च कर सकती है और बड़ी बड़ी डिग्निटरीज की कारों के लिये १ लाख ७५ हजार रुपया खर्च कर सकती है तब तो सरकार के सामने अर्थाभाव का सवाल नहीं है। लेकिन आम लोगों के यहां आग लग जाये, वह बरबाद हो जायं या बाढ़ में उनके घर बह जायें या ओले पड़ जायें और इस तरीके से किसी नागाहनी आफतों में बरबाद हो जायें तो हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है और ५० हजार रुपया हमारी सरकार ने इसके अन्दर प्रोवाइड किया है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और विशेष तौर पर ट्रेजरी बैन्चेज़ से कि वे गम्भीरता से विचार करें कि क्या दृष्टिकोण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रख कर बजट प्रोविज़न इतना थोड़ा इतने इम्पॉर्टेन्ट मद में किया है, जब कि खास तौर पर जानते हैं कि राजस्थान में इन गर्मियों के महिनों में जहां हमारी जनता घासफूस के छप्परों में रहती है, क्योंकि उनके आर्थिक साधन अधिक नहीं हैं और आग लगना गर्मियों के महीनों में आम बात हो जाती है और हमारी सरकार देखती रहती है दूर से कि हम क्या करें बजट हैड्स हमारे पास हैं नहीं जिसमें से हम मदद कर सकें। हर साल इस तरह के सवाल सामने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार के इस बजट हैड में ज्यादा मद बढ़ाई जानी चाहिये थी और मैं तो कहूंगा कि इसमें जितना भी बढ़ाना चाहें, हमारी ओर से तो उसमें सरकार को समर्थन मिलेगा। तो यह मौजूदा नीति जो सरकार की है वह जनता के हित की नीति नहीं है। वह इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारी सरकार कुछ प्रिविलेज्ड क्लास को, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, उनके ऐशो आराम, उनकी शानोशौकत को बरकरार रखने के लिए २ करोड़ ८० लाख रुपया, यह मैंने गिनाया, खर्च कर सकती है और राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए ऐसी आफतों में सरकार के पास ५० हजार रुपया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और जब भी मौका हो सप्लीमेन्टरी में इसमें संशोधन लाने का प्रयत्न करेगी।

दूसरे कटौती प्रस्ताव से अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर जिलों में जो शरणार्थी बसे और उनकी तरफ सरकार के कुछ कर्जे बकाया हैं और उनके संबंध में जो सरकार की नीति है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सरकार ने इन्हीं शरणार्थियों के प्रति जो नीति अपनाई उसमें एक बड़ी भारी भेदभाव की नीति रही है। बड़े बड़े लोग जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे चाहे वह सेक्रेटरीज़ हों, चाहे मिनिस्टर्स हों उन्होंने यह नीति अपनाई कि पाकिस्तान से जो लोग साधन सम्पन्न आये, बड़ी बड़ी कोठियां थीं या बड़ी बड़ी जमीनें थीं या बड़े बड़े बैंक बेलेन्सेज़ थे उनको तो मुआवजा मिलेगा और जो जायदाद गरीब लोगों के पास हो सकती थी गांवों में मकान या उनका अनाज या उनके मवेशी या मूवेबल प्रोपर्टी भी, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। एक तो ऐसी नीति तय की ताकि जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनको तो अपनी प्रोपर्टी का पूरा मुआवजा मिल जाये और जो गरीब लोग हैं उनके पास जो पोसीबल प्रोपर्टी हो सकती थी उनका उनको कोई मुआवजा नहीं मिले। यह नीति हमारी केन्द्रीय सरकार ने तय की और यहां पर जब वह शरणार्थी आकर बसे उनको अपना मुआवजा लेने का प्रश्न नहीं उठा, लेकिन जो उनको तकावी के लिए मदद दी गयी, राशन के लिए जो पैसा दिया गया वह कर्ज में लिख लिया गया। छप्पर बनाने के लिए जो पैसा दिया गया वह कर्ज में लिख लिया गया जो पहले पहले बैल खरीदने के लिये कर्जा दिया गया वह कर्जे में लिख लिया गया और इस तरीके से मेक्सिमम ११६२ फैमिली अलवर और भरतपुर जिले में इनीशियेली रीहेबीलीटेशन के लिए दिया गया था। अब उसी सरकार ने जिसने इन लोगों की पीछे छोड़ी हुई प्रोपर्टी चूंकि वह मूवेबल प्रोपर्टी थी उसका क्लेम देने का कोई कानून

Page No 46

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं बनाया और इधर वसूली में इन लोगों से यह मिनिमम इनीशियल एड रीहेबिलिटेशन की दी गई थी इसको पूरा का पूरा वसूल करने का कानून बनाया, ताकि यह लोग जो छोड़ कर आये वह तो बट्टे खाते गया और जो यहां पर मिला है वह सारा वसूल किया जाये। थोड़े बहुत एजीटेशन पर सरकार ने यह तो तसलीम किया कि जो राशन के लिए ३००) रुपया मिला वह तो माफ कर देंगे लेकिन अभी तक जो उनको तकावी के लिए मिला था या इनीशियेली बैलों के लिए मिला था वह तकावी अभी तक उनके नाम लिखी गई है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जब कि वे लोग आये तो हमारे यहां की सरकार ने कुछ ट्रैक्टर्स मंगाये थे सेन्ट्रल ट्रैक्टर स्कीम की तहत और चूंकि बैल मिलते नहीं थे इसलिए ट्रैक्टर्स से कुछ लोगों ने जुताई की और ट्रैक्टर से जुताई हुई या नहीं, कहीं बीज भी डाल सके या नहीं, ऐसे लोगों की जो वहां सब कुछ छोड़ के आये थे उनकी सरकार ने एक दफा जुताई कर दी और ट्रैक्टर से जुताई का पैसा भी इन गरीब शरणार्थियों से जो कि लुट-पिटकर आये थे, जिनकी पुरानी जायदाद का मुआवजा देने का कानून सरकार ने नहीं बनाया, वह ट्रैक्टर की जुताई का पैसा भी उनके नाम लिखा हुआ है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को कुछ पम्प्स दिये गये थे। किर्लोस्कर से पम्प लिये गये थे ५ हॉर्स पावर के। उन पम्पों की मार्केट वेल्यू करीब १,२००) रु० थी और हमारी इस सरकार ने २,८००) रु० फी पम्प में वह पम्प्स खरीदे और वह इन शरणार्थियों से २,८००) रु० फी फैमिली वसूल करना चाहती है। सरकार ने, चूंकि उन शरणार्थियों को पम्प चलाना नहीं आता था तो यह व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था कि सेन्ट्रल वर्कशॉप खोलेंगे और सरकार की ओर से बनायेंगे। किसी का पम्प खराब हो जायगा तो वहां ठीक किया जायगा। आज यह वाकया है, अध्यक्ष महोदय, कि जितने भी पम्प्स थे, करीब २०० पम्प्स अलवर और भरतपुर में लगाये थे, जिनकी ५ लाख की कीमत सरकार द्वारा इन शरणार्थियों के नाम लिखी हुई है, उन पम्प्स ने कोई काम नहीं किया। एक फसल भी काम नहीं किया, बल्कि नतीजा यह हुआ कि वे इतने खराब थे कि जिन कुओं पर पम्प्स लगाये गये थे वहां पर फसल खराब हो गई। पम्प्स खराब होने की वजह से फसल बरबाद हो गई। पूरी रबी की फसल पक नहीं सकी। फसल खराब होने पर सरकार ने एक एन्क्वायरी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि वास्तव में पम्प बहुत गलत खरीदे गये। उनकी मार्केट वेल्यू है वह १,२००) और १,५००) रु० से अधिक नहीं है। शरणार्थियों ने इसका पूरा उपयोग नहीं किया है, वे नहीं कर सके हैं, इसलिए इनसे इनकी कीमत वसूल नहीं की जाय। इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, उन पम्पों की कीमत ५ लाख के लिए आज शरणार्थियों को नोटिस दिये जा रहे हैं। इसके बावजूद उन शरणार्थियों से जो एक दफा ट्रैक्टर से जुताई की उसका शरणार्थियों से पैसा मांगा जा रहा है, उनसे छप्परों का पैसा मांगा जा रहा है। यह तो रवैया इस सरकार का उन शरणार्थियों के प्रति है जो इस आजादी की लड़ाई में लुट-पिट कर आये,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने बाल-बच्चों की कुर्बानी करके आये, दूसरी ओर इसी सरकार की जागीरदारों के प्रति क्या नीति है ? अभी पिछले दिनों इस सदन में २,३९,०००)रु० डिग्गी ठिकाने के नाम बट्टे-खाते लिख दिया गया और चूंकि इस सदन में ट्रेजरी बेन्चेज का बहुमत है इसलिए अपने बहुमत के आधार पर बट्टे खाते लिख दिया गया। बावजूद इसके उसी ठिकाने को लाखों रुपये मुआवजे के सरकार को देने हैं। सरकार मुनासिब नहीं समझती है उस रुपये में से उसको काटना, लेकिन गरीब शरणार्थियों के लिए सरकार की खुद की कमेटी ने कह दिया कि पम्पों की कीमत वसूल करना नाजायज है, जिसको यह सरकार खुद जानती है, लेकिन सरकार जो किसी भी तरीके से लुट-पिट कर आये हैं उन शरणार्थियों को आज नोटिस देने जा रही है, उनकी कुर्कियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो कर्जा उनको दिया गया उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है ? वह कर्जा एक एक शरणार्थी फेमिली को नहीं दिया गया। उनके ग्रुप बनाये गये थे १५, २५ फेमिलीज के उनके ग्रुप लीडर ने वह कर्जा ले लिया। यह नहीं कहा जा सकता कि उस ग्रुप लीडर ने वह कर्जा उन फेमिलीज को दिया भी कि नहीं। इन बातों को आज चैलेन्ज किया जा रहा है कि ग्रुप लीडर्स ने फर्जी दस्तखत करके उन फेमिलीज के नाम पर कर्जा ले लिया। अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा जाता है कि सरकारी ऑफिसरों ने, रीहेबिलिटेशन आफिसर्स ने इस तरह से ग्रुप लीडर्स की साजिश से नाजायज बिल पास करके ५० पर्सेंट तकावी ग्रुप लीडर्स को दी और ५० पर्सेन्ट वे खुद हजम कर गये और उन कर्जों के डॉक्यूमेंटन्स पर जो दस्तखत हैं वे उन फेमेलीज के नहीं हैं। उनको आज १४-१५ वर्ष हो गये हैं, उनके बारे में आज कानूनी कोई हैसियत नहीं है। मगर यह सरकार उस कर्जे को बगैर कानूनी हैसियत होते हुए भी उन परिवारों से वसूल कर रही है। उस रोज, अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने डिग्गी ठिकाने के बारे में जवाब देते हुए यह कहा था कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से यह हमें सुझाव दिया गया कि इसकी कानूनी पोजीशन वसूल करने की नहीं थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां लाखों पुरुषार्थियों का सवाल है, जहां उन गरीबों से इस तरह से रुपये वसूल करने का सवाल है जो उनको कभी मिला भी नहीं है, जो उनके नाम से ऑफिसर उड़ा गये या ग्रुप लीडर्स उड़ा गये, उस रुपये की वसूली की कानूनी हैसियत को तस्दीक कराने के लिए यह सरकार अपने लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करने तक को तैयार नहीं है और अपने डंडे के बल पर वसूल करना चाहती है। यह कैसी नीति इस सरकार की इन लुटे-पिटे लोगों के प्रति है ? उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने इस तरीके से इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति रुख अपनाया और जो आज भी बहुत साधन-सम्पन्न हैं उनके लिए इस तरीके की यह नीति है ! अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर में बसे हुए जो २०,००० पुरुषार्थी परिवार हैं जिनके ऊपर यह २—३ करोड़ का कर्जा इस तरीके सेसरकार द्वारा लिखा हुआ है। वह सारे का सारा रुपया बट्टे खाते लिखे जाने योग्य है। हमारी सरकार जो उनको मुआवजा

Page No 48

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं दे सकी कम से कम इतना उनके प्रति सामाजिक न्याय तो अपनाये । यह तो माने सरकार कि ये लोग दरख्तों पर नहीं रहते थे । अगर बैंक बेलेन्स नहीं था उनके पास, अगर उनके पास इममूवेबल प्रोपर्टी नहीं थी या उनके पास ऐसी प्रोपर्टी नहीं थी जिनके रेकॉर्ड ऑफ राइट्स मिल सकें तो कम से कम वे इन्सान तो थे । वहां पर कुछ कच्चे झोंपड़ों में तो रहते होंगे या वहां काश्त तो करते थे । उनके पास मकान तो निजी होंगे जो वहां छोड़ कर आ गये होंगे । उनके पास बैलों की व्यवस्था तो होगी । तो क्या उनकी हैसियत जो पाकिस्तान में छोड़ कर आ गये तो यह सरकार यह भी नहीं समझती है कि उनकी हैसियत १,१६२) रु० तक की न होगी । उसका मुआवजा कोई नहीं दिया गया और यहां पर उनको इनिशियल रिहेबिलिटेशन के लिए केवल १,०००) रु० के करीब मिला है । तो क्या यह सरकार इसको सामाजिक न्याय नहीं समझती कि ऐसे लुटे-पिटे लोगों को दान के रूप में, मदद के रूप में, इनिशियल रीहेबिलिटेशन के रूप में १,०००) रु० मान लिया जाय और उनसे वसूली नहीं की जाय । जहां पर करोड़ों रुपया जागीरदारों की तरफ छोड़ दिया । इस सदन ने पहले काफी रुपया जो कि पुराना कर्ज बताया जाता है इस नाम पर छोड़ दिया । तो इन लोगों की आज आर्थिक हैसियत भी ऐसी नहीं है और आज उनसे वसूली की जा रही है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके जरिये इस सदन के समक्ष रखता हूं कि सरकार के इन हाथों को रोका जाय और सरकार जो अन्यायपूर्ण नीति बरत रही है उस पर रोक लगा दी जाय इस सदन के द्वारा ताकि जो बेचारे बुरी तरह से दबे हुए हैं, बरबाद हैं उनको अपनी ताकत के बिना पर, अपनी पुलिस फोर्स की ताकत की बिना पर सरकार मजबूर नहीं करे ।

(६.५८ म० पू०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरी तरफ उन वर्गों को जो साधन-सम्पन्न हैं उनको नाजायज रियायत न दे । यही कहूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह इनिशियल हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी । लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट से उनका यह एग्रीमेंट था कि अगर यह वसूल नहीं हो सकेगा तो ५० पर्सेंट राजस्थान सरकार बर्दाश्त करेगी और ५० पर्सेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करेगी । इस मुआहिदे के मुताबिक सरकार डिक्लेयर यह करे कि यह दिक्कत हैं या सरकार उनको रिक्वर करना जायज नहीं समझती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने हिस्से के ५० पर्सेन्ट राइट ऑफ करने के लिए तैयार है, अगर राजस्थान सरकार करने को तैयार हो जाय तो ।

श्री सभापति : श्री सम्पतलाल !

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने तीन कटौती के प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। इन कटौती के प्रस्तावों में दो कटौती के प्रस्ताव इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से संबंधित हैं। सभापति महोदय, यह कहना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी इस जयपुर नगर का यह दुर्भाग्य है कि राजधानी का गौरव प्राप्त होने के बाद भी इस नगर का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उसका विकास नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से जब कोई आंकड़े इस बात के बताये जाते हैं कि जयपुर शहर में अमुक प्रकार के भवन बना कर हमने नगर का इस प्रकार से विकास किया है, उस समय ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को यह ज्ञान नहीं है कि इस जयपुर शहर की सुन्दरता भवनों से नहीं बढाई जा सकती, लेकिन इस नगर में २५,००० परिवार इस प्रकार के भी रहते हैं जो गन्दी बस्तियों और कच्ची बस्तियों में रह कर इस सरकार को कोसते हैं और जयपुर शहर की जो सुन्दरता है उसमें एक प्रकार से वे रोड़ा बने हुए हैं। रोड़ा इस नाते से कि आज उन २५,००० परिवारों के प्रति सरकार का जो सहानुभूतिपूर्ण रुख होना चाहिये वह रुख नहीं रहा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार शायद यह कहेगी कि हमने जयपुर नगर विकास के लिये एक विकास ट्रस्ट बना रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह विकास ट्रस्ट है, लेकिन उससे नगर का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह विकास कर सकता है कांग्रेस का, वह विकास कर सकता है खादी के कार्यकर्ताओं का, वह विकास कर सकता है गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरों का, वह विकास कर सकता है शहर के बड़े बड़े धनीमानियों का। लेकिन उसके द्वारा गरीबों का विकास संभव हो, ऐसी बात मुझे लगती नहीं है। अभी अभी प्रश्नोत्तर काल में माननीय मन्त्रीजी ने बताया था कि राजस्थान के नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा खादी के १०६ कार्यकर्त्ताओं को प्लॉट्स एलोट किये गये हैं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार, एवं नगर का यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बार बार यह चीज कहते आये है कि जितने भी ऐसे प्लॉट्स एलॉट किये जाते हैं वे या तो सोसाइटीज को एलॉट किये जाते हैं या एलॉट किये जाते हैं प्रायोरिटी के तौर पर। मैं नहीं समझता कि खादी के नाम पर काम करनेवाले खादी को खाते हैं, रिबेट को खाते हैं, सरकारी सहयता का दुरुपयोग करते हैं आज उन्हीं खादी के कार्यकर्ताओं को जयपुर शहर की जमीन का दुरुपयोग करने का क्यों अधिकार दिया गया है ? मैं नहीं समझता कि यह कौनसी चीज है, कौनसी विचारधारा है जिसके आधार पर यह नियम के विपरीत आचरण करते हुए १०६ प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिनको ये प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं उनमें भी एक एक परिवार के तीन-तीन या चार-चार आदमी हैं। सरकार इसकी जांच करे और जिन्होंने ये प्लॉट्स एलॉट किये हैं, चाहे वे मन्त्री हों, चाहे वे सेक्रेटरी हों उनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन मैं समझता हूं सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इत्तला मिली है कि जिन्होंने एलॉट किये हैं उन्होंने सरकार के हित में किये हैं। जनरली ये प्लॉट्स जनवरी, ६१ के बाद और जनवरी और फरवरी,

(श्री भैरोंसिंह)

६२ के शुरूआत में एलॉट किये गये हैं और सरकार के आदमियों को चुनाव में जीताने के लिये किये गये हैं। इन प्लॉट्स की संख्या आती है २२०, जो इन दिनों में एलॉट किये गये हैं। केवल इस परपज से एलॉट किये गये हैं कि कांग्रेस को जीताया जाय। जिनको ये प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं उनकी सूची मेरे पास है। उस सूची से पता चलेगा कि किसी की एप्लीकेशन सन् ५५ की है तो किसी की सन ५६ की है और किसी की एप्लीकेसन सन् ६० की है और अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में जाकर यदि देखा जाय तो सन् ५१, ५२ और ५३ की हजारों एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं जिनको प्लॉट्स नहीं दिये गये हैं। तिवारीजी महोदय सरकार के कृपा-पात्र बन कर गरीबों का शोषण करने पर तुले हुए हैं। सरकार उनको परवरिश देकर गरीबों के गले पर छुरी चलाने पर तुली हुई है। मैंने जो लिस्ट दी है उन लोगों को जमीन दे दी गई, लेकिन जो न्याय-संगत थे उनको देने के लिये जमीन बाकी बची नहीं है। जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जो गरीब हैं उनमें से किसी की भी एप्लीकेसन पर विचार नहीं किया गया। केवल ऐसों पर विचार किया गया जो प्रभावशाली हैं, सरकार के कृपा-पात्र हैं या जो कम्पनसेशन दे सकते हैं। जिनके द्वारा किसी भी प्रकार से कम्पनसेशन किया जा सकता है, इलेक्शन के रूप में कम्पनसेशन दिया जा सकता है या बाकी और कामों में कम्पनसेशन दिया जा सकता है ऐसे लोगों को प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं। यह जो सारी लिस्ट मैंने सब्मिट की है उसको स्क्रूटिनाइज कर लें, किसी शिकायत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जितने प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से ५० परसेन्ट ऐसों को एलॉट किये गये हैं जो उन्हें लेने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन दे दिये गये।

इसके अलावा जयपुर नगर विकास मंडल की ओर से कच्ची बस्तियों का मसला लाया जाता है। इन कच्ची बस्तियों को, सुन कर ताज्जुब होगा, नोटिस दिये जाते हैं लैंड एक्वि-जीशन की तहत। बोर्ड की तरफ से स्कीम तैयार होनी चाहिये। वह कम्पलीट नहीं होती उससे पहले ही नोटिस दे दिये जाते हैं। स्कीम पर आचारण करने की आवश्यकता होती है तो लोगों को परेशान किया जाता है। जिन लोगों ने लाखों रुपये लगा कर एग्रील्चर फार्म्स तैयार किये हैं, सूरजपोल और सेवेज फार्म के पास जिन्होंने लाखों रुपये लगा कर एग्रीकल्चर की जमीन तैयार की है, सन् ४४ में मिर्जा-इस्माइल के समय में उनको शहर से निकाल कर ५ मील की दूरी पर आबाद किया था जहां पर पहले खाली टीले थे। वहां पर लोगों ने लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट किया, खेती से कमाई करने लगे तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की उन पर गिद्ध दृष्टि हो गई और वे चाहने लगे कि किसी प्रकार से इनका एक्विजिशन किया जाय और अपने कृपा-पात्रों को प्लॉट्स एलॉट किये जायं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेन्ट करके जमीन सुधारी है उनको गैर आबाद करने की चेष्टा करना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। रामबाबू का आहाता और चौमू हाउस के इन दोनों जागीर-दारों को प्लॉट्स एलॉट कर दिये, रजिस्ट्रेशन कर दिया, चौमू हाउस में मकान बन गये और यू. आई. बी. वाले कहते हैं कि हम उनके

(श्री भैरोंसिंह)

खिलाफ कार्यवाही करेंगे और डेवलपमेन्ट का एग्रीमेन्ट नहीं होगा। दोनों जगहों के मालिकों ने जो लिख कर दिया उसे मंजूर कर लिया। लेकिन मंजूर करने के बाद राजनैतिक आधार पर, जिनके प्लॉट्स हैं सरकार की तरफ से न वहां पर सड़क की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था। न तो सरकार इसकी व्यवस्था करती है और न मालिकों को व्यवस्था करने दी जाती है। अधर झूल में लटका कर सरकार अंकुश रखना चाहती है। इसी तरह का हाल बाकी बस्तियों का है। चाहे वह बस्सी सीतारामपुरा हो, चाहे बड़ोदिया हो, चाहे बगड़िया-भवन के पीछे की बस्ती हो। सरकार ने बगड़िया भवन के पीछे की जमीन को डेवलपमेन्ट कीमत चार्ज कर ली है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीमेन्ट करके अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने बगड़िया भवन के पीछे की आबादी और सिंधी कॉलोनी में डेवलपमेन्ट के नाम पर पैसा लिया है तो वहां पर गटर लाइन नहीं है, नालियां नहीं हैं, पानी बिखरता है, कूड़ा करकट इकट्ठा होने से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन यू. आई. बी. पैसा लेकर भी विकास का काम नहीं करती है। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आज कल इन कच्ची बस्तियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सारी बस्तियों के रहने वालों को नोटिस दिये हैं। उनकी जमीनों के पट्टे कर दिये हैं ताकि वे गैर आबाद हो जायं और १० मील दूर ले जाकर रखें या नारीकेनाके तक ले जावें। मैं सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जयपुर नगर में २५,००० परिवार इस तरह के हैं और एक परिवार में यदि ३ आदमियों की गिनती लगावें तो ७५,००० आदमी होते हैं। ४ लाख की आबादी में से ७५ हजार आदमियों का प्रश्न है। आज यू. आई. बी. गिद्ध दृष्टि से उनकी जमीन को हड़पना चाहती है। उनकी व्यवस्था अगर ठीक तरह से नहीं की तो ये ७५,००० आदमी मरने तक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। आपको विकास करने के लिये एक्विजिशन करना है तो एक्विजिशन करने के बाद जो उस जमीन पर पहले आबाद थे उनको पहले देनी होगी। जो लोग पीढ़ियों से काबिज थे उनको न देकर दूसरों को दे दिये जैसा बस्सी सीतारामपुरा में किया। जिन लोगों के खेत एक्वायर किये थे और जिनको ६ पैसा गज का कम्पनसेशन दिया था उनको प्लॉट्स नहीं दिये और घाट-गेट के लोगों को दे दिये। केवल इसलिये कि कोई मंत्रीजी का ड्राइवर है, कोई उनका खानसामा है तो कोई उनके कपड़े धोनेवाला धोबी है। आपको पहले प्लॉट्स उन लोगों को देने चाहिये जिन लोगों ने जमीन छोड़ी है, जो पहले आबाद थे पहले उनको जमीन देनी पड़ेगी। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों के खिलाफ बेदखल करने की कार्यवाही लैंड एक्विजिशन एक्ट की तहत चल रही है उसको रूकवा दें फिर एक साथ बैठ कर विचार करें कि कौनसी लैंड के लिये एक्विजिशन की कार्यवाही करनी है कहां कहां किन किन लोगों को बसाना है, और इसके साथ ही साथ क्या क्या व्यवस्था करानी है। उसके बाद हम कार्यवाही चालू करें यू. आई. बी. में। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहूंगा, खास तौर से इसलिये कि उनकी सरकार ने उनको मनोनीत किया है, आज जिन लोगों

Page No 52

(श्री भैरोंसिंह)

को मनोनीत किया है, उनके प्रति जनता में विश्वास नहीं है। अभी अभी आम चुनाव हुए। उनमें हमारे जयपुर में कांग्रेस हारी है। ऐसी स्थिति में यह चाहें कि यू. आई. बी. के चेयरमैन रहेंगे, वे कांग्रेस के व्यक्ति रहेंगे, मैं समझता हूं, यह अप्रजातांत्रिक है। अब आप यह कहें कि उनको विकास के काम की जानकारी है इसलिये रखा है तो मैं समझता हूं कि यह टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसके वे किसी प्रकार के एक्सपर्ट नहीं हैं। किसी इन्जीनियर को रखते तो वह एक्सपर्ट हो सकता था। किसी टाउन प्लानर को रखते तो वह एक्सपर्ट हो सकता था। अगर कांग्रेस के व्यक्ति को रखें तो कांग्रेस में रहनेवाले लोगों, कांग्रेस के लोगों को प्लॉट देने की व्यवस्था कर सके, इसमें वह एक्सपर्ट हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों को प्लॉट किस तरह से दिये जायं। लेकिन जयपुर शहर कांग्रेस का नहीं है, इसमें कांग्रेस की हार हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप तिवारीजी के जरिये विकास करना चाहते हैं, वह जयपुर का विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि इस बोर्ड को भंग किया जाय और जिन तिवारीजी ने इस प्रकार प्लॉट्स के बारे में गड़बड़ियां की हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास पड़ी है, जिसमें एक एक व्यक्ति का नाम, प्लॉट का नम्बर और किस किस तारीख को दिये गये हैं, वह सब है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड को रीकॉन्स्टीट्यूट नहीं करें तो इसके चेयरमैन को बर्खास्त करें और सारे मामले की जांच करें।

इसके साथ ही कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पहले उनके जो रीप्रेजेन्टेटिव हैं, वहां जो इनहेबिटेन्ट्स हैं, उनके रीप्रेजेन्टेटिव की ओपीनियन लें कि हम इन बस्तियों को गैरआबाद कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि सीवेज फार्म के लिए जमीन चाहिये। बहरामपुरा में आप ने लोगों को नोटिस दिये हैं, वे इसलिए दिये हैं कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन एरिया के लिए जमीन देना चाहते हैं। इन्डस्ट्री एरिया आप झोटवाड़ा में डिक्लेयर करते हैं तो इन बस्तियों को कौन से इन्डस्ट्री एरिया के लिए लेना चाहते हैं? आप स्टेडियम के लिए चक सुदर्शनपुरा की जमीन लेना चाहते हैं, जबकि स्टेडियम के लिए बहुत जमीन है। इसी तरह हाई कोर्ट के लिए बिल्डिंग बनाई है, उसके पास बहुत जमीन है। फिर कौन से सार्वजनिक काम हैं, जिनके लिये आप जमीन लेना चाहते हैं? अगर आपकी मंशा यह है कि आपको अपने लोगों को प्लॉट्स अलॉट करने हैं तब तो बात दूसरी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन बस्तियों के साथ अन्याय नहीं करें। इन कच्ची बस्तियों के बारे में अन्याय होने नहीं दिया जायगा। इन बस्तियों में लोगों के दो दो सौ, ढाई ढाई सौ के मकान हैं। आप बस्ती सीतारामपुरा का नक्शा देखिये और तिवारीजी द्वारा की गई कार्यवाही देखिये। उस बस्ती में जो लोगों के मकान बने हुए हैं, उनके पास उन्होंने रेत के टीले लगा दिये हैं। अगर एक भी बरसात हो गई तो सब मकान बैठ जायेंगे। उनका सामान रखने के लिए कोई टीनशेड बनाने चाहिये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ हुक्म चलता है अलाउद्दीन खिलजी का। मैं कहना चाहता हूँ कि तैमूर के हुक्म से, खिलजी के हुक्म से जयपुर का विकास नहीं हो सकता, चाहे ऐसे हुक्म सरकार करे,

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार करे या यू. आई. बी. करे। मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी योजनाओं की स्क्रूटिनी करने ने के बाद आप इनको इम्प्लीमेन्ट करायें और कच्ची बस्तियों के बारे में मेरा निवेदन है कि जो एक एक कार्य चल रहा है उनको बन्द कराया जाय। और जयपुर के एक्सपर्टस् को लेकर, जयपुर की इन बस्तियों में जो नागरिक रहते हैं उनके रीप्रजेन्टेटिव्ज़ को लेकर, किस प्रकार सस्ती कीमतों पर इन लोगों को बसाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में और जयपुर के विकास के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अब म्युनिसिपेलिटीज के बारे में दो मिनट कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में म्युनिसिपल सर्विसेज के इन्टीग्रेशन के बारे में जिक्र आता है। मैं इसके सम्बन्ध में लम्बी--चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि म्युनिसिपिल सर्विसेज के बारे में जब पिछली बार इस हाउस में चर्चा हुई थी तब सब का यही दृष्टिकोण था कि इन सर्विसेज का इन्टीग्रेशन म्युनिसिपेलिटी की एफीशियेन्सी और सिक्योरिटी के नाम पर कर सकते हैं, जिसका प्रभाव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि आज तक म्युनिसिपल सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा मुझे सन् याद नहीं है लेकिन सन् १९५८-५९ में हमारी राज्य सरकार की ओर से एक टीम आंध्र की तरफ गई थी, वह म्युनिसिपेलिटी के वर्क्स और अरबन डीसेन्ट्रलाइजेशन किस प्रकार किया जा सकता है, इसको देखने। यह जो स्टेडी टीम भेजी थी इसने १९५९ के अन्त में या १९६० के बिगिनिंग में अपनी रिपोर्ट भेज दी। मुझे खेद है कि उस रिपोर्ट का पता तो सरकारी सेक्रेटेरियट में होगा, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट पर क्या हुआ, इसका पता नहीं है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, खास तौर पर आज कल सरकार के बीच और नगरपालिकाओं के बीच इन वित्तीय मामलों को लेकर बहुत संघर्ष की स्थिति बनती है। सरकार के फरायज हैं, कौन कौन सी मद में कितना कितना हिस्सा नगरपालिकाओं को देना चाहिये, इसका निर्णय नहीं हो सका है। जो म्युनिसिपेलिटी की आमदनी है, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स, सेल ऑफ लैंड, और जो दूसरे आमदनी के साधन हैं, उन साधनों पर हमारी सरकार किसी न किसी नाम से कब्जा करती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का एन्टरटेनमेन्ट टैक्स पर क्या अधिकार है ? आप इसे किस तरह वसूल कर सकते हैं, इसे किस तरह कन्सोलिडेटेड फण्ड में जमा कर सकते हैं ? आप कहते हैं कि तीन वर्ष का एवरेज निकाल कर म्युनिसिपेलिटीज को देते हैं। लेकिन जो आमदनी बढ़ती है उसका एवरेज नहीं देते। आपने एक दफा एवरेज निकाल कर अमाउन्ट फिक्स कर दिया है, वह कर दिया है। इसके अलावा म्युनिसिपेलिटीज के चेयरमैन, मेम्बर और म्युनिसिपल कमिश्नर कई बार सरकार के कार्यालय में जाकर वहां पर रोज सरकार के सामने नतमस्तक होंगे और उनको ऑब्लाइज करते हुए, जैसे सरकार को अपनी पॉकिट में से पैसा देना है, इस तरह अहसान करके पैसा दिया जायगा। मैं

(श्री भैरोंसिंह)

कहना चाहता हूँ कि फाइनेन्सियल मैटर्स के सेटलमेन्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि एक फाइनेन्सियल एक्सपर्टस् की कमेटी अपोइन्ट करें, जो यह देखे कि सरकार और म्युनिसिपेलिटी के कौन कौन से रिसोर्सेज़ हैं, सरकार ने किन किन रिसोर्सेज़ पर एन्क्रोचमेन्ट कर रखा है और किस किस प्रकार उसको कम्पेन्सेट किया जा सकता है । सरकार से जो ग्रांटइन एड मिलती है, वह कितनी ऑब्लिगेटरी है, कितनी मेन्डेटरी है और कितनी ऐसी होगी जो सरकार की मर्जी पर चलनेवाली है। इसके लिए फाइनेन्सियल एक्सपर्टस की, म्युनिसिपेलिटीज में काम करनेवाले चेयरमैन की और जो लोकल बॉडीज में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी एक कमेटी अपोइन्ट करें । पिछले दिनों में, मुझे याद है, एक कमेटी अपोइन्ट की थी लेकिन वह खटाई में पड़ गई । क्यों पड़ गई, यह मुझे पता नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक कमेटी अपोइन्ट करें ।

अब एक मिनट के अन्दर मैं गन्दी बस्तियों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जो जयपुर में हैं । माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ दिन पहले कह दिया कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में पचास लाख रुपये रखे थे स्लम क्लीयरेन्स के लिए, लेकिन जयपुर की नगर–पालिका ने कन्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए वह रुपया नहीं दिया गया । मैंने म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन से पूछा था । उन्होंने बताया कि नगरपालिका को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली कि ५० लाख रुपया स्लम क्लीयरेन्स के लिए आया है और नगरपालिका कन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वह सहायता दी जा सकती है । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पचास लाख रुपया राजस्थान में जयपुर शहर के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान में स्लम क्लीयरेन्स के लिए आये और वह लेप्स हो जाय, जो गरीबों के ऊपर पैसा खर्च करने वाले थे वह लेप्स हो जाय तो इस प्रकार की इनअफीसियेन्सी की दूसरी चीज नहीं हो सकती ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

केवल कह दिया कि म्युनिसिपेलिटीज ने कन्ट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया । मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं को राइट-वे में एप्रोच किया जाय और जयपुर ही नहीं, बीकानेर, अजमेर और कोई म्युनिसिपेलिटी ऐसी नहीं है जहां गन्दी बस्तियां नहीं हों । उन गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिए सरकार से सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे दूर कर दें । उनको नहीं करते हैं और उन पर खर्च होने वाला ५० लाख रुपया लेप्स हो जाय । तो आज गन्दी बस्तियों के लोग सरकार को कोस रहे हैं और कहते हैं कि भारत सरकार दया करती है, उसने तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्लम क्लीयरेन्स के लिए पैसा दिया है, राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्लम क्लीयरेन्स के लिए धन दिया जाता है लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार उसका उप–योग नहीं करती है । मैं इस समाजवादी सर-कार से निवेदन करना चाहता हूं कि समाज-वाद में गरीबों को एक्सक्लूड कर दिया हो तो आपकी मर्जी की बात है । यदि नहीं किया है तो जो शहरों में रहनेवाले हैं–गन्दी बस्ती में रहनेवाले नागरिक हैं उनके जीवन में

(श्री भैरोंसिंह)

किसी प्रकार का सुधार लाने के लिए इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा धन राशि खर्च कर इन गरीबों को गन्दी कुटियाओं से निकाला जाय जिससे इनका जीवन सुधरे । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मेरे छः कटौती के प्रस्ताव है । उनमें से मैं सबसे पहले इस पर कहूंगा कि नगरपालिकायें, जो विरोधी पार्टियों की हैं, उनके साथ सरकार ने आज दिन तक पक्षपात किया है और राज्य सरकार चाहती है कि कांग्रेस के बजाय जो दूसरी विरोधी पार्टियों की नगरपालिकायें बनी हुई हैं उनमें किसी तरह एडेमिनिस्ट्रेटर का शासन हो और एडमिनिस्ट्रेटर राज्य सरकार से नियुक्त हो जाय या इस प्रकार के कदम उठाये जायं जिससे विरोधी पार्टी हताश होकर नगरपालिकाओं में काम बन्द कर दें । इसके लिए मैंने निवेदन किया था, नाथद्वारा की नगरपालिका के लिए निवेदन किया था कि उसके लिए जो ४३ हजार की स्वीकृत धनराशि थी वह मिल जानी चाहिए थी लेकिन वह नहीं दी गई । मैं कम से कम सात बार मुख्य मंत्रीजी से मिला लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जिस मधुर मुस्कान के साथ में आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के बाद भी वह ४३ हजार की धन राशि ऐसी स्वाहा हो गई कि अब तक नहीं मिली है । मैं स्वायत शासन विभाग के मंत्री महोदय से भी इस बारे में तीन चार बार मिला । मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया और वह ४३ हजार रुपया जिसके लिये सारे कागजातों की पूर्ति भी हो गयी थी नहीं दिये । स्वायत्त शासन विभाग के सचिव के रिमार्कस थे कि आगे कोई कार्यवाही बाकी नहीं रही हैं । वह सारी कार्यवाही बजट का साल समाप्त होने से पहले पूरी हो गई थी । लेकिन वह रुपया जो नाथद्वारे के लिये सेंक्शन हुआ वह वहां पर खर्च नहीं किया, दूसरी जगह के लिये दे दिया गया । वह ऐसी जगह पर दिया गया जहां के लिये वह सेंक्शन नहीं था । मेरा निवेदन यह है कि यह बिल्कुल कानून के खिलाफ है और इस प्रकार आगे नहीं होना चाहिये । जो रुपया जिसके लिये सेंक्शन हो उसी को दिया जाना चाहिये और जो हो गया है इसके लिये जांच हो । इसकी मैं एक मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

दूसरी बात, इसके साथ मैं यह भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि पंचायतों को रकम दी जाती है वह उन्हीं के काम के लिये कम है । पंचायतों को ३६ लाख रुपया और पंचायत समितियों को १३ लाख रुपया सहायतार्थ मिलता है । मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान की पंचायतों के लिये यह रकम बहुत कम है । इसलिये मजबूर होकर पंचायतों को जनता पर कर लागाना पड़ता है । आज विकेन्द्रीकरण का प्रारम्भ ही है और पंचायतों पर सारा खर्चा चलाने का भार डाला गया है और इसके लिये उनको कर लगाना पड़ेगा और जब वे जनता पर कर लगाती हैं तो विकेन्द्रीकरण के प्रति जो आस्था जनता में है

(श्री विजयसिंह झाला)

वह आस्था हट जावेगी, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि लोग चन्दा दे सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं लेकिन पंचायतों को करों के रूप में देने के लिये तैयार नहीं है। यदि पब्लिक पर करों का भार डाला गया तो उनकी विकेन्द्रीकरण के प्रति जो आस्था है वह समाप्त हो जावेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पंचायतों का पैसा दूसरे डिपार्टमेंटों द्वारा खर्च किया जाता है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि पंचायतों की भी रकम खर्च हो वह सब पंचायतों के मार्फत ही खर्च होनी चाहिये, किसी दूसरी एजेन्सी के द्वारा नहीं। और जो भी बीच की एजेन्सी है वह समाप्त कर दी जानी चाहिये ताकि पंचा-यतों की सही आवाज राज्य सरकार तक पहुंच सके। बीच की एजेन्सी के होने से ज्यादा खर्चा होता है और काम ठीक नहीं होता। इसलिये बीच की एजेन्सीज को समाप्त की जावे और जितना पैसा खर्च हो वह बगैर पंचा-यतों की राय के नहीं किया जावे।

मैं नाथद्वारा नगरपालिका का एक उदा-हरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। किस तरह से वहां दूसरी ऐजेन्सी के द्वारा पैसा खर्च किया गया और वह उस जगह पर नहीं करके दूसरी जगह पर किया गया। ४० लाख रुपया नगरपालिका को खर्च करना था। वह दूसरी एजेन्सी द्वारा खर्च कराया गया और वह रुपया दो ऐसे वार्डों में खर्च किया गया जहां से दो कांग्रेसी जीत कर आये थे और जहां पर उस रकम को खर्च करना था वहां नहीं की गई। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरे विभाग जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर रकम को खर्च नहीं करके दूसरी जगह खर्च कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है पंचायत समितियों के सदस्यों की प्रशिक्षण नीति पर विचार करने के लिये। इसके लिये कोई अलग विभाग नहीं है और जो पैसा इसके लिये खर्च होता है वह ठीक ढंग से खर्च नहीं होता है। ये प्रशिक्षण उसी संस्था को दे दिये जाते हैं जो शिक्षा संस्थाएं चलाती हैं जैसे उदयपुर में विद्यापीठ, जनता कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थाएं हैं। वहां पर पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं समझता हूं कि यह ट्रेनिंग उनको १५ दिन तक दी जाती है और १५ दिन में पंचायत समिति के लोगों को जो सीखना चाहिये वे नहीं सीख सकते। इस-लिए मैं समझता हूं कि यह खर्चा जो होता है वह उचित नहीं है। इससे तो अच्छा यह हो कि जब पंचायत समितियों की बैठक हो उसमें एक घंटा इसके लिए रख दिया जावे जिससे जिन जिन सदस्यों को कोई आपत्ति हो या डिफिकल्टी हो उसके लिये विचार करें और कोई भी दूसरा प्रश्न वहां उठे उसके लिये किसी एक्स-पर्ट को वहां पर बुला लिया जावे ताकि वह उस प्रश्न का समाधान वहीं पर करके उनको समझा दे। इससे खर्च की बचत हो सकती है।

इसके अलावा एक मेरा कटौती का प्रस्ताव, पंचायतों को सहायतार्थ जो रकम दी जाती है और वह खर्च की जाती है उसकी नीति के बारे में है। मैं सम-झता हूं कि हम एक बहुत बड़ी योजना

(श्री विजयसिंह झाला)

लेकर चलते हैं । मगर किसी एक जिले की आवश्यकता की पूर्ति हो गई हो, ऐसी बात नहीं है । इसलिए हमें हर जिलेवाइज उसकी आवश्यकताओं की सर्वे करानी चाहिये और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उनके जिले में पैसा खर्च होना चाहिये, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

एक दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है शरणार्थियों के बारे में । मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन लोगों को रहने के लिये जमीन नहीं दी गई है । खास कर मैं नाथद्वारा का उदाहरण देता हूं । इसी प्रकार बारां तहसील का भी यही हाल है । वहां ७ साल से बराबर कागजात इस बात को लेकर चल रहे हैं कि शरणार्थियों को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : जमीन उनको रहने के लिये या खेती के लिये ?

श्री विजयसिंह झाला : आपने अभी तक उनको मकान बनाने के लिये भी जमीन नहीं दी है । पहले आप उनको मकान बनाने के लिये जमीन दें सकें तो अच्छा है और उसके बाद मैं समझता हूं कि आप खेती के लिये जमीन दे तो और भी अच्छा है । पहले आप उनको जमीन रहने के लिए तो दें । वह भी नहीं दी गई है । वह तो उनको मिलनी चाहिये और आज तक कागजात पड़े हुए हैं इसकी जांच होनी चाहिये कि यह देरी क्यों हो रही है ।

एक कटौती का प्रस्ताव मेरा पंचायत समितियों को फ्री फण्ड तथा जन सहकारी कार्य के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि पर विचार करने के लिये है । इसके बारे में मैं समझता हूँ कि इस फण्ड का युटीलाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता । यह पैसा राजनैतिक स्टन्ट पर खर्च होता है । यह पैसा जो कलाकार और आविष्कार करनेवाले लोग हैं उनको नहीं देते हैं । मैं आपको भरतपुर में मांगीलाल का उदाहरण देता हूँ, जिसने कुछ दिन पहले रौकेट का आविष्कार किया था और अब वह रेडियो का आविष्कार करना चाहता है, जो बिना बिजली चल सकता है । मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसको कोई सहायता नही दी गई । जब इतना बड़ा फण्ड इसमें खर्च होता है तो मैं सुझाव दूंगा कि जो कलाकार हैं या जो आविष्कार करनेवाले हैं उनको सहायता देने के लिए एक समिति बनाई जावे, जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी हों । इस समिति को कलाकारों और आविष्कार करनेवालों की लिस्ट सुपुर्द करदी जावे, ताकि वे जिस प्रकार की रकम जिस किसी को देना हो सहायतार्थ, उनको वितरित कर सके । मैं मांगीलाल से मिला था । उसने कहा कि मुझे २५०) रुपये की आवश्यकताहै ।अगर मेरे पास २५०)रु० हों तो मैं एक रेडियो बना सकता हूं, जो बिना बिजली के चले । मेरे खयाल से वह गरीब पैसा नहीं मिलने से नहीं कर सकता । केवल २५०) रुपयों में उसकी अविष्कार करने की प्रगति रुक जाय, यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि इस पैसे का सदुपयोग हो ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पंचायत समिति का फ्री फण्ड किसी को देने के लिये नहीं है, लेकिन यह तो वहां की पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिये ही है। यह किसी को सहायता देने के लिये नहीं है। आपने देखा नहीं हैं। ४० परसेन्ट........

श्री विजयसिंह झाला : क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ये तो ठीक ही कहते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह फ्री फण्ड कसी को देने के लिये नहीं है। यह तो पंचायतों की आय बढ़ाने के लिये है। ६० प्रतिशत पंचायतों को देना होगा।

श्री विजयसिंह झाला : इसके बाद में भी कोई रकम हो जो सहायतार्थ दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : फ्री फण्ड में ऐसी कोई रकम नहीं है, जो दी जाती है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं है तो रखनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी रकम हो जो अनुदान के रूप में दी जाय। अगर इस प्रकार की रकम नहीं रखी गई है तो मैं मांग रखूंगा कि जब मिनिस्टरों की कारों के लिये खर्चा किया जाता है, रुपया रखा जाता है तो इस प्रकार के कार्य के लिये क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जनसंघ के लोगों को प्रिफेरेंस दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : यहां तो सारे प्रिफेरेंस कांग्रेस को दिये जाते हैं, जनसंघ को नहीं। यह अनड्यू एड्वान्टेज, प्रिफेरेंस कांग्रेसवालों को दिया जाता है, इस प्रकार के कार्य किये हैं तभी गिरे हो और ज्यादा करोगे तो ज्यादा गिरोगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा आपका घर है, वहां अन्याय हो आपके घर में तो यह उचित नहीं है। न्याय नहीं है। आपके सामने कोई बात रखते हैं तो मधुर मुस्कान के साथ टाल देते हो, यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : बिलकुल कायदे की कार्यवाही की जायगी।

श्री विजयसिंह झाला : कायदे की कार्यवाही ? आपको ७ बार कहा कि फाइल देखिये, परन्तु आपने कुछ भी नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं फाइल देख चुका हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : फाइल देख चुके पर कार्यवाही क्या की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कायदे की कार्यवाही होगी।

श्री सभापति : श्री सतीशकुमार !

श्री सतीशकुमार शर्मा(बानसूर): सभापति

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

महोदय, हमारा जीवन एक स्ट्रगल फार एग्ज़िस्टेन्स है और यह स्ट्रगल अलग अलग दायरों में अलग अलग तरह से होता है। हमारे इधर के और उधर के साथियों में भी स्ट्रगल है और इनके आपस में भी स्ट्रगल है, पर एक स्ट्रगल मानव का प्रकृति के साथ चलता है। मानव इस जुस्तजू में है कि प्रकृति पर काबू पाये और बहुत हद तक काबू पाया भी है। कई बार हम देखते हैं कि प्रकृति कुपित होकर मानव पर प्रहार करती है, तो मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा। जिस विषय पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि इस प्रकार के प्रहार होने पर राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिये और मानवता के नाम पर, प्रकृति ने जो मानव पर हमला किया है उससे रक्षा होनी चाहिये। यह कहने की नौबत क्यों आई, इसका छोटा सा उदाहरण मैं सदन के सामने रखूंगा। आज से दो साल पहले एक छोटे से गांव में आग लगी, नया गांव, बहरोड़, तहसील, अलवर में। बड़ा नुकसान हुआ। आदमी भी जले, छ, सात मवेशी भी जले, एक घर भी ऐसा नहीं बचा जो जल कर खाक न हो गया हो। बड़ी आशाएं की गईं, बड़े बड़े लोग आये, सामाजिक कार्यकर्ता भी आये, बाबा खेतानाथजी भी वहां आये और मैं बड़ा खुश हुआ कि सरकार की एजेन्सी इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही है कि मौके पर आ गई। पर सहायता नहीं पहुंची। काफी इन्तजार करने के बाद आखिर ये बाबा खेतानाथ भी कलेक्टर के बंगले पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि आप ऐसे वेष में हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मजबूर हूं यह बताने को कि बाबूजी की इच्छा नहीं है। पहले उधर बाबूजी की सरकार चला करती थी जिसे अब की बार जनता ने उठा कर रख दिया। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बाबूजी ने कहा है कि इस इलाके में जहां गैर कांग्रेसी जीता है वहां कोई मदद नहीं दी जाय, चाहे वहां सारे घर जल जायं, मवेशी जल जाय चाहे आदमी जल जायं। तो इस तरह की हालत है। यदि यह राजनीति मानवता को खत्म करने के लिये है तो इस राजनीति को आग लगा देनी चाहिये ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है, उनको सहायता दी गई है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : आप शायद दूसरे गांव का समझ रहे होंगे। मैं शहादत पेश करने को तैयार हूँ, कलेक्टर का नाम बता सकता हूँ। हो सकता है कि बाद में जोर डाला हो। पर इतने रेस्पोन्सिबल ऑफिसर ने यह बात कही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मेरावास ? कहां का कह रहे हैं ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : हां, मैं अभी उस पर आता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप किस गांव का कह रहे हैं ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : नया गांव है, बहरोड़ तहसील में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कब आग लगी ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : दो-ढ़ाई साल पहले ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां कांग्रेसी के नहीं जीतने का क्या सवाल ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : नॉन कांग्रेसी वहां से जीत कर आया था ।

अभी जो मदद दी गई है वह दूसरा गांव है, अभी मैं उस बात पर आ रहा हूं और मैं बराबर मुख्य मन्त्रीजी को उसके लिये धन्यवाद देने का इरादा रखता हूं । वे स्पेशल सर्कमस्टान्सेज हुई हैं, जिस तरह मदद हुई, मैं रखता हूं । सरकार को इस तरह के मामलों के मालूम होने पर कोऑपरेट करना चाहिये बजाय बहस करने के ।

मैंने कटौती प्रस्ताव घेवाबास में आग लगने के मामले में रखा है । इसमें जहां तक ऐसे प्राकृतिक प्रकोपों में मदद मिलने का प्रश्न है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । वहां पर आग लगने से ५० हजार का नुकसान हुआ था । मैं भी वहां पर पहुंचा, एस. डी. ओ. भी पहुंचे, दूसरे ऑफिसर्स भी पहुंचे । बड़ी शान्ति हुई लोगों को । मैंने एस. डी. ओ. साहब से पूछा कि कितनी मदद करेंगे । तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मदद देंगे । मैंने उनसे कहा कि जो आप इनको देनेवाले हैं साफ कह दीजिये, ताकि इनकी आशाएं आगे नहीं बढ़ें । इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल फंड्स नहीं हैं । आगे जाकर फिर कहा कि टीनों का हमने बहुत अच्छा इन्तजाम कर दिया है । बाद में मैं B. D. O. साहब के पास पहुंचा और सोतों को जगाया और उनसे कहा कि १३३ घर जले हैं कितने टीन आप दे सकेंगे ? क्लर्कों से पूछा तो उन्होंने कहा कि टीन कुल ५० हैं । तो इस तरह हम चलते हैं । नेतागिरी अफसरों में भी चल पड़ी है, कह देते हैं सब कुछ हो जायगा और होता कुछ नहीं है । लोग बिना मतलब के परेशान होते हैं । मैंने मुख्य मन्त्रीजी के पास पहुंचने की कोशिश की । मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिस स्पीड से उन्होंने काम किया, उसी स्पीड से आग लगने के मामलों में काम किया जाय तो लोगों को राहत मिल सकती है । सबेरे दस बजे मालूम हुआ कि रुपया उसके लिये सेंक्शन हुआ है । मैं दूसरे रोज वाके की जगह पहुंचा तो मालूम पड़ा कि रुपया पहुंच गया है । इसके लिये मैं मुख्य मन्त्रीजी को धन्दवाद देता हूँ और आशा करता हूं कि वे इसी तरह का बर्ताव आग लगने के मामलों में करते रहेंगे ।

मैंने जो पहला मामला बतलाया है वह गाइडेंस के लिये बतलाया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिये । इसके बारे में मैं कॉन्क्रीट सजेशन देना चाहता हूँ । इस तरह से लोग पीड़ित होते हैं उनको और परेशानी होती है, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया । वे लोग बहुत गरीब होते हैं । जो आप तक पहुंचते हैं, उन लोगों के पास और कोई साधन नहीं होते वर्ना कौन पसन्द करेगा इतनी सी सहायता के लिये आना ? उनको इस तरह टलाया जाता है, झूठी आशाएं बंधाई जाती हैं तो उनको और बड़ी परेशानी होती है । मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिसमें एक गरीब को इस तरह से परेशान होना पड़ा । एक गांव है इस बहरोड़ तहसील में । उसको काम छोड़ कर २० बार एस. डी. ओ. साहब के पास जाना पड़ा पर उसे कुछ भी

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

नहीं मिला। मैं उसको राय देकर आया हूं कि आप इस तरह दर दर न फिरें, हम हो सकी तो आपके लिए कोशिश करके रकम को आपके घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

तो इसके लिये मैं एक कॉन्क्रीट सजेशन देता हूँ कि आग लगने पर जैसे डाका पड़ने पर पुलिस फौरन घटनास्थल पर जाती है वैसे ही आपके अफसर जाते हैं। आपके पास उसके बाद रिपोर्ट आनी चाहिये कि उन्होंने क्या किया। आग के मामलों में आप कुछ टाइम लिमिट कर दीजिये और कहिये कि एक सप्ताह के अन्दर अन्दर रिपोर्ट करें कि क्या किया। जिन लोगों के आग लगती है, जिनको चपरासी अन्दर तक नहीं जाने देते, जो अपने छप्पर तक बांधने के लायक नहीं रहते हैं उनको इस प्रकार की व्यवस्था करने से राहत मिलेगी। इसलिये मैं राय देता हूँ कि एक सप्ताह के अन्दर या १५ दिन के अन्दर वे रिपोर्ट करें कि उन्होंने क्या किया। इससे बजाय इसके कि वे लोग जो पीड़ित हैं अफसरों के यहां पहुंचें, अफसर लोग उनके पास मौके पर स्वयं पहुंचेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, आग लगने जैसे बड़े बड़े कामों के लिये ५० हजार रुपया रखा जाता है यह पर्याप्त नहीं है। जहां झोंपड़े फूस के बने हुये हैं वहां आग से १ लाख का नुकसान हो जाता है वहां ३ हजार या ३,२००) रुपये भेजते हैं तो इससे उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकती। उन आदमियों की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आपको दिखती नहीं, आप बहुत ऊंचे चढ़ बैठे हैं, पर इनकी परेशानियों को दूरबीन लगा कर देखें। आप ऊंचे चढ़े हैं। कोई आदमी किले पर चढ़ जाय तो उसको नीचे के आदमी बिल्कुल छोटे छोटे दिखेंगे, यह कायदा या आपको उन्हें दूरबीन लगा कर देखना होगा, ताकि आपको ५॥ फीट का आदमी नज़र आने लगे। इसलिये मैं आप से कहूंगा कि मंत्री महोदय खुद वहां घटना स्थलों पर पहुंचें और उनकी हालत को देख कर मदद दें। इससे उन लोगों के दिलों में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मद में रुपया बढ़ाया जाय, सारा अपोज़ीशन इसके साथ है और दो-चार आदमियों को छोड़ कर इसमें आपकी बैंचेजवाले भी मदद पर हैं।

श्री सभापति : श्री पोहूमल।

श्री पोहूमल (अजमेर-पश्चिम) : माननीय सभापति, मैंने मांग संख्या ३५ पर दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इसमें पहला प्रस्ताव उन मजबूर दुखी पुरुषार्थी भाइयों के लिए है, जिनके पास खाने के लिए न अनाज है, पहिनने के लिये न कपड़े हैं और बीमारी में इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे हार्ड केसेज के लिए हमेशा हमारे बजट में, इस सदन में जो बजट पेश होता है उसमें, कुछ न कुछ आंकड़े या रकम निर्धारित की जाती है। सन् १६६१–६२ के बजट में ऐसे दुखी और मजबूर भाइयों के लिए १,८०,-०००) रु० निर्धारित किये थे, लेकिन रिवाइज्ड बजट में ३० हजार तक ही रह गये। इस साल ६२–६३ के बजट में ऐसे दुखी और मजबूर पुरुषार्थी भाइयों के लिये एक कोड़ी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इससे साफ

(श्री पोहूमल)

जाहिर होता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय रीहेबिलिटेशन मंत्री, न जाने क्यों उन दुखी मजबूर पुरुषार्थी भाइयों को भूल गये ? आज भी कई हार्ड केसेज़ हैं उन दुखी और मजबूर पुरुषार्थी भाइयों के। वे दुखी हैं वास्तव में। यह मैं नहीं कह सकता कि उनके लिए क्यों नहीं स्थान इन मंत्रियों के हृदय में बन सका है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उन दुखी भाइयों को भूल नहीं सकते, जिनकी कुर्बानियों और जिनके दुख और त्याग के कारण से ही देश आजाद हुआ। हम उन दुखी और मजबूर पुरुषार्थी भाइयों को भूल नहीं सकते, जिनके खून और पसीने से ही हमारी आजादी का बगीचा हरा भरा हो रहा है। हम उन दुखी और मजबूर पुरुषार्थी भाइयों को भूल नहीं सकते, जिनकी वजह से हम और आप आज यहां इस सदन में विराजमान हैं। सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले जितनी सुविधायें उनको दी गई थीं वे भी आज उनसे छीनी जा रही हैं। पुरुषार्थी भाइयों को अलवर में जमीनें दी जा रही थीं उनमें रोड़े अटकाये जा रहे हैं, गंगानगर में पुरुषार्थी भाइयों के पास जमीनें हैं, उनमें रोड़े अटकाये जा रहे हैं, उनमें दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं, आबू रोड़ में केबिनों में जो पुरुषार्थी भाई अपना पेट पालन कर रहे हैं उनको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। अजमेर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन पुरुषार्थी भाइयों को उखाड़ने की योजना बना ली है। वर्षों से जो अपना पेट पाल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार धन्धा कर रहे हैं आज उनको उन जगहों से उखाड़ा जा रहा है। अजमेर में धान बेचने वाले जो पुरुषार्थी भाई हैं न उनके लिए वहां कोई मार्केट बना है और न छत बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है। कुछ आम पुरुषार्थी भाई ऐसे भी हैं जिनके पास न कुछ खाने को है और न पहिनने को है और जिनके लिये बजट में हर साल कुछ रकम रखी जाती थी उनके लिए भी इस साल बजट में कोई रकम नहीं रखी गई है। अजमेर में पुरुषार्थी भाई केबिन में रहते थे। उनकी मांग थी कि जयपुर की तरह ही उनके लिए वहां पर भी दूकानें बनाई जायं। उन्होंने नक्शे बना कर प्लान दी हैं लेकिन उसमें कोई न कोई रोड़ा अटका कर उसको टाला जा रहा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इन आजादी के परवानों को सरकार को भूलना नहीं चाहिये, क्योंकि उनको भूलने से उनके दिलों में सरकार के लिए यह असर होगा कि हम जो देश के लिए बलिदान और त्याग करके आये हैं उसके लिए हमारी कोई कद्र नहीं। सभापति महोदय, छः महीने आजादी के आन्दोलन में जिन लोगों ने भाग लिया और जेल चले गये उनको पोलिटिकल सफरर्स मान कर सरकार की ओर से पेन्शन दी जा रही है। उनके बच्चों के पालन के लिए अलाउन्स दिया जा रहा है लेकिन उन पुरुषार्थियों ने जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ त्याग किया, जिन्होंने अपना बलिदान किया, क्या वह उन किसी से कम है ? उनको भी बसाना हमारा परम धर्म है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है मकान बनाने के लिए, कन्स्ट्रक्शन के लिए। जो पैसा इस बजट में रखा गया है वह बहुत कम है और जिस वक्त पुरुषार्थी भाई मकान बनाने के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है या प्लान देता है

(श्री पोहूमल)

तो उसको ऑफिसेज में बहुत तंग किया जाता है और कोई न कोई रोड़ा अटकाया जाता है। वहां भी ऐसा तरीका किया जाय जिससे उनको प्लॉट मिलने में दिक्कत न हो और वे लोग मकान बना सकें।

इस सदन में माननीय सदस्यों ने पुरुषार्थी भाइयों को शरणार्थी कह कर पुकारा है। वे हमको शरणार्थी न समझें, किसी की शरण में नहीं आये हैं, क्योंकि इस देश में हमारा भी उतना ही हक है जितना माननीय सदस्यों का।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): एक बात साफ कर दूं मकानों के लिए।

श्री पोहूमल : सुनने में नहीं आ रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भारत सरकार ने सेन्ट्रल लोन का रुपया देना बन्द कर दिया है, उसकी तहत यह बात है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपको तो करना चाहिए था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : केन्द्रीय सरकार से योजना बनी थी। रुपया उन्हीं से आता है और राजस्थान सरकार तो उसकी एक एजेन्ट मात्र है।

श्री सभापति : श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदय, इस डिमान्ड पर जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसके द्वारा मैं राजस्थान सरकार का म्युनिसिपल बोर्ड के विषय में अपनाई गई स्थिति और नीति की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देखने को यह मिलता है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिए सरकारी नीति है उस नीति में और पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की जो नीति है उसनें, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो सहूलियत देने की एक नीति है उसमें, एक बड़ा भारी अन्तर है। म्युनिसिपेलिटीज़ का कोई साधन सरकार की ओर में सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में नहीं मिलते हैं। उनको सारा कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पड़ता है, जबकि पंचायतों में विकेन्द्रीकरण के अधिकारों के अलावा उनके पास संपत्ति के साधन भी सरकार की ओर से दिए हुए होते हैं, जिनसे उनको एक्जीक्यूट करना होता है, जिनका पालन करना होता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण अर्बन एरिया में रहनेवालों को आर्थिक सहायता इस प्रकार की मिलती हो जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर कोई विकास कर सकें।

मैं आपका इस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में चल रही अव्यवस्था की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दौसा म्युनिसिपल बोर्ड ने थोड़े से अर्से पहले कोई दस चीजों पर चुंगी कर लगाया। मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया कि सामान्य नियम जब तक नहीं बन जाते हैं, जो विचाराधीन हैं, तब तक चुंगी--कर वसूल नहीं हो सकता। मैंने आपको उस समय भी बताया कि सामान्य नियम नहीं बने, फिर भी वहां पर कर लगाये गये हैं और वे वसूल किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं; बल्कि दस चीजों पर जो चुंगी कर लगाया गया है सरकार से स्वीकृति ली गई है

Page No 64

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

उन चीजों पर, वहां के बोर्ड ने अपनी मरजी से रद्दोबदल कर डाला, जबकि म्युनिसिपल एक्ट की धारा १०८ और १११ के तहत अगर किसी कर के अन्दर संशोधन किया जाता है उस पर सरकार की स्वीकृति ली जानी चाहिये, उसके भी नियम बनने चाहिये । ऐसा नहीं हुआ । साल भर से यहां पर बराबर करों में दस चीजों में से आधी चीजों पर तब्दीली करके दूसरी चीजों पर वह वसूल किया जा रहा है । इस तरह से हजारों रुपया वसूल किया गया है । इसकी ओर जब ध्यान आकर्षित किया जाता है तो सुनाई नहीं होती । अभी सरकारी अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया । उन्होंने भी सुनवाई नहीं की । उन प्रोविजन्स को, उन रूल्स को तोड़ा जा रहा है और वहां के लोगों से कर वसूल किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से अवैधानिक है । उसको रोकने के लिये आज तक आदेश नहीं दिये गये । जब तक सामान्य नियम नहीं बन जाते और संशोधित की हुई दरें मन्जूर नहीं हो जातीं, एक भी पैसा वसूल करना कानून के लिहाज से गलत है । इस बारे में न तो बोर्ड सुनाई करता है और न विभाग के कर्मचारी जिनके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हुई हैं उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही की है । इसको कम से कम जब तक मन्जूर नहीं कर देते तब तक उसके लिये स्टे ऑर्डर तो भिजवा सकते थे । इसके मुतल्लिक जब प्रश्न किया जाता है और आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है तब भी आपके द्वारा स्टे ऑर्डर नहीं भिजवाये जाते । अब अगर आप उसके लिये कुछ करेंगे भी तो उसको रिट्रो-स्पेक्टिव इफेक्ट से लीगेलाइज करने का आप एक्शन लेंगे । ध्यान जब विभाग का आकर्षित किया जाता है कि इसके बारे में विभाग में ढिलाई है, क्यों न वहां के चेयरमैन को पाबन्द करते कि जो गलत तरीके से कर वसूली कर रहा है उससे रोका जाय ।

मैं इसके साथ साथ आशा करता हूं कि अब हमारे मंत्री महोदय इस पर शीघ्र ही विचार करके अपने किसी अधिकारी को वहां पर भेज कर उस वसूल की हुई रकम का चार्ट बनवायेंगे और आयन्दा वसूली को बन्द करा देंगे ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ साथ दूसरी बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है, जिसको मुख्य मंत्री महोदय भी जानते हैं, शिक्षा विभाग के लिये टाउन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने दौसा की ओर से २५ हजार रुपये कॉलेज के लिये दिये थे । २५ हजार रुपये का एक चेक एज्यु-केशन सेक्रेटरी के नाम से मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी के अन्दर दिया गया । उसमें नाम चेन्ज करने के लिये चेक वापिस हुआ । म्युनिसिपल बोर्ड ने उस २५ हजार रुपये के चैक को न भेज कर जो कॉलेज की बिल्डिंग के लिये दिया हुआ था, हुक्म करके भंगियों की तनख्वाह में उसको लगा दिया । असेट्स जो टाउन इम्प्रूवमेन्ट के लिये दिया गया उसमें से २५ हजार रुपया कॉलेज की बिल्डिंग के लिये दिया गया, दस हजार हॉस्पि-टल के लिये दिया गया । रूपया जिस काम के लिये दिया गया उसका उपयोग उसमें नहीं किया गया । एक डिफेक्ट की वजह से उनको मौका मिल गया । इतना ही नहीं, चुनाव

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

के दौरान में यहां तक सुना गया कि उस रूपये को म्यूनिसिपल फण्ड में दे दिया जाय, इस प्रकार के ऑर्डर्स भी कर दिये। इस तरह से उस रुपये को खत्म किया जा रहा है, जो सार्वजनिक कार्य के लिये रुपया रखा गया था वह अपने काम में लिया जा रहा है। यह है वहां के बोर्ड की हालत।

इसके साथ साथ जहां प्लॉट्स बनाये जाते हैं वहां नजूल रूल्स होते हैं, नजूल कमेटियां बनती हैं। लेकिन यहां पर उनकी भी अवहेलना की जाकर जैसी जयपुर शहर के लिये बात कही गई कुछ प्लॉट्स जो नीलाम होने चाहिये लेकिन वहां कुछ मनमाने तौर से वे प्लॉट्स अलॉट किये जा रहे हैं और निर्धारित रेट से भी कम पर अलाट किये जा रहे हैं और कर दिये गये हैं। जिन लोगों को दिये गये हैं उन्होंने खादी भंडार के नाम से प्लॉट ले लिये हैं और इस तरह से अपने अपने आदमियों के नाम प्लॉट दे दिये गये हैं। नजूल रूल्स और नजूल कमेटी को पूछा नहीं जाता, मनमानी तौर से अलॉट किये जा रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन के लिये एक्ट के अन्तर्गत रूल्स बने हुए हैं कि उस एक्ट की और रूल्स की अवहेलना कर ये सब काम किये जा रहे हैं। आपके विभाग से कोई भी अधिकारी जाकर जांच नहीं करता है। आखिर आपका डाइरेक्टोरेट का स्टाफ बैठा बैठा क्या करता है? वहां की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार रेट्स जो चार्ज की जाती है उसकी चर्चा रिपोर्ट में है। उसमें कहा गया है कि चार्ज कुछ किया जाता है और जमा कुछ कराया जाता है। वसूल की गई रकम की रसीद व ऑर्डर मेरे पास हैं, जिनके जरिये गवर्नमेन्ट के पास से रेट्स में संशोधन हुआ है, वह ऑर्डर मेरे पास है। किन्तु समयाभाव के कारण मैं पढ़कर नहीं बता सकता, उसमें रसीदें भी मौजूद हैं; रसीदें कुछ हैं और जमा कुछ कराया गया है ऑडिट रिपोर्टवाले जिनकी गलतियों को पोइन्ट आउट करते हैं उनका पालन नहीं किया जाता। वहां के मेम्बर अपने नाम पर रकम ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं। महिला सदस्यायें जो दो बोर्ड की हैं उनमें से एक को आठ महीने हो गये; एक तो सात महीने बोर्ड की एक भी मीटिंग अटेन्ड नहीं की है। जब एतराज किया जाता तो उनसे दरख्वास्त ले ली गई और एक को ६ महीने की छुट्टी देदी गई और एक को चार महीने की छुट्टी दी गई और उस पर यह कहा गया कि विथ दी परमिशन ऑफ दी बोर्ड दी गई है। सर्कुलर सारे मेम्बरों में घुमाया नहीं जाता, अपने अपने आदमियों के दस्तखत करके छुट्टी मन्जूर की जाती है। जिन मेम्बरों ने ठेका लिया और जो महिला सदस्यायें बैठक से आठ दस महीने से अनुपस्थित रहीं, उसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। शीघ्र से शीघ्र एक अधिकारी वहां भिजवाया जाय। आप वैसे तो उद्घाटन या निमन्त्रण पर वहां पधार जाते हैं इसलिये मंत्री महोदय व उपमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वहां जाकर उस बोर्ड को देखें उसको चैक करें। आप के डाइरेक्टोरेट को चेक करने की फुरसत नहीं, कम से कम आपको तो ध्यान देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि नये मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर वहां पर जो भी अनियमिततायें हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करवाने की कोशिश करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

(११.० म. पू.)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (आसींद) :

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, पंचायतसमिति के अन्दर जो रकम रखी गई है वह बहुत ही कलील है। १९६०-६१ में जो रकम रखी गई थी वह थी २६,१६,५६८ रुपये और सन् ६१-६२ में इसको काट कर १८ लाख कर दी गई और अब १३ लाख ७५, हजार कर दी गई। ६०-६२ में पंचायतों को अपने विकास के लिये १०-१० हजार रुपया दिया और अब तो पांच पांच हजार भी नहीं आयेंगे। पांच हजार में पांच छः मीटिंग करके क्या काम किया जा सकता है स्कूलें और सड़कें बनाने में जो रुपया दिया जाता था वह इस साल में आधा कर दिया गया है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। अगर नहीं बढेगा तो पंचायत समितियों के प्रति गांववालों को अविश्वास होगा। वे सोचेंगे कि पहले तो हमारे यहां काफी रूपया दिया जाता था अब तो बिल्कुल आधा कर दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ६०-६१ में जितना रुपया रखा गया था उतना तो इस साल के लिये भी कर दिया जाय।

इसी तरह से फ्री फण्ड के लिये निवेदन करूं। जैसे नाथद्वारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, उसी तरह मुझे भी इससे शिकायत है। वह यह है कि फ्री फण्ड में ६१-६२ में दिया गया था ४९ लाख रुपया। यह अनुमान था। पर एक्चुअल दिया गया ३२,१०,०००) रु० वह भी पूरा दिया ही नह गया। बीच में ही एक सरकूलर चला गया कि फ्री फण्ड को खर्च न करके यों का यों रख दिया जावे। तो वे ३२ लाख भी खर्च नहीं किये गये और अब इस बजट में तो वह भी काट कर ५,१०,०००) रु. कर दियागया बड़ी नाराजगियों हैं रेडियो और सांस्कृतिक प्रोग्रामों पर तो। यह पैसा अधिकतर इन्हीं पर खर्च होता था। इसके लिये नियम बनाया गया था कि पंचायतें और पंचायत समितियां ६० प्रतिशत अपना खर्च करें और चालीस प्रतिशत इस फण्ड में से खर्च किया जावे। पर काम ही अभी तो उन्होंने शुरू नहीं किया है। पर सरकार ने तो अभी से ४९ लाख से पांच लाख कर दिया। ४४ लाख यों ही पहले से ही गायब कर दिये। और 'यह भी खर्च करने देंगे या नहीं, कौन जाने। ऐसा मालूम होता है, गांवों की और पंचायतों की आवाज ही यहां तक नहीं पहुंचती। नगरपालिकाओं की आवाज तो पहुंच जाती है। इस मोहल्ले में बिजली और नल नहीं लगा, सड़क नहीं बनाई और वहां अच्छे से अच्छा काम हो जाता है, लाखों रुपया दे दिया जाता है और यहां पंचायतों को पहले ही थोड़ा दिया जाता है, जो फ्री फण्ड में पहले दिया गया उसमें से भी काट कर पांच लाख ही कर दिया। बाकी का तो स्टाफ का खर्चा है। तो यह तो बीसवां हिस्सा भी उनका नहीं है शहरों की नगरपालिकाओं के मुकाबले में। हमें तो शिकायत है कि उनको बहुत ज्यादा दिया जाता है और उनके मुकाबले में गांवों को कुछ नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है यहां गांवों के आदमी आते नहीं हैं अथवा आते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। तो फ्री फण्ड पहले जितना ही दिया जाना चाहिये। नहीं तो टैक्स लगावेंगे। पहले की तरह ४९ लाख ही करदें तो पंचायतें यह देखेंगी कि चालीस प्रतिशत आप दे रहे हैं तो साठ प्रतिशत हम अलग लगावें। तो इस तरह उनका काफी आमदनी का जरिया हो जावेगा।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैं सराड़ा पंचायत समिति की बात बताऊं। वहां यह फ्री फण्ड समझ कर ६० प्रतिशत रकम अपनी लगा कर एक ट्रैक्टर ले आये। उससे आमदनी हुई। पर बाद में सरकूलर आ गया कि ८ हजार मत लो। तो इस तरह वह ८ हजार यों ही पड़ा रह गया। आगे वह मिलेगा या नहीं? यह इस पांच लाख की बात से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं मिलेगा। इस रकम को बढ़ाना चाहिये, यह मेरा निवेदन करना है अगर आपको विकेन्द्रीकरण को चलाना है तो।

इसी तरह भू--राजस्व के अंश के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। यह अंश ६०-६१ में ३६,०६,१०१ रुपया दिया गया, ६१-६२ में काट कर ३४,१२,००० कर दिया। मतलब इसमें भी पांच लाख रुपया गायब। गांववालों की बात तो यहां चलनेवाली नहीं दिखती है। होता क्या है, पर--कैपिटा चार आने के हिसाब से यह दिया जावेगा, यह सरकार का कहना था। अभी तक तो ५१ की जनगणना के हिसाब से यह था। पर अब ६१ की जनगणना के हिसाब से सभी जगह संख्या बढ़ी है और इस हिसाब से १ करोड़ ६६ लाख आदमी गांवों में रहते हैं और कस्बों में भी रहते हैं। वे भी जमीन में काम करते हैं, अधिकांश तो खेतों में काम करनेवाले होते हैं। इस हिसाब से ४२ लाख रुपया होता है, इसको मान लिया जावे आधार तो।

बजट में त्रुटियों सम्बन्धी वाद-विवाद

इसके बाद मुझे थोड़ा सा अर्ज करना है इस विविध के बजट के सम्बन्ध में ही। यह विविध के लिये बजट रखा गया है स्वीकृति के लिये मन्त्री महोदय ने, इसमें ऐसा मालूम पड़ा कि काफी भूलें की हैं। इसमें एक करोड़ २८ लाख ६१ हजार की मांग की गई है और बजट के लिये जो किताब हमें दी गई है उसमें १,२८,५४,००० हजार ही है। १,२८,३०,००० का टोटल है और उसी तरह से दिया है। इसका हमें कारण बतला दें?

और यह एक इसी में फर्क नहीं है, इस किताब को मैंने देखा है चार पांच जगह तो बहुत बड़ा फर्क मिला। पूरी जांच इसकी की जावे तो और भी भूलें मिल सकती हैं। तो ऐसा लगता है कि यह किताब हमारा वक्त खराब करने के लिये वैसे ही रख दी है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : यह आपके समझने में भूल है, ऐसी भूलें कैसे हो सकती है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भूल मेरी समझ में है या आपकी समझ में है या बजट बनानेवाली मशीनरी की है, यह तो अभी मालूम पड़ जावेगा। मेरी समझ में भूल नहीं है। यह जो टोटल दी है........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : समझ कहां है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : है मेरे पास।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : धन्यवाद है कि आपकी समझ आपके पास है, मन्त्रियों के पास नहीं चली गई है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो १,५२,-२०,००० है स्वायत्त अनुदान अंशदान में। पर डिटेल में जाकर देखें तो १,६६,६०,००० हो जाता है। ४७ लाख ४० हजार का फर्क अंश में ही हो जाता है। तो बजट देखनेवाला यह पावेगा कि सरकार काफी दे रही है पर डिटेल में जावे तो यह फर्क पावेगा।

अब आ जाता है ग्राम पंचायत अधिनियम के सम्बन्ध में जो खर्च किया गया है वह है ४० लाख १८ हजार, पर आगे है ४६ लाख ७६ हजार। इन दोनों फर्कों को समापति महोदय, अगर मैं बाद कर दूं तब भी यह हो जाता है १, २८, ६२,००० रुपया और मन्त्री महोदय डिमांड करते हैं १ करोड़ २८ लाख। अब रहा यह हैड में कुछ और लिखा है और डिमांड कुछ और करते हैं। क्या सही है, यह पता नहीं लगता और यह बात यहीं तक नहीं है! इसके बाद जो डिमान्ड स्वीकार कर ली गई है बीच में उनमें भी फर्क है। आनेवाली डिमान्डों में फर्क है। तो ऐसी हालत में यह जो बजट का कागज आपने हमें दे रखा है, यह किस तरह का कागज है, यह जरा बता दें ?

आपने पुलिस का बजट स्वीकार किया। बजट में है ५ करोड़ ३३ लाख लेकिन मूव किया गया है ५ करोड़ ३३ लाख और ५७ हजार रुपया। इसी प्रकार उद्योग का हाल है। आंकड़े हैं ६२ लाख ६४ हजार, पर यहां मांग करवाई गई है, पास उसमें है ६० लाख, ६४ हजार रुपया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप किसी की सलाह ले लेते तो ठीक था, यह सब कहने से पहले।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप किसी एक्सपर्ट को लेकर फैक्ट्स-फिगर्स समझने के बाद फिगर्स यहां रखते तो ठीक रहता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं इस पर आपकी या एक्सपर्टों की राय लेने की जरूरत नहीं समझता। सारा मामला साफ है मेरे लिये। एक्सपर्टों की राय की जरूरत तो आप इस बजट को बनानेवालों को लेने के लिये कहते तो अच्छा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, बजट के फिगर्स पर इस तरह की बहस आगे बढ़े, इससे तो यह अच्छा है कि इसे एक्सप्लेन कर दिया जावे कि स्थिति क्या है इन फिगर्स के बारे में। इससे मुश्किल घट सकती है और सदन का वक्त भी बच सकता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसी तरह से सेल्स टैक्स का ५,५८६ हजार डिटेल में है और टोटल में २,०६८ हजार ही है और हमसे स्वीकृत कराई गई है, ५,५८६ हजार। तो सही बात को सामने लाया जावे। इतने दिन बजट पर बहस हुई है वह वक्त हमारा यों ही खराब किया गया है और सरकार का पैसा फालतू ही इतने दिनों का गया मालूम होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This appears to be a serious matter and I would rqeuest the Chair that the Government may explain this position in

(श्री निरजननाथ आचार्य)

between the debate; otherwise this will go on developing and developing with every member who speaks on the issue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : And it is a very serious matter, Sir.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर दूं। बजट हमारे सामने आया जो ६१ करोड़ का था। वित्त मन्त्री ने जब बजट पढ़ा तो यह कहा गया आमदनी तो ६० करोड़ २३ लाख की है और खर्चा ६१ करोड़ ५२ लाख का है। हमने देखा सरकार कहीं ज्यादा अच्छा काम करेगी। उसमें १ करोड़ २७ लाख का घाटा बताया गया और सदन में १ करोड़ २८ लाख के कर लगाने का प्रस्ताव किया।

(११.०६ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री): यह जो आप बोल रहे हैं, पूरा समझ में नहीं आया। यह तो आपने चैक-अप कर लिया है चार्ज्ड और वोटेड का फर्क तो नहीं है ? चार्ज पूरा होता है। इसलिये इन दोनों के डिफरेंस की वजह से आप चार्ज को भी केलकुलेट करके टोटल लगा रहे हों, ऐसा तो नहीं है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: ये तो सारी गलतियां सरकार के दफ्तर में हुई हैं। एक लाख की मामूली बात कही थी, मैं डिटेल बताऊं। श्रीमान्, आमदनी जहां लिखी गई वहां विविध में ३ करोड़ २५ लाख की असाधारण प्राप्ति और टोटल है ३ करोड़ १५ लाख; तो फिर यह १० लाख का फर्क कहां जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय चेयरमैन, इतनी इम्पोर्टेन्ट बातों को इस समय बता रहे हैं। एप्रोप्रियेशन बिल जिस समय आये उस समय इन सभी डिमांड्स के ऊपर जो अन्तर मालूम हो रहा है उस समय ही सारी बातें रखें तो उस समय इस पर ज्यादा गौर किया जा सकेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सब में नहीं है। मैंने तो ५-७ को ही देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले जांच करा लीजिए....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Finance Minister could have solved all these discrepancies if he had been here.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इन गल्तियों को ठीक नहीं कराया जाता है तो आप बहस करके पास करा लें। ६१ करोड़ का कहीं ६२-६३ करोड़ नहीं हो जाये, कहीं ५८ करोड़ ही न रह जाये। तो यहां फिर बहस करने की क्या जरूरत है ? पहले से जांच नहीं की गई थी तो फिर यू० पी० की तरह यहां भी कह दें कि अगले सेशन में बजट लाया जायेगा, तब तो हो सकता था यह। पर मेरा कहना यह है कि आप इसको टीक करा लीजिए, नहीं तो हम बहस ही बहस करेंगे। किस पर बहस करेंगे, किताब में सही बात ही नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : So far as the debate itself is concerned, the Hon'ble Member......

(व्यवधान)

श्री सभापति : I could not follow you.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is giving discrepancies in the figures. He says that it will be useless to discuss further and he stops the discussion unless it is explained to him.

श्री सभापति : फिगर्स के बारे में स्पष्टीकरण तो माननीय सदस्य एप्रोप्रियेशन बिल के समय कर सकते हैं और बाकी अपनी डिमाण्ड पर जो कटमोशन्स रखे हैं उन पर बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसा है कि जो बजट वित्त मन्त्री महोदय की तरफ से रखा गया है वह थोड़ा सा बता दें। जरा सी १० लाइनें हैं उनमें १० लाख का फर्क क्यों है? हमारा वक्त क्यों खराब किया जाये? बिना बैलेन्स मिले आगे कैसे चला जा सकता है?

श्री सभापति : Order please!

माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर भाषण प्रारम्भ करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उनका कहना एक हद तक सही है कि इंग्लिश और हिन्दी में जो पब्लिकेशन हुआ है उनके फिगर्स में अन्तर होने की वजह से यह गलतफहमी हो रही है। अंग्रेजी में ५८ लाख का हिन्दी में ८० लाख छपा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं उसकी तो अर्ज नहीं कर रहा हूं। मैंने जो जोड़ दिया उसमें उसके फर्क को निकाल दिया। उसके बाद में भी फर्क है। हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल नहीं है, इसमें बड़ा फर्क है। इसको तो आप पहले एक दफा जंचवा लीजिए, तभी इस पर बहस हो सकती है।

श्री सभापति : यह जो आपका विषय है यह केवल एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जो डिमाण्ड आज ली गई है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर!! यदि ऐसी कोई त्रुटि हो तो उस समय आप बता सकते हैं और इस समय जो आपका कटौती प्रस्ताव है, पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान दिए गए कटोतरी की रकम को बढ़ाये जाने पर बहस करने हेतु, तो इसमें इन आंकड़ों की उलझन बीच में आती नहीं है। इसको बढ़ाये जाने हेतु जो कुछ इस विषय में आप कहना चाहें वह इस समय कह सकते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मुझे तो निवेदन करना यह है कि सही आंकड़े ही नहीं हैं तो बहस किस पर की जायेगी यह पता नहीं चलता किताब में? जहां तहां गलतियां ही हों तो आप इसको कैसे पास करवाना चाहेंगे?

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव

(श्री सभापति)

है उसके विषय में ही आपका भाषण होना चाहिए । यह तो एप्रोप्रियेशन बिल का विषय है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसमें तो टोटल ही गलत है । रुपया ही कुछ है । इस पर तो बहस करने से फिर कोई लाभ नहीं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir...

(व्यवधान)

श्री सभापति : Shri Acharya to put his point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : So far as the discrepancy in between the Hindi version and English version is concerned, we assume both the versions as authentic and as such the discrepancy is material. It is a privilege of the House to study any of the versions. The question as to which version is correct and which is not is still pending before the Treasury Benches. Because the Demand involves financial implications and the Member is debarred from pressing his view point before the House, because of these discrepancies, I would suggest that till a clarification to the effect is made in right earnest, the debate should not be allowed to proceed.

श्री सभापति : Will the Treasury Benches please clarify ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि इस डिमाण्ड को पुट-अप किया है उसको फिगर्स चेक-अप कराली है और वे ठीक हैं । हिन्दी और अंग्रेजी वर्शन के बीच में जो अन्तर था इसके लिए अंग्रेजीवाला जो बजट है उसको बेसिस मान कर प्रोसीड किया जाये और जो पोइन्ट्स रेज किये जा रहे हैं उनके क्लेरिफिकेशन के बारे में हम चेक-अप करा रहे हैं और उसकी जानकारी सदन को दे देंगे ।

श्री सभापति : I think the point is quite clear now and the Hon'ble Member will proceed with the debate on the cut motion.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: माननीय सभापति महोदय, हिन्दी और अंग्रेजी का कोई सवाल नहीं है । जो फर्क आप बता रहे हैं वह मैंने डिटेल में देखा है । लेकिन जहां १ करोड़ १८ लाख ६१ हजार रुपये की डिमाण्ड रखी गयी है वह न तो अंग्रेजी में आनेवाली है, न हिन्दी में और न उर्दू में । समझ कुछ नहीं आता है वह कहां है ? वह है ही नहीं, फिर बहस हम किसके ऊपर करेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Finance Minister's presence is very necessary to explain all these things. He is not on the Treasuay Benches and so serious a question has been raised.

श्री सभापति : I think the Finance Minister should have been present here.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Then we should invite him, Sir. It is a complicated affair.

श्री सभापति : Well the debate will stay till the Finance Minister comes,

श्री निरंजननाथ आचार्य : I may suggest, Sir, that the House be adjourned for five minutes till the Finance Minister comes.

(वित्त मन्त्री का आगमन)

श्री सभापति (वित्त मंत्री) : से The point is that there are vital discrepancies in the figures that have been given in the Demands and the figures that are given in the Budget Memorandum etc.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कोई मिसाल दें तो जरा मालूम हो।

श्री सभापति : मिसाल अभी दी गयी है। Yes, Shri Gokul Prasad Sharma !

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order. The position has been explained to the House, Sir, and the Member is not bound to re-explain it. That has been the practice of the House. It has been explained to the House and it is not necessary that it should be explained to individuals now.

श्री सभापति : Is the House satisfied with the explanation that has been given ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The point is that there should be no repetition in the House. The time of the House should not be taken for repeating a thing which has been said on the floor of the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : What he is trying to say is that the House is in full possession of the particulars as the Hon'ble Chief Minister has pointed out today. Therefore it is a question in between the Treasury Benches.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I would also like to understand the whole position. जो टोटल डिमान्ड है वह १,२८,६१,-०००)रु० की बनती है जिसमें से १,२८,५४,-०००)रु० की वोटेड हैं प्लस ३७,०००)रु० की दूसरी चार्ज्ड डिमान्ड्स होती हैं। अब इसमें हिन्दी और इंग्लिश के बीच में जो डिस्क्रिपेन्सी है उस डिस्क्रिपेन्सी पर मैं कह चुका हूँ। अब १,२८,५४,०००) रु० की जो वोटेड डिमान्ड है उसमें और फर्दर डिस्क्रिपेन्सी क्या है ? उसको पोइन्टेडली अगर माननीय सदस्य कहें तो फर्दर कहना आसान होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्वोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। हिन्दी और इंग्लिश वर्शन के बीच में जो डिस्क्रिपेन्सी है और जो ट्रेजरी बेन्चेज ने डिस्क्रिपेन्सी को एडमिड किया है, मेरा आप से निवेदन है कि आपके द्वारा डाइरेक्शन दिया जाना चाहिए कि वे शीघ्रातिशीघ्र एक एरेटा आज प्रकाशित करें, जिससे कि जो गल्तियां हुई हैं उन्हें शुद्ध रूप से पढा जा सके। यह बहुत ही सीरियस मेटर है। जो सिर्फ हिन्दी जानते हैं और अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं उन माननीय सदस्यों ने गलत फिगर्स उद्धृत किये हैं और अपने सारे आर्गुमेन्ट्स उसके आधार पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बेस्ड किये हैं। हमारे प्रान्त में जो हिन्दी के अखबार हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारे यहां अंग्रेजी के अखबारों का सम्पादन नहीं होता है, उन लोगों ने भी अपने फीगर्स हिन्दी के बजट से उद्धृत किये हैं, उसके आधार पर अपने अखबारों में प्रकाशित किये हैं। इस लिए हमारे बजट के हिन्दी वर्शन में इतनी गल्तियां रहना हमारे राज्य की भाषा-नीति, जिसको हम आउट कर चुके हैं कि हिन्दी में अपने काम-काज को चलायेंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा सेटायर है और उसमें कितने असफल हुए हैं, इस बात का यह पूर्णरूप से द्योतक है। मेरा निवेदन है कि ट्रेज़री बेन्चेज को इस बात का आप डाइरेक्शन देंगे कि २४ घंटों के भीतर भीतर एक एरेटा इस बात का प्रकाशित करेंगे कि इन इन बजट फीगर्स में ये ये गल्तियां रह गई हैं और उनको इस इस तरह से स्पष्ट पढ़ा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि टोटल फीगर्स जो थे उसमें डिस्क्रिपेन्सी नहीं है। सिर्फ उस आइटम के सामने दिया गया है। उसमें टोटल १,२८,००० दिया गया है। टोटल आमाउन्ट में फर्क नहीं मालूम पड़ता है। फिर भी करेक्ट करने के बारे में जो माननीय सदस्य की बात है कि जल्दी से जल्दी उसके बारे में एरेटा निकाला जावे वह बात वाजिब होगी।

श्री सभापति : वोटेड डिमाण्ड है, कौन सी है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १,२८,५४,०००) रु० का ६१,००) कैसे हुआ है ?

श्री सभापति : कौन सी डिमान्ड के बारे में जिक्र कर रहे हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मिस्लेनियस।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ट्रेज़री बेन्चेज़ की तरफ से मामले की तैयारी नहीं है, इसलिए आज इस हाउस को एडजर्न कर दिया जाय। यदि एक दिन अधिक ले लेंगे इन डिमान्ड्स पर तो कोई हर्ज नहीं है। एप्रोप्रियेशन बिल परसों आनेवाला है वह सोमवार को आजायेगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब क्या मालूम फाइनेन्स का क्या होने वाला है ? बार बार इस प्रकार की गल्तियां आ रही हैं तो मैं यह समझता हूं कि इस डिपार्टमेंट के मंत्री से लेकर नीचे तक में कोऑपरेशन नहीं दिखता है। ऐसा हो सकता है कि मंत्री महोदय तो सिन्सियर हों लेकिन उनके सेक्रेटरी वगैरह उनको गलती में रखते हों....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : point of order, Sir, whether this sort of remark can be made ? I would suggest that it should be expunged. There is no difference between the Minister and the department as far as this House is concerned.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Moreover, Sir, references to the Secretaries are not warranted and uncalled for. He can only refer to the department and not the Secretary of the department.

श्री मानसिंह महार : चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस

Page No 74

(श्री मानसिंह महार)

प्रकार की बात नहीं हुई हो तो मंत्रीजी को इस बात को मान लेना चाहिए अपनी गलती को और आगे कॉन्सिक्वेन्सेज़ क्या हैं वे तो वे खुद ही जानते हैं। मैं तो उनके भले के लिए ही कह रहा था, क्योंकि हाउस में जो कुछ बात कही है, मैं उसको मानने को तैयार हूं कि रेफरेन्स नहीं दूं। मैं आपके कहने के मुताबिक....

श्री सभापति : आप उस बात को विथ्ड्रा कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : कोई हर्ज नहीं है। सीधे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर........

श्री सभापति : वह अलग विषय है।

श्री मानसिंह महार : गलत आंकड़े बजट में इनको दिये जाते हैं तो।

श्री सभापति : वह पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है, जिस पर आप भाषण दे रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं अपील यह करता हूं कि इतने समय से बैठे हैं तो सदन को एडजर्न कर दिया जाय और एक दिन का समय....

श्री सभापति : यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आप अपना आसन ग्रहण करें। अगर आवश्यकता होगी तो कोरीजेन्डम निकाला जायगा। उसके बाद कोई अड़चन नहीं रहेगी और मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जो कटमोशन पर बोल रहे हैं वे उस पर बोलना चाहें तो आगे उसको प्रारम्भ करें, अन्यथा फिर दूसरा कटमोशन लिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसा है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से इतना ही कहा गया है कि टोटल ठीक है और आइटम्स में गल्तियां हो गईं, परन्तु आपका यह कहना कि बजट में, टोटल में इस प्रकार की गल्तियां हैं उनमें काफी फर्क है।

श्री रामप्रसाद लडढा (उप-मंत्री, वित्त) : कोई फर्क नहीं है। १,२८,५६,०००) रु० हैं और १,२८,६१,०००) रु० बताया था तो उसमें....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फर्क इतना है कि ४–५ आइटम्स की जांच की है मैंने तो उनमें १०–१५ लाख का घोटाला है और आप कहते हैं कि फर्क नहीं है ? यह कैसा जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें दिया हुआ है। पेज १५ पर आप देखें तो आपको मालूम हो जायगा। इसमें १,२८,६१,०००) रु० का हुआ उसमें से १,२८,५४,०००) रु० का वोटेड आइटम है और २७,०००) रु० का रिकवरेबल....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसमें २७,०००) रु० कहीं भी नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह पेज १५ पर हैं। जो किताब मेरे हाथ में है उसके पन्द्रहवें पेज पर है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां है ? हमारे पास कब आई है ? अंग्रेजी का ठेका आपने ही नहीं ले रखा है। हम भी जानते हैं। हमारे पास भी वह आ जाती तो हम भी देख लेते। डिमान्ड क्या दे रहे हैं और कौनसी डिमान्ड हम से पास कराने जा रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति सभापति महोदय, यह फाइनेन्स के मुताल्लिक जो भी डिस्क्रिपेन्सी है उसका जवाब न तो फाइनेन्स मिनिस्टिर साहब दे रहे हैं और न डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, तो बहतर होगा कि काबिल फाइनेन्स मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिए दूसरे सदस्यों को प्रोमोट कर दिया जाय उनके स्थान पर।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, अभी डिमान्ड पूरी पास नहीं हुई। अभी जिस सवाल के ऊपर बहस हो रही है उस पर मैं माननीय सदस्यों को इतना अर्ज करूंगा कि आप अपनी बहस जारी रखें और १५ मिनट के बाद में उनको जो जो भी डिस्क्रिपेन्सी का सवाल है उसको बताए..

एक माननीय सदस्य : कई मुद्दों पर बताया है साहब, पर बतायें किसको ?

श्री सभापति : उसका स्पष्टीकरण हो चुका है। उस भूमिका में कट मोशन जारी रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक जगह घोटाला हो तो कहें, १० जगह है और लाखों का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो डिस्क्रिपेन्सीज़ इस डिमान्ड से ताल्लुक रखती हैं उनको वे अभी पोइन्ट आउट करेंगे और जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा उसको क्लेरिफाई कर देंगे और जहां तक दूसरी डिस्क्रिपेन्सीज़ का सवाल है, उन डिमान्ड्स के वक्त रेज़ करना चाहिए था या एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त जिन डिमान्ड्स पर वोट नहीं हुआ है वे डिस्क्रिपेन्सीज़ पोइन्ट आउट की जा सकती हैं। तब उसके बारे में जवाब दिया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरी अर्ज यह है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और माननीय सदस्य एक कमरे में चले जायं १५ मिनट के समय के लिये, उसके बाद सदन में यह रखें तब तक के लिए सदन की कार्यवाही जारी रहे।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कट मोशन श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ने रखे हैं उस पर वे बहस जारी रखना चाहें तो जारी रखें। तब तक वे एश्योर करते हैं कि डिस्क्रिपेन्सीज़ को देख कर उनका प्रतिकरण करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बजट है और उनमें जो फर्क है तो अगर कानून के दृष्टिकोण या बिल के दृष्टिकोण से मानते हैं तो अंग्रेजी का बिल ही ठीक माना जायगा, परन्तु जहां तक बजट का सवाल है, बजट में इस प्रकार की नीति नहीं है। दोनों बजट्स में फर्क है। इसके संबंध में अंग्रेजी के बजट को मूल आधार माना जाय या हिन्दी का जो बजट है उसको मूल आधार माना जाय, ताकि कम से कम यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो निश्चित हो जाय कि मूल आधार किसको माना जाय ? फर्क है दोनों में तो हिन्दी वाले को माना जाय या अंग्रेजी वाले को माना जाय, यह कम से कम व्यवस्था की बात हो जाय, उसके बाद में निर्णय लेंगे ।

श्री सभापति : यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि अंग्रेजी का जो बजट है उसको मुख्य आधार माना जाय और उस भूमिका में मैं समझता हूँ कि कोई अड़-चन नहीं रहती और अपने कटमोशन पर बहस प्रारम्भ कर सकते हैं ।

श्री हीराभाई : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, यदि कोई माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जाननेवाला है तो उनकी राय ली जाय या नहीं ? इसका निर्णय हो जाना चाहिये....

श्री सभापति This is no point of order. Please continue.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अंग्रेजी वाली भी गलत हो तो वह कैसे ठीक की जायगी ?

श्री सभापति : वह कोरिजेन्डम से ठीक कर दी जायगी । आप इसकी फिक्र न करें । बहस जारी रखें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आंकड़े गलत हैं । वे लोग हिन्दी जाननेवाले हैं, अंग्रेजी जाननेवाले नहीं हैं । कहीं ५ लाख के ४० लाख कर दिये और कहीं ४० लाख के १३ लाख कर दिये ।

मांग संख्या ३५-विविध

(पूर्व क्रम से)

ग्राम पंचायतों को आप जो सहायता दे रहे हैं उससे कम मत करिये, ज्यादा करिये । पंचायतों में आज किसी प्रकार की आमदनी नहीं है । पंचायत समितियों को न्याय पंचायतों का सारा खर्चा देना पड़ता है । न्याय प्रशासन के लिये तो आपने लाखों रुपयों का बजट रखा है लेकिन जहां आपने डेढ़ हजार करीब न्याय पंचायतें बना दी हैं उनके लिये बजट में एक पैसा भी नहीं है । यदि न्याय पंचायतों को पैसा नहीं दिया जायगा तो वहां के पंच अपने यहां का खर्चा चलाने के लिये ज्यादा से ज्यादा जुर्माने करेंगे, विकास पंचायतों से यदि मिले हुए होंगे तो वहां रहने वाले लोग तकलीफ पायेंगे । अगर जुर्माना नहीं करेंगे तो न्याय पंचायतों का दिवाला पिट जायगा । जहां आपके सिविल कोर्ट्स हैं वहां आपने लाखों रुपये रखे हैं, ६० लाख या कितने रखे हैं लेकिन जहां डेढ हजार न्याय पंचायतें बनाई हैं उनको एक पैसा भी नहीं दिया है । वहां चपरासी चाहिये, मकान चाहिये, पीने को पानी चाहिये, रोशनी चाहिये, कागज चाहिये, पेन्सिल चाहिये, रजिस्टर चाहिये लेकिन इसमें उनके लिये एक शब्द भी नहीं है ! लेकिन न्याय प्रशासन आपके द्वारा चलाया जाता है उसका सारा खर्चा चलाया जाता है और उस पर आप इतना खर्चा कर रहे हैं ।

इसी प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूलें चलाई जाती हैं उनका मकान किराया, चपरासी का खर्चा व अन्य सारा खर्चा शिक्षा विभाग देता है ,लेकिन पंचायत समितियां जो स्कूलें चलाती हैं उनको देने के लिये सरकार

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के पास पैसा नहीं है । आप किसी भी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये दवा का इन्तजाम करते हैं लेकिन पंचायत समितियों को देने के लिये आपके पास पैसा नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि आप पंचायत समितियों को अलग मानते हैं तो वे बेचारे यों ही रह गये, उनको निकाल दिया तो परसों क्या होगा ? न आप उनको दवा का खर्चा देते हैं, न न्याय पंचायतों को कुछ देते हैं और न ग्राम पंचायतों को कुछ देते हैं । ग्राम पंचायतों के लिये १५ लाख रुपये रखे हैं लेकिन ८,००० के आसपास ग्राम पंचायतें हैं । उनके हिस्से में २००) ३०० रु. से अधिक नहीं आयेंगे । इतने से रुपयों से वे गांव की सफाई करेंगे, या क्लर्क रखेंगे काम चलाने के लिये, या मकान किराया देंगे या स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों का किराया देंगे, आखिर क्या करेंगे ? इसलिये मेरी अर्ज है कि पंचायतों को जो राशि दी जा रही थी सन् ६०-६१ में उससे डबल नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा । लेकिन आपने तो इसका १० परसेन्ट ही दिया है । पंचायतों को जो इतनी कम राशि दी है उसे ठीक करना चाहिये ।

आपकी सड़कों के लिये कई करोड़ रुपये बजट में हैं लेकिन पंचायतों के लिये कोई बजट नहीं है । वह रास्ते कैसे दुरुस्त करावें ? बहुत थोड़ी रकम, १०० रु० भी पांती नहीं आते । आप गांवों को यदि ठीक रखना चाहते हैं, गांधीजी जैसा कहा करते थे हमें तो ग्राम स्वच्छ चाहिये , आप विकेन्द्रीकरण का कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनको अधिक से अधिक दीजिये । आज जो कुछ खर्चा है वह स्टाफ के लिये है बाकी काम के लिये मद में बहुत कम है । कृषि के मामले में कम है तो पशु पालन के मामले में कम है, १० वां हिस्सा भी नहीं है । मालूम होता है कि पशु शहरों में ही रहते हैं । गांववालों के पास जानवर नहीं हैं इसलिये गांववालों को नहीं देते हैं । आप पंचायत समितियों का विशेष ध्यान रखिये । गांव में डॉक्टर नहीं जायेंगे, कम्पाउन्डर जायेंगे । २०० की आबादी में कम्पाउन्डर जायेंगे । शहरों में १० डॉक्टर हैं तो २० की जरूरत है, १० और चाहिये । अगर यही बात है तो बहुत बुरी बात है । पंचायत समितियों की तरफ ध्यान देना चाहिये मैं यही अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापतिजी, प्रस्तुत मांग पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं । सबसे पहले मैं पंचायतों तथा पंचायत समितियों को जो एडहोक ग्रान्ट मिलती है उसके सम्बन्ध में विचार करना चाहूँगा ।

सभापति महोदय, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के पश्चात् हम राजस्थान में पंचायतों को अधिक अधिकार देकर उनको मजबूत करना चाहते हैं, जिससे हमारे देहात के लेवल से असली लोकतंत्र शुरू हो । आज कल पंचायतों की वास्तविक हालत क्या है, उसके बारे में कुछ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । अधिकतर जो पंचायतें हैं उनके पास सेक्रेटरीज रखने का साधन नहीं है । और दूसरे विकास के काम करना चाहते हैं वे तो दूर रहे लेकिन रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की

(श्री भीमसेन)

पूर्ति के लिये साधन नहीं हैं, प्रशासन संबंधी ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, स्टाफ को देने को पैसा नहीं है'। तो असली लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, देहात के लेवल से डेमोक्रेसी शुरू करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि सरकार द्वारा पंचायतों को जो एड दी जाती है उसके बारे में सरकार विचार करे।

आज म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में स्पष्ट देखते हैं कि वहां सरकार का एक दृष्टिकोण बनता है और जहां देहात में देने का प्रश्न आता है वहां पर दूसरा दृष्टिकोण बनता है। आज म्युनिसिपल कौंसिल्स को आठ आना पर हैड देते हैं लेकिन जहां पर पंचायत समिति या पंचायतों को ग्रान्ट-इन-एड देने का प्रश्न आता है उस समय दृष्टिकोण बदल जाता है। उनको हम पर-केपिटा २० नये पैसे ग्रान्ट ही देते हैं। यह आपसी मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन देहात और शहर की जनता में क्यों किया जाता है, यह समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार शहर में ८ आना पर-कैपिटा सब्सिडी देती है उसी प्रकार से गांवों को भी जन संख्या के हिसाब से देनी चाहिये। जहां पर गांव का प्रश्न है, हर गांव का आदमी लैंड रेवेन्यू के रूप में सरकार के खजाने में कुछ न कुछ देता है। लेकिन जहां शहरों का प्रश्न आता है, शहरों की अधिकतर जन संख्या इन्कम टैक्स नहीं देती। ग्रान्ट-इन-एड का जहां प्रश्न आता है वहां जिस तरह से गांव का एक एक आदमी सरकार के खजाने में पैसा देता है उसी तरह से गांव के आदमी का जो हिस्सा बैठता है उसी तरह से सब्सिडी के बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिये।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है स्केअरसिटी अफेक्टेड एरियाज़ के बारे में। इस समय बीकानेर जिले में करीब ३०० गांव स्केअरसिटी अफेक्टेड हैं। उनमें से १५० के करीब तो ऐसे हैं जो पिछले साल भी अफेक्टेड थे। अभी उनकी हालत ऐसी है कि किसी तरह का अनाज वहां पैदा नहीं हुआ और खाने का साधन उनके पास नहीं है। तो सरकार ने इस साल रिलीफ वर्क के लिये जो पैसा दिया है वह बहुत ही न्यूनतम है। केवल २५ हजार रुपया १५० गांवों के रिलीफ वर्क्स के लिए सरकार ने ग्रान्ट किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कितना ?

श्री भीमसेन : २५ हजार रुपया रिलीफ वर्क्स के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि २५ हजार रुपये की राशि १५० गांवों के लिए, उन गांवों के लिए जो पिछले साल स्केअरसिटी एरिया डिक्लेअर्ड थे, एक साल कन्टीन्यू रहते हैं और दो साल तक स्केअरसीटी रहती है तो उनकी क्या हालत रह सकती है, उनके खाने की दूसरी बातों की क्या हालत हो सकती है, यह सरकार विचार कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में रिलीफ वर्क्स के लिए जो राशि दी गई वह न्यूनतम है। इसलिए इस बारे में सरकार अधिक से अधिक राशि मंजूर करे। इसके बारे में मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव था

एक प्रस्ताव कटौती का मेरा जनानी डयोढी के सम्बन्ध में है। यह खर्चा किस सम्बन्ध में किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार क्लेरिफिकेशन कर देगी तो मैं समझता

(श्री भीमसेन)

हूं ठीक रहेगा। ६० हजार रुपये प्रति वर्ष इस पर खर्च किये जाते हैं। सरकार इस खर्च को कहां तक जायज समझती है, इस पर सरकार कुछ स्पष्टींकरण करें।

एक प्रस्ताव मेरा, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में है कि राजस्थान में ज्यों ही हमने पंचायतों का निर्माण किया, हमने कुछ अधिकार वहां के पंचों को दिये, सरपंचों को दिये। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इस बारे में विचार करे कि इन गांवों में असली डेमोक्रेसी हो, इसके बारे में अधिक से अधिक अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जायं आज जितने इल्जाम सरपंचों और पंचों के खिलाफ पाते हैं कि अकाउन्ट्स पेश नहीं करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, अगर आप इस तरह के अधिकार दे देंगे तो इस तरह की जो शिकायतें पंचों और सरपंचों के खिलाफ आती हैं उनके लिए कोई ग्राउन्ड नहीं रहेगा और सारी सेंक्शन; सारी स्वीकृति जितना काम होगा वह ग्राम सभाओं में डिस्कस होकर उसकी स्वीकृति से होगा और उनके खिलाफ शिकायत का अवसर नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ग्राम सभाओं को इस तरह के राइट्स दे ताकि हम राजस्थान में असल में, रीयल डेमोक्रेसी ला सकें।

श्री सभापति : श्री मजलिसखां !

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित)

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

बजट में त्रुटियों सम्बन्धी वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, मैं अपने चार कटौती के प्रस्ताव पेश करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि पन्द्रह मिनट का समय जो वित्त मंत्री को दिया गया है, वह बीत चुका है। अब वे डिस्क्रिपेंसीज के मुतल्लिक सदन को जानकारी देना चाहें तो वह जानकारी उनसे पहले ली जानी उचित है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में व्यवस्था दें कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वित्त मन्त्री महोदय तैयार होकर आ गये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय....

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर मांडल से आये माननीय सदस्य ने एतराज उठाया, बजट में जो फिगर्स की डिस्क्रिपेंसीज़ बताई हैं, उन पर माननीय सदस्य अपना व्यू पोइन्ट रख चुके हैं। जब सरकार जवाब देगी उस वक्त इस पर जवाब दिया जा सकता है। यह स्टेज कौनसी है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है, सदन को जानकारी दी जा चुकी है कि पन्द्रह मिनट में सारी जानकारी करके डिस्क्रिपेंसीज़ के बारे में कहेंगे,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अन्यथा हमारा कुछ कहना या आलोचना करना निरर्थक होगा, अनावश्यक होगा। इसलिए वे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे दें।

श्री सभापति : सरकारी जवाब में आ जाय तो क्या अड़चन हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उससे सख्त एतराज है। सारा सदन इस पर डिस्कस करे, इन डिस्क्रिपेंसीज़ के रहते हुए माननीय सदस्य सरकार को कोसें, सरकार को बुरा-भला कहें और उसके बाद कोई दूसरी जानकारी आये तो हमारी बहस निरर्थक होती है। इसलिये उनका जो एक्सप्लेनेशन है वह आना चाहिये ताकि हमारा जो अटेक हो वह उनके एक्सप्लेशन के आधार पर हो।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : टाइम पन्द्रह मिनट का मांगा था। मैं समझता हूं यह जल्दी की जा रही है। अगर वे कह दें कि पन्द्रह मिनट में जवाब देंगे तो क्या पन्द्रह मिनट में ही जवाब देना चाहिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : वित्त मन्त्रीजी तैयार होकर आ गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पन्द्रह मिनट हो चुके हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : जो प्रश्न सदन के सामने है, उसको मैं इतना स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि जहां तक हिन्दी की छपाई का ताल्लुक है उसमें थोड़ी सी गलती है और उसमें ५४ हजार के बजाय ५८ हजार लिखा गया है। बाकी जहां उसके केलकुलेशन का ताल्लुक है उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए जहां तक अंग्रेजी में जो फिगर्स हैं उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मिसलेनियस डिमांड में जहां १ करोड़ २८ लाख ५४ हजार के फिगर्स हैं और उसमें ३७ हजार, जिसका कुछ सम्बन्ध यहां समझाने के लिए कहा गया है, उसके लिए मुझे इतना अर्ज करना है कि ये ३७ हजार की वे रिकवरीज हैं, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से आनेवाली हैं। इसलिए कायदे के माफिक वह ३७ हजार भी नेट में जमा कर लिया जाता है ताकि ग्रोस एक्सपेन्डीचर दिखाया जाय। इसमें ग्रोस एक्सपेन्डीचर के लिए वह ३७ हजार की रकम १ करोड़ २८ लाख ५४ हजार में शामिल है। इसके साथ ही एक तीसरी चीज और है, जो चार्जड् अमाउन्ट है वह आठ हजार है। वह वह आठ हजार की रकम, जिसके ऊपर यहां वोटिंग नहीं करा रहे हैं, वह है। इस सब को मिला कर देखा जाय तो १ करोड़ २८ लाख ९९ हजार होता है। लेकिन चार्ज्ड अमाउन्ट को हम वोट के लिए नहीं रखते सदन के आगे, इसलिए १ करोड़ २८ लाख ९१ हजार की रकम को ले लिया। यह गलती जो हिन्दी में छपने में हुई है उसका हम कोरिजेन्डम निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद माननीय सदस्यों के जो कुछ इसमें गलती देखने में आई है वह एक वाजिब गलती थी और जो आम तौर पर हो जाया करती है, क्योंकि टोटल हमारा बिल्कुल ठीक है। इसलिए इतनी किताबों में छपने में छपाई की गलती होना नामुमकिन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, जो स्टेटमेन्ट दिया गया....

श्री सभापति ; Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : जितने भी सदस्य हैं, उन १७६ सदस्यों में से १४२ सदस्यों ने हिन्दी की प्रतियां ली हैं और दूसरों ने अंग्रेजी की ली हैं। उतने सदस्यों का सवाल है जिन्होंने बजट स्टडी के बाद, जो हिन्दी का बजट है, बहस में हिस्सा लिया है, वे १४२ हैं जिन्होंने हिन्दी के बजट की प्रतियां ली हैं और दूसरों ने अंग्रेजी की ली हैं। अब सवाल यह है कि इनमें इतना फर्क है हिन्दी और अंग्रेजी के बजट में और हिन्दी के बजट के आधार पर बहस हुई है। अब जो फर्क बताया गया है हिन्दी और अंग्रेजी में, वह इतना बड़ा फर्क हो गया है, जो हिन्दी का बजट रखा है उस हिन्दी के बजट के आधार पर इतना फर्क निकलता है और यह बात आती है तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत गम्भीर है। उससे मालूम होता है कि सारे बजट में जितनी बहस हुई है, उसमें इतना आंकड़ों का फर्क है, उसमें अधिकांश सदस्यों ने हिन्दी में स्टडी किया है, उसके आधार पर बहस की है। उसके आधार पर सारे बजट के अन्दर इस प्रकार का फर्क आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी कार्यवाही जो बहस के दौरान में हुई, वह गलत कार्यवाही हुई है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सभापति महोदय, आपको खुद अपनी तरफ से व्यवस्था देनी चाहिये कि ऐसी स्थिति में हम कौन से बजट को सही मानें। बजट सेशन अब समाप्त हो रहा है और एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होनेवाली है। ऐसी हालत में यह जो स्थिति है, यह बिल्कुल गम्भीर है। मैं समझता हूँ कि इस पर फिर से विचार किया जाय ताकि सारे माननीय सदस्य अंग्रेजी के बजट में दिये आंकड़ों पर विचार कर सकें, बहस कर सकें। इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूँ, क्योंकि अधिकांश सदस्यों ने हिन्दी का बजट स्टडी किया है और उसमें इतना फर्क आया है, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री सभापति : इस विषय में सदन को यह स्पष्ट हो चुका है कि अंग्रेजी की जो प्रति है उसको ऑथेन्टिक माना जाय। यह मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि केवल एक प्रति में ५४ है और दूसरी प्रति में ५८ है यानि आठ और चार के आंकड़े बदल गये हैं; ये मिसप्रिन्ट हो गये हैं लेकिन जोड़ में फर्क नहीं आता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं नहीं समझता कि यह ऐसी बड़ी गलती है कि जिसके ऊपर सारे बजट अंकन और सारे बजट हैड को समझने में माननीय सदस्यों को कठिनाई महसूस होती हो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह छोटी सी त्रुटि कोरिजेन्डम द्वारा निकाली जा सकती है। इसके अलावा बहस में उस गलती को लेकर कोई अटकाव या फर्क पड़ने जैसी सम्भावना नहीं होती। इसलिए इस विषय में अब बहस को रोकना आवश्यक नहीं, बहस प्रारम्भ रखी जानी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : बहस प्रारम्भ रखी जाय और एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो, इसके पहले जो भी इस प्रकार की कमियां रही हैं उनको लेकर एक लिस्ट सदन के सामने आ जाय ताकि उस पर सोच सकें, विचार कर सकें। जब तक वह है नहीं और गलती बजट में शरीक है, इसलिए क्योंकि इसमें आंकड़ों का सवाल

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, उनके इधर उधर होने से स्थिति खराब हो जाती है ।

सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल जो हमारे सामने आवे उसमें इस प्रकार की जो कमियें रह गई हैं उसकी एक लिस्ट तो ठीक होकर सदन के सामने आ जानी चाहिये । क्योंकि यह बजट का मामला है । एक बनिये की दूकान में एक पैसा भी इधर उधर होने में बड़ा झगड़ा पड़ता है ।

श्री सभापति : I think Government has already been made aware of this and they will make tho necessary correction and present the Appropriation Bill. Now there should be no difficulty in prooceding with the discussion.

श्री मोहनलाल सुखाडियां (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, यह स्पष्ट हो चुका है और यह भी स्पष्ट ही है कि १ और ४ का जोड़ ५ ही होगा और अगर १ और ३ लिख कर : उसका जोड़ उसके नीचे ५ कर दिया जावे तो इसका मतलब यह होगा कि जोड़ ५ ही है । उसको पांच ही मानना चाहिये । हाउस में जो डिमान्ड रखी है वह हिन्दी और अंग्रेजी में साफ है । बजट में प्रिन्टिंग एरर है इसको ठीक कर लिया जावेगा । टोटल बड़ी स्पष्ट हो जाती है । अगर डिमान्ड पुट अप कर देते हैं तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्री सभापति : I think, the point is quite clear now that it is an error of misprint which will be corrected by the Government and hence there should be no hitch in proceeding with the discussion.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाता हूं कि जो भी इस प्रकार की गल्तियें होंगी हम बतावेंगे और माननीय सदस्यों के सामने रखेंगे और जो भी गल्तियें माननीय सदस्यों की नजर में आवें वे भी बतावेंगे ।

श्री सभापति : I think, there is now no need of...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : हम हर एक टोटल जोड़ कर आपको बतावें या आपके सामने लावें तो आपको मालूम होगा कि अभी तक १५-२० लाख रुपयों का फर्क है । अभी भी आपको बता सकते हैं कि गलती है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि केवल मिस प्रिन्ट की गल्ती है और आश्वासन दिया जाता है कि इसको ठीक कर देंगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सभापति महोदय, हमें बताया गया कि ६० करोड़ २५ लाख की आमदनी और ६१ करोड़ ५३ लाख का खर्चा है । कुल १२७ लाख का घाटा है और १२८ लाख का कर लगावेंगे, एक लाख ज्यादा । अगर टोटल सही करें तो १५ लाख रुपयों का और घाटा होता है । सरकार ने इसको बनाने में लाखों रुपये खर्च किये और फिर भी इसमें गल्ती रहे, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This can be raised in the debate of Appropriation Bill,

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, इसमें गल्ती बताई जा रही है। जब तक वित्त मन्त्री इसका समाधान न करदें तो एप्रोप्रिएशन बिल पर क्या बहस होगी ? किसी बिजनेस मैन से एकाउन्ट्स में गल्ती होती है और उसका एकाउन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चेक करता है, जब उसके पास जाता है तो उस बिजनेसमैन के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। यह हमारी सरकार का बजट है। इसमें इतना फर्क होता है तो यह कोई शोभा की बात नहीं है। यह ठीक बात है कि इसमें गल्तियें हैं। हम भी सहयोग देते हैं, मगर जो भी गल्तियें रह गई हैं वे सारी ठीक करके सदन के सामने रखी जानी चाहिये और फिर एप्रोप्रिएशन बिल पेश होना चाहिये।

श्री सभापति : इस समय जो प्रस्तुत प्रश्न है वह यह है कि जो मांग प्रस्तुत की गई है उसमें अंकों के छपने की कुछ गल्तियें हैं। उसके बारे में स्पष्टीकरण कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १२८ लाख के अतिरिक्त कर लगाये जा रहे हैं........

श्री सभापति : Order please ! Order !!

(श्री मुरलीधर व्यास बोलने के लिए खड़े हुए)

Order please !

एक माननीय सदस्य : इन्हें समझा दिया है कि ५ के बजाय ८ छप गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हमारे यहां तो ३७ हजार नहीं लिखा है। यह कहां है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : The Hon'ble Member is not satisfied. He says, he has got figures, which he wants to explain. He is not admitting your point.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, समय बहुत लग रहा है।

श्री सभापति : The difference is being examined. In the meanwhile, Shri Manak Chand will proceed with the discussion.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर की जो स्थिति है इस सारी स्थिति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई अच्छी सरकार के लिये शोभनीय नहीं है कि हमारे बजट के आंकड़ों में इतनी गल्तियें रहें। फाइनेन्स मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि ३७ हजार रुपये की इनकम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से है। मगर ३७ हजार रुपयों को हमने गिना नहीं है। सरकार ने जो डिमान्ड पेश की है वह १,२८,६१,०००) रु० की है और बजट में १,२८,५४,०००) रु० दिये हैं। ३७ हजार रुपये हमने बाद कर दिये। इसलिये १२८ लाख ५४ हजार हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि ३७ हजार की रकम को आपको दिलाने में क्या आपत्ति थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अंग्रेजी के बजट के पेज ४४६ पर दिलाना चाहता हूं कि जब "Deduct-Amount recoverable from the Government of India minus 37,0000" वहां इसकी डिटेल्स दे रखी है और हिन्दी में पेज ६२७ पर बताया गया है "घटाइये भारत सरकार से प्राप्त रकम ३७,०००) रु०" ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ।........

श्री सभापति : Has the Finance Minister finished ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको मालूम नहीं था इसलिये मैंने रेफरेन्स बताया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने रेफरेन्स पेज ४४६ पर बताया । इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें केवल जोड़ की गल्तियें हो नहीं हैं इसके अलावा भी गल्तियें हैं । जो हैड लिखना चाहिये वह नहीं लिखा है । इसलिये ये सारी बातें पैदा होती हैं । एप्रोप्रिएशन बिल के समय सारी बातें डिटेल्स में कही जाती हैं । इसमें यह कहना कि इसकी जिम्मेदारी उप-सचिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर है और उन पर नहीं है तो मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार सरकार नीचेवाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी थोप कर अपने आपको जिम्मेदारी से टाल नहीं सकती । कोई भी गल्ती होगी वह मिनिस्टर पर और जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होने के कारण सारे मिनिस्टरों पर रहती है और इस जिम्मेदारी से वे अपने आपको श्रिन्क नहीं कर सकते ।

(विराम)

जो कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किये हैं, मैं सदन का ध्यान और जो हमारी ट्रेज़री बैंचेज़ पर आसीन हैं उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । हमारे प्रान्त में ३४ करोड़ रु० की रेवेन्यू टैक्सेज़ से है । वहां इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कितना रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ को देते हैं, कितना रुपया पंचायत समितियों को देते हैं और कितना रुपया, ३४ करोड़ रुपया जो टैक्सेशन रेवेन्यू है स्टेट को, उसमें से पंचायतों को देते हैं । इस फीगर को देखें तो मैं निवेदन करूंगा कि ग्रान्ट-इन-एड का प्रोविज़न रखा है; एक तो ५,८६८ हजार की रकम है और एक पंचायतों को जो सहायता दी जाती है उसके लिये ३,६७८ हजार की रकम रखी गई है । इन रकमों को मिलाया जाय तो यह करीब ६७ लाख के करीब रकम बनती है जो म्युनिसिपैलिटियों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को और पंचायतों को ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी जाती है । आज ग्रान्ट-इन-एड में म्युनिसिपैलिटिज़ की, पंचायतों की, पंचायत समितियों की और दूसरी लोकल सेल्फ बोडीज़ की जो स्थिति है वह एक भिखमंगे की सी स्थिति बनी हुई है । हमेशा ये संस्थाएं प्रान्तीय सरकार की तरफ निगाह लगाये रहती हैं कि कितनी ग्रान्ट-इन-एड सरकार हमें देती है । स्टेट की जो राजस्व है, रेवेन्यू है, टैक्सेशन से जो रेवेन्यू है उसमें इनका कोई हक नहीं है । टैक्सेशन से रेवेन्यू होती है । प्रान्त का, केन्द्र का कोटा बंधा हुआ है और फाइनेन्स कमीशन ने कोटा तय कर रखा है कि कितना कोटा केन्द्रीय सरकार का है और कितना कोटा प्रान्तीय सरकार का है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को टैक्सेशन से जो रेवेन्यू होती है उसमें केन्द्रीय सरकार का और

Page No 85

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रान्तीय सरकार का कोटा बन्धा हुआ है। प्रान्तीय सरकार को जो टैक्सेशन से रेवेन्यू होती है उसमें इन पंचायतों, पंचायत समितियों और म्युनिसिपैलिटियों का कोई कोटा नहीं बंधा हुआ है, इनका उस रेवेन्यू में कोई हक नहीं है। इसलिए इनकी स्थिति आज एक भिखमंगे की सी हो रही है। यदि पंचायत समितियों, पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को भिखमंगों की सी स्थिति में रखेंगे, आज के विकास के युग में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के युग में जब कि इन पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रखी गई हैं विकास की और दूसरे कामों की तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगी। आज पंचायत समितियों और म्युनिसिपैलिटियों को अपनी ये जिम्मेदारियां निबाहने में मुश्किल पड़ रही है। आज देखा जाय तो एक अच्छी पंचायत का खर्चा साढ़े तीन सौ रुपया माहवार है और इस हिसाब से उसको अपना कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये ४०००) रुपया चाहिये एक साल में। पर आज स्टेट गवर्नमेंट क्या देती है ? केवल ३५० रुपया साल का एवरेज पड़ता है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इनको देती है। तो जहां ४०००)रु० का खर्चा हो वहां ३५०) रु० स्टेट गवर्नमेंट देती है उससे कैसे काम चल सकता है ? पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ३५०) रु० देती है और कहती है कि पंचायत एक्ट में इतने अधिकार दे रखे हैं, पशुओं पर, प्रोफेशन पर, उत्पादन पर टैक्स लगाइये, और भी टैक्स लगाइये। एक तरफ तो पंचायतों के द्वारा टैक्स लगाये जायं, पंचायतों को टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं, फिर पंचायत समितियों को टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं, फिर जिला परिषदों को टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं, म्युनिसिपैलिटियों को टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं।

मैं टैक्स लगाने का हमारा यह जो स्ट्रक्चर है उसका विरोधी हूँ। म्युनिसिपैलिटियों को, पंचायतों को, पंचायत समितियों को टैक्स लगाने का, आमदनी बढ़ाने का जो काम दिया गया है वह काम हमारे सदन के अधिकार में होना चाहिये। हमने १.२८ लाख के टैक्सेज़ बढ़ाये हैं। अगले साल और टैक्सेज बढ़ायेंगे, उससे अगले साल और बढ़ायेंगे, यह नीति बनाई हुई है तो इस नीति में यह परसेन्टेज मुकर्रर करना चाहिये कि पंचायतों को इतना परसेन्टेज दिया जायगा, पंचायत समितियों को इतना और म्युनिसिपैलिटियों को इतना परसेन्टेज दिया जायगा। ४ आना गांव वालों को देते हैं और ८ आना म्युनिसिपैलिटीज में रहने-वालों को देते हैं। यह ग्रान्ट-इन-एड उस समय से बंधी हुई है जिस समय डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का कोई नारा नहीं था। पर आज इस विकास के युग में जब बड़ी जिम्मेदारियां पंचायतों को, पंचायत समितियों को सरकार सौंपना चाहती है तो इस ग्रान्ट-इन-एड के प्रिन्सिपल को भी बदलना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि ग्रान्ट-इन-एड नहीं कह कर सरकार एक कमीशन मुकर्रर करे जो यह एग्ज़ामिन करे कि कितने परसेन्ट हमारी पंचायतों को मिलना चाहिये, कितना परसेन्ट, पंचायत समितियों को और कितना परसेन्ट म्युनिसिपैलिटियों को मिलना चाहिये। मैं यह प्रोपोज़ल रखता हूं कि समाजवादी स्टेट में २५ प्रतिशत टैक्सेशन की रेवेन्यू का पंचायतों को, पंचायत समितियों को, लोकल सेल्फ बॉडीज़ को देना चाहिये। समाजवादी समाज की बात

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

को दूर रख कर वैल्फेअर स्टेट की बातको लें- हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा कि वैलफेअर स्टेट कायम करना चाहते हैं। वैलफेअर स्टेट में और सोशियलिस्टिक पैटर्न में मूलभूत फर्क है। तो इस वैलफेअर स्टेट में २५ प्रतिशत इन संस्थाओं को देना चाहिये। २५ प्रतिशत देंगे तो साढ़े बारह प्रतिशत हमारी म्युनिसिपैलिटीज़, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जायगा। सरकार कहेगी कि इससे हमारे रिसोर्सेज बहुत डिफीट हो जायेंगे। मैं कहूँगा कि वह रुपया नागरिक संस्थाओं के पास रहेगा और उनकी भीख की मनोवृत्ति हमेशा के लिये खत्म हो जायगी और दूसरी तरफ सरकार के पास बहुत बड़े पॉवर्स डिस्क्रिशनरी हैं, वह चाहे तो किसी को फ्री फंड में से पैसे दे दे, चाहे तो उसको ग्रान्ट-इन-एड दे दे, वह चीज भी एक

(१२.० मध्यान्ह)

तरह से खत्म हो जायगी। आज भीलवाड़ा की म्युनिसिपैलिटी और उदयपुर की म्युनिसि-पैलिटी को सरकार की लोन देने की पॉलिसी है वहां जोधपुर म्युनिसिपैलिटी और बीकानेर म्युनिसिपैलिटी को लोन देने में नहीं है। बहुत डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं। वाटर वर्क्स लोन्स सब म्युनिसिपैलिटीज को दिये हैं, इनको अलग रखा जाय और दूसरे फीगर्स को देखा जाय तो लोन देने में बड़ी डिस्क्रिपेन्सीज़ नजर आयेंगी।

तो इसके लिए सरकार को एक प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिये कि इतने सिटीज़ में स्लम क्लियरेन्स का काम शुरू करेंगे और इतनी अमुक तादाद में नागरिक जहां रहते हैं वहां वाटर वर्क्स का लोन देंगे। आपने रुपया नगर-पालिका को दे दिया, उस रकम का व्याज भी नगरपालिका से आप लेंगे। फिर भी सरकार जहां वाटर वर्क्स बन गये हैं वहां उन वाटर वर्क्स का चार्ज म्युनिसिपैलिटीज़ को देने से इन्कार करती है। उदयपुर नगरपालिका के सदस्यों से बात करने का मौका मिला। वे कहते हैं कि वाटर वर्क्स का चार्ज हमें नहीं दिया जाता है। आपने रुपया अपने अकाउन्ट में उनके नाम लिख रखा है, आप व्याज उनसे लेंगे फिर भी वाटर वर्क्स को आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सम्भाले, यह कहां तक उचित है? आप यह दलील देंगे कि उनमें बहुत इन-एफिशियेन्सी है। पर इस दलील पर आप उनको उनके हक से महरूम नहीं रख सकते। वाटर वर्क्स के लिये आपने लोन दिया है तो ज्योंही वह पूर्ण हो, आपका कर्त्तव्य है कि वाटर वर्क्स उनको सौंपें।

इसके अलावा हमारी सरकार को पोलिसी डिक्लेअर करनी चाहिये कि इन इन प्रॉग्राम्स में हम म्युनिसिपैलिटीज़ को लोन देते हैं। जैसे गनगोर के मेले के लिये उदयपुर में ३ हजार दिये और नाथद्वारा की म्युनिसिपैलिटी ने मांगा तो सरकार ने इन्कार कर दिया। तो इस प्रकार की सिद्धान्तहीनता हमारी स्टेट पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन को साबित करती है। एक को देते हैं, दूसरी को नहीं देते हैं तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बन्द होना चाहिये और सब के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिये। आपकी पॉलिसी डिक्लेअर होनी चाहिये कि अमुक अमुक कार्य के लिये इतना देंगे और फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। इस तरह पॉलिसी डिक्लेअर नहीं करने के कारण ही इस तरह की बातें पैदा होती हैं और फ्री फंड पर पंचायतों को देने के लिए

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जो बहस हो रही है वह इस प्रकार के डिस्क्रि-मिनेशन का ही फल है। फ्री फंड में अलग अलग डिविज़न्स को डिस्ट्रिब्यूट किया जाय, इस प्रकार की चीज को रखा जाय तो डिस्क्रि-मिनेशन को शिकायत किसी को नहीं रहेगी।

इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में टैक्सेज का १२॥ प्रतिशत रुपया इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जाना चाहिये जिससे हमारी लोकल बोडीज़ को भीख न मांगनी पड़े, भिखमंगों की स्थिति में वे नहीं रहें।

साथ ही आज नगरपालिका और पंचायतों के चुनावों में सरकार की ओर से ढिलाई की जाती है। उसके क्या कारण हैं? जबकि सारे देश में चुनाव बीस दिन के अन्दर सम्पन्न हो सकते हैं तो फिर हमारे राजस्थान में क्या कारण है कि नगरपालिकाओं का चुनाव छः छः वर्ष तक नहीं होता है? मैं आपको बताऊं कि बीकानेर नगरपालिका का चुनाव सन् ५६ में कराया गया और आज १६६२ हो रहा है, लेकिन उसके पुनः चुनाव नहीं कराते। वहां पर एक्सटेन्शन ग्रान्ट कर दिया। चूंकि वहां पर कांग्रेस उस नगरपालिका में बहुमत में थी और अब एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर बैठा दिया इसका कारण यह था कि जो कांग्रेस का डिसिडेन्ट ग्रुप था और नगर-पालिका में विद्यमान था और सत्तारूढ कांग्रेस दल से उनकी नहीं पटती थी इसलिए उनको हटा कर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। जो पहले वहां का प्रेसीडेन्ट था उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। लेकिन सभापति महोदय, दूसरी जगह जहां राजस्थान में नगरपालिकायें हैं उनके चुनाव भी नहीं कराये गये हैं और जिन नगरपालिकाओं में कांग्रेस का बहुमत नहीं था उनको भंग करके वहां पर उस नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया और उनके स्थान पर क्लेक्टर वगैरह को नियुक्त कर दिया एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यह जानकारी करना चाहूँगा कि आखिर आपकी क्या पॉलिसी है? इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट सब नगरपालिकायें थीं में होने चाहिये और सरकार की सब जगह एक प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिये। जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की नगरपालिकायें थी तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और जहां कांग्रेस की नगरपालिकायें नहीं थी वहां हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया। यह एक सिद्धान्तहीनता की नीति है सरकार की। भीलवाड़ा में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। कोई वह एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करता है। सभा, सोसाइटियों में भाषण देता है और कहता है कि यह कर देंगे, नालियां बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। दूसरे दिन उसी आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया सरकार ने और एडमि-निस्ट्रेटर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। यह का यह आपने कपासन में किया। यह जो सरकार की पॉलिसी है उसकी मैं निन्दा करता हूँ और सरकार की जो इस प्रकार की सिद्धान्तहीनता की नीति है उसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जाय, उसकी भर्त्सना की जाय उतनी ही कम है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सभापति महोदय, अब मैं अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कहना चाहता हूं। आपने १४ हजार रुपया स्केअरसिटी एरियाज़ के लिए रखा है और ५० हजार रुपया फायर और फ्लड्स के लिए रखे हैं। फायर और फ्लड्स के लिए जो पचास हजार रुपया रखा है वह टीक है। लेकिन स्केअरसिटी एरियाज़ के लिए आपने जो १४ हजार रुपया रखा है वह इतना कम है और साथ ही रुपया समय पर उनको मिलता भी नहीं। बीकानेर के अभावग्रस्त गांवों का सवाल था तो मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया कि कलेक्टर ने देर से मांग की थी। इसलिए फरवरी में पैसा सैंक्शन किया। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत समितियों की मीटिंग्स हो रही हैं कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में और अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में कब तक रुपया दे दिया जाय। उन अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में देर से रुपया दिया जाता है और अब फरवरी में रुपया दिया है, जब कि उनको बहुत पहले ही इसकी आवश्यकता थी। यह कितनी हिकारत की बात है, कितनी शर्मनाक बात है। रुपया भी देते हैं और वह भी उनको समय पर न मिले तो वह किस काम का ? यदि इस सम्बन्ध में ढिलाई है अधिकारियों की तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गांवों में इन्सानों की, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उनके ऊपर नेचर ने कृपा नहीं की है, एक मन अनाज भी जहां नहीं हुआ है, सरकार उनको काम दे, जिससे वे अपने पेट का पालन कर सकें, गुजर बसर कर सकें और इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आना चाहिये।

अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं कहूंगा कि आगे और फ्लड्स के ऊपर आपकी मदद पहुंचती नहीं है और इसको पहुंचाने के लिए खास तौर पर मिनिस्टर महोदय की जिम्मेदारी है, जिनके पास यह डिपार्टमेंट है। जहां कहीं से इस प्रकार की डिमान्ड आयी तो वे खुद देखें, उसमें वे खुद पर्सनल इन्टरेस्ट लें कि वहां काम शुरू हुआ या नहीं और काम नहीं हुआ है तो वहां इन्सपेक्शन करें, टूर प्रोग्राम रखें और देखें कि काम फौरन शुरू किये जायं।

दो मिनट और अर्ज करना चाहूंगा, सभापति महोदय। २० हजार रुपया रखा है ऐसे लोन्स के लिए जो इर्रिकवरेबल हो गये हैं। पिछले वर्ष २० हजार की रकम रखी गई थी उसकी जगह १ लाख और कितने ही हजार रुपया जो इर्रिकवरेबल लोन्स के बन गये। हर साल बैंक डेट्स में ये लोन दिखाते हैं। मैं आपको इस समय इसकी तफसील नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि किन किन को ये लोन्स दिये गये हैं, किस किस अधिकारी के जमाने में ये लोन्स दिये गये हैं और उनको वसूल करने की क्या क्या कार्यवाही की है और नहीं की गई है तो यह आपकी खुद की इन्केपेबिलिटी है और इस तरह से अधिकारियों द्वारा दिये गये कह कर इन इर्रिकवरेबल लोन्स को बजट में दिया है। लाखों रुपया टैक्स से आते हैं और इस तरह से जनता के पैसे को आप लोग बरबाद करते हैं तो आपको अपनी नीति को बदलना चाहिये और आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो मैं कहूँगा कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जिन जिन अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के लोन्स दिये गये हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये। जिनके जमाने में इस प्रकार से लोन्स दिये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने से अन्य अधिकारियों को भी यह सबक रहेगा कि हमारे खिलाफ भी इस प्रकार से लोन्स दिये गये तो कार्यवाही हो सकती है और यह ग्रौस मिसबिहेवियर है पब्लिक मनी के साथ। यह अधिकारियों की तनख्वाह में से वसूल होना चाहिये ताकि उनको यह भी मालूम रहे कि उनकी तनख्वाहों से भी यह वसूल हो सकता है। यह निवेदन करते हुए और अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब कल दिया जावेगा ?

श्री सभापति : जी हां, जवाब कल देया जायगा ।

श्री हीराभाई : मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है वह इसलिए कि अचानक कोई विपत्तियां जो प्रकृति से पैदा हो जाती हैं उनको सुलझाने के लिए जो सरकार की नीति है, जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक जैसी रही है उसका तो मैं टिप्पणा पास नहीं रखता और बांच नहीं सकता, लेकिन इस तरह की स्थिति चल रही है और हमारी सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि उनके कटौती प्रस्ताव नं० ५० को मूव करने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए वे ५१ पर ही बोलेंगे।

श्री हीराभाई : प्रदर्शनी के लिए तो बन्द कर दिया गया है। अभावग्रस्त के बारे में बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं छोटीसी मिसाल सन् ६०–६१ की रखने की कोशिश करूंगा। सन् ६०–६१ में हमारे यहां पर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और थोड़े से जालोर के हिस्से में बरसात इतनी कम होने के कारण इतना भयंकर अकाल पड़ा कि उससे खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों ही फसलें खराब हो गई। क्योंकि रबी की फसल बोने का टाइम नहीं आया। इतने बड़े अकाल की तरफ सरकार ने देख कर उन क्षेत्रों को सहायता के लिये कोई मदद नहीं दी। आखिर जनता चिल्लाती रही। दिन में दीया (दीपक) बताकर आपको बताने की कोशिश की यहां पर अकाल है इसको सहायता दी जाय। दिसम्बर से वहां अकाल चालू हो जाता है लेकिन आपके यहां से सहायता फरवरी और मार्च की शुरूआत में मिलती है। वह भी सहायता इतनी दी गई कि केवल चार लाख आदमी जहां इससे पीड़ित हुए वहां ढाई लाख रुपये की मदद दी। यह आपको मान लेना चाहिये कि जहां एक आदमी के पीछे ३६५ रुपया साल का खर्चा होता है वहां हमारी सरकार उनकी

(श्री हीराभाई)

भूख बुझाने के लिये-चार लाख जनता के लिये-दो रुपया, ढाई रुपया सालाना प्रत्येक व्यक्ति के लिये देती है। यह हमारी सरकार की नीति है ! कहां तक लोग विश्वास माने सरकार के कहने में कब विश्वास करें। यह सरकार की नाराजगी है गरीब लोगों पर। बड़े बड़े लोगों को लाखों रुपयों की सहायता दी जाती है और जब टैक्स लगाने का मौका आता है तो इन बेचारे गरीबों पर जो धान बोते हैं, खेती करते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जब कभी उनको सहायता देने की बात आती है तो दो रुपया ढाई रुपया, प्रति व्यक्ति सहायता दी जाती है। आज होता क्या है कि वह ढाई रुपया भी एक आदमी पर नहीं एक फेमिली पर है। एक फेमिली में जहां ७ आदमी हैं वहां सातों तो मजदूरी पर नहीं जाते, एक आदमी जाता है जिसको एक रुपया मिलता है। इसलिये श्रीमान्, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि जहां राहत देने का सवाल है वहां जनता के साथ खिलवाड़ न करें। जब इनको सहायता देने का सवाल आता है तो कहा यह जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन एक विदेशी जो हमारे यहां पर मेहमान होकर आता है उसके स्वागत के लिये लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब गरीबों को देने का सवाल आता है तब कहा जाता है कि हमारे घाटा है। जब मिसेज़ केनेडी हमारे यहां मेहमान बन कर आयी तो उनके स्वागत के लिये सड़कों पर पुलिस के नौजवान खड़े किये गये, थानेदारों को जानवरों की तरह खड़ा रखा गया और इस तरह से हजारों रुपये एक मेहमान के स्वागत में हम खर्च कर देते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Mr. Chairman, Sir. He disturbs our relations with a foreign country. The Hon'ble Member should be debarred from casting any reflection on a foreign dignitary. It is a question pertaining to Central Goverament, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, इसमें किसी विदेशी मेहमान के अपमान का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य तो सिर्फ यही कह रहे थे कि विदेशी मेहमानों पर इतना खर्च किया जाता है उसको बचा कर रिलीफ कार्य में खर्च कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर्सनलिटीज़ का हवाला दिया गया है। It is a controversial point that has been introduced here.

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस बात का खयाल रखें कि अनावश्यक रूप से फॉरन पर्सनलिटीज़ का जिक्र यहां न करें।

श्री हीराभाई : सभापति महोदय, मैं तो यह बता रहा था कि मेहमानों के लिये बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। एक तरफ तो गरीबों के लिये जब खर्च करने का सवाल आता है तो घाटा बताया जाता है और गांवों में रहनेवाले गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, यह जनता के हित की बात नहीं है। यह प्रजातंत्र नहीं है कि जहाँ एक एक व्यक्ति के लिये आप दो दो रुपया सालाना खर्च करें और वहां एक एक मिनिस्टर के पीछे दो दो मोटरें दौड़ती हैं, उनके पीछे लम्बी गार्ड रहती है। हमारे मिनिस्टर लोग कोई डाकू थोड़े ही हैं, मिनिस्टर लोग तो देश-सेवक हैं उनके लिये

(श्री हीराभाई)

इतना खर्चा क्यों किया जाता है ? यह हमारी जनता के लिये फेवर की बात नहीं होगी । एक ओर राजा महाराजाओं को लाखों रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे यहां जो रिलीफ कार्य के लिये मांगा जाता है तो चार लाख जनता के लिये सिर्फ दो ढाई लाख रुपया दिया जाता है । इस तरह से जनता के साथ पर्दा रखना मैं समझता हूं आज के जनतन्त्र के युग में ठीक नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात है, जब किसी के मकान आदि जल जाते हैं उसको सरकार समय पर मदद नहीं देती । उसके लिये दस दस, पन्द्रह पन्द्रह बार डिपार्टमेन्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी जो सहायता दी जाती है वह केवल चालीस और पच्चीस रुपये की । माननीय सभापति महोदय, जिनके हजारों रु० का नुकसान होता है उनको आप २५) रु० और ४०) रु० की सहायता देते हैं ! उनका क्या काम चलने वाला है ? सरकार को चाहिये कि इस समस्या को सुलझाने के लिये भी काफी धन रखना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समय के अभाव को देखते हुए आप एक मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें । आपका केवल एक ही कट मोशन था जिसके लिये ५ से ८ मिनट काफी हैं ।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है जहां पर अचानक अकाल पड़ जाता है वहां के लोगों पर डिक्री नहीं आनी चाहिये, उनके घर आदि को नीलाम किया जाता है वह नहीं होना चाहिये । एक तरफ गरीब जनता को जब अकाल पड़ता है तो वहां उसको सहायता देनी चाहिये वह न मिल कर उन पर कुर्की लाई जाती है मकान, आदि नीलाम किये जाते हैं; यह नहीं होना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं इस डिमान्ड पर अपना कटौती प्रस्ताव रखूं, आप से एक निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह कि अभी हाउस में जो बजट के आंकड़ों के बारे में बहस हुई थी उसमें अंग्रेजी और हिन्दी के आंकड़ों में फर्क बताया गया । इसके लिये मेरी आप से यह प्रार्थना है कि आप सेक्रेटरी महोदय को इजाजत दें कि जिनके पास हिन्दी का बजट पहुंचा है वे अगर अंग्रेजी का लेना चाहें तो उनको उसकी कॉपी मिल जानी चाहिये, क्योंकि फाइनेन्शियल बिल और एप्रोप्रियेशन बिल आने वाला है उन पर बहस करने के लिये आंकड़े हिन्दी के बजट के आधार पर स्टडी करके तैयारी कर रखी है तो उनमें अगर डिफरेन्स हो तो उसे ठीक कर सकें । इसलिये यह व्यवस्था पहले कर दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय, इस मांग के ऊपर जो बहस हो रही है इसके लिये मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । उनमें मैं जहां तक पंचायत

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

समितियों को फ्री फंड के लिये जो अलॉट की गई धनराशि है उसके अन्दर जो कटोतरी इस साल की गई है ६१-६२ के अन्दर जो उसमें धनराशि रखी गई थी उसको भी उस साल के अन्दर पंचायत समितियों को पूरा नहीं दिया गया, इस बारे में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त में भी मैंने इस सदन में यह अर्ज किया था कि इस राज्य को जो नीति है वह समाजवादी नीति नहीं है, बल्कि समाजवाद को खतम करने की ओर मूलत: उसको हमारे प्रान्त में स्थापित करने की इस सरकार की मंशा नहीं है। इसका एक ही कारण है वह है आज इस प्रदेश के अन्दर ९० प्रतिशत जो जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में रहती है और दस प्रतिशत जो शहरों में रहती है उन दोनों को जो धनराशि इस सरकार के द्वारा दी जाती है या इन दोनों के ऊपर खर्च करने की जो सरकार की नीति है उस नीति में इतना बड़ा भारी फर्क है जिसके लिये इस सरकार को जितना भी भला-बुरा कहा जावे वह कम है इसका सही प्रमाण हमारे सामने है कि पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है वह प्रति व्यक्ति चार आने के हिसाब से और म्यूनिसिपैलिटियों को जो पैसा दिया जाता है वह प्रति व्यक्ति आठ आने के हिसाब से दिया जाता है। यह बड़ा भारी फर्क समानता के आधार पर समाजवाद कायम करने की नीति के विरूद्ध है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां इतना बड़ा डिफरेन्स हो कि एक को चार आने के हिसाब से और दूसरे को आठ आने के हिसाब से धन दिया जावे वहां समाजवाद को कोई बात ही नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये इस सरकार को यह मान लेना चाहिये कि उनकी समाजवाद की नीति बिल्कुल गलत है और हम समाजवाद के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही एक बात होती तो भी मान लेता पर एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। सभापति महोदय, कि यही फर्क नहीं है कि पंचायत को ही आप कम धन राशि देते हैं और म्यूनिसिपैलिटियों को डबल देते हैं, पर बहुत सी म्यूनिसिपैलिटियें ऐसी भी हैं जिनको आप वहां के विकास काम् के लिये समय समय पर लाखों रुपया उधार भी देते हैं जहां पंचायतों को अपने में विकास का काम करने के लिये अगर वे मांगें धनराशि, एक पैसा भी सरकार उधार नहीं देती। यहां तक कि हमने पंचायतों और पंचायत समितियों से कितने ही प्रार्थना-पत्र सरकार के सामने पेश किये व प्रार्थना-पत्र विकास विभाग में भेजे कि अमुक अमुक काम करने के लिये आप अमुक अमुक पंचायत और पंचायत समिति को विशेष धनराशि, बीस सालाना कर्ज के रुप में व्याज के साथ दीजिये वो आपको व्याज समेत चुका देंगे, उसके उपरान्त भी विकास विभाग की तरफ से इन पंचायतों को और पंचायत समितियों को एक पैसा भी नहीं दिया गया, जहां कि म्यूनिसिपैलिटियों को बड़ी बड़ी धनराशि लाखों रुपयों की एक साथ उधार दी गई हैं। ऐसा नमूना भी हमारे राजस्थान में है।

जहां इतना बड़ा फर्क गांव और शहरों की जनता के विकास कार्यों के लिये सरकार में हो, क्या उस सरकार को समाजवादी सरकार कहा जा सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन बात है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पंचायत समितियों को जो फ्री फण्ड का पैसा इसलिए दिया गया था कि वे इसे अपने विकास कामों में खर्च करें १,४५ हजार रुपया तीसरी योजना में एक एक पंचायत समिति को अलॉट किया गया था और उसमें से २६ हजार रुपया एक साल में एक पंचायत समिति को दिया गया था । जब हमें बजट मालूम हुआ तो खुशी हुई कि सरकार की नीयत पंचायतों और पंचायती राज को कायम करने के लिये जो नीति अपनाई गई है उसकी तरफ एक कदम बढाया है । जो पैसा फण्ड के नाम से दिया गया उससे पंचायत और पंचायत समितियों की मूल आमदनी बढ़ेगी। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो दरख्त शुरु से पैदा ही नहीं हुआ उसको जड़ से ही काट डाला गया और ११ हजार की धनराशि की कटौती ६१-६२ में पंचायतों व पंचायत समितियों को दी जाने वाली इस धनराशि में करदी गई। म्यूनिसिपैलिटी को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को वहां के विकास के कामों में जिस तरह से चाहे म्यूनिसिपैलिटी खर्च कर सकती है और उस पैसे को खर्च करने के लिये शहर की जनता से एक पैसा भी जन--सहयोग व श्रमदान के रूप में नहीं लिया जाता। इसके विपरीत जहां पंचायत समिति को फ्री फण्ड का जो पैसा दिया गया है वह भी इस शर्त पर दिया गया है कि जहां चालीस रुपया सरकार या पंचायत समिति खर्च करेगी वहां ६०) रु० जन-सहयोग या श्रमदान से खर्च करना पड़ेगा, तब उस धन राशि का उपयोग हो सकता है। जहां इतना बड़ा फर्क आपकी नीति में हो वहां क्या आप अपनी नीति को समाजवाद की नीति कह सकते हैं ?

जहां समाजवाद की नीति पर अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, जहां गरीब किसान, मजदूर और गांव के साधारण से साधारण लोगों की उपयोग की एक ही चीज पर चार पांच तरह के टैक्स लगाते हैं और उनसे वसूल करते हैं, पर जब उनके विकास कार्यों का सवाल आता है तो जन-सहयोग और श्रमदान की मांग करते हैं । इसलिये में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी को जहां शहरों से लैंड रेवेन्यू कम आता है इतनी सुविधा दे रखी है फ्री फण्ड के पैसे को वहां गांव के लिए विकास कार्यों में खर्च करने के ३२ लाख १० हजार से काट कर आपने पांच लाख १० हजार कर दिया है उसको फिर बराबर ३२ लाख १० हजार रखना चाहिये और उसको भी बराबर पंचायत समितियों को बांट देना चाहिये और उनको यह इजाजत होनी चाहिये कि जिस तरह म्यूनिसिपैलिटी अपने पैसे को खर्च कर सकती है उसी तरह से पंचायतें और पंचायत समितियां भी अपनी आमदनी बढाने के लिये जैसा उपयुक्त समझे उस तरह से उस फ्री फण्ड के पैसे का उपयोग करें । उस पर कोई इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये जैसा अभी है । यह अधिकार अगर आप पंचायत समितियों को नहीं देते हैं ? तो इस फ्री फण्ड को देने का कोई उनको ही नहीं है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि पंचायत और पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति राजस्थान में इस काबिल नहीं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है कि वह अपने नौकरों को भी पूरी तनख्वाह दे सके तो फिर वे कहां से यह ६० परसेन्ट पैसा लावेंगी ? इसलिये इस तरह की बात कही जावे तो गलत है। यह फ्री फण्ड का पैसा या तो अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिये और अगर इतना भी नहीं मानते हैं तो मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको उधार के रूप में दे दिया जावे और बीस साल में व्याज के साथ वापिस लेवें तो भी पंचायत समितियां इस पैसे को खर्च कर सकती हैं।

मेरा ही दूसरा कटौती का मेरा प्रस्ताव है बाढ और आग लगने पर सरकार द्वारा दी जानीवाली सहायता के बारे में। बाढ़ और आग लगने से नुकसान होता है इसके लिये जो पैसा मुआवजे का दिया जाता है उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बजट में इसके लिये पचास हजार की धनराशि कुल रखी है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिला कलक्टर साहब के पास इस मद में सिर्फ २६०) रु० हैं। बताइये एक जिले भर के लिये जहां भीलवाड़ा सरीखा जिला है, जिसमें ११ तहसीलें हैं, उसमें कहीं आग लगे और नुकसान हो तो उसका मुआवजा देने के लिये भीलवाड़े जैसे जिले में २६०) रु० काफी हो सकता है ? जहां दूसरी तरफ शहरों में आप फायर ब्रिगेडों पर लाखों, हजारों रुपया खर्च किया करते हैं वहां आप गांवों के लोगों को आग लगने पर, बाढ आने पर, देवी प्रकोप हो जाने पर सारे जिले के गांवों के लिये २६०) देते हैं ! अगर आप इसी समाजवाद की नीति पर चलना कहते हैं तो यह समाजवाद की निति आपको ही मुबारिक हो।

इसलिये मैंने जब कभी भी कुछ कहा है दो बातें मुख्य तौर से कही हैं। एक यह कि यह सही है कि हमारी यह सरकार समाजवाद की विरोधी सरकार है। दूसरी बात जो कही वह यह कि यह हमारी सरकार जिस विभाग में जो काम करना चाहती है वह प्लानिंग के आधार पर नहीं करना चाहती। उसके पास कोई भी मुकम्मिल प्लान किसी भी विभाग में साल भर के लिए नहीं है इसके दो चार नमूने दो मिनट में कह कर मैं अपना भाषण पूरा करना चाहता हूं।

जिस तरह से सरकार ने नियम बना रखा है कि औषधालय की बिल्डिंग बनाने के लिये पूरे अधिकार पंचायत समितियों को हैं। एक बात और कहूंगा कि ये सारी नीतियां, इस सरकार की सारी नीतियां राजनैतिक आधार पर चलती हैं।

अब आप कहेंगे कि फिर राजनीति की बात कह कर हाउस का टाइम खराब करते हैं या गलत बात कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि चुनाव के पहले मांडल के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और आपके आयुर्वेद के मंत्री महोदय ने वहां पर औषधालय की बिल्डिंग के लिए सरकार की तरफ से ५ हजार रु० देने का एलान किया, जो कि गैर कानूनी था। इस कानून के तेहत पंचायत समिति ही औषधालय की बिल्डिंग के लिए पैसा दे सकती है और इस तरह का एलान करना गैर कानूनी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कोई औषधालय बनाने के लिए पैसा दे दिया जाय तो वह गैर कानूनी हो जाता है इनके कहने से ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हो जाता है या नहीं, यह कानून की बात है। इस पर हमें कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां से ये आये हैं वहां हजारों रुपया खर्च कर दिया और इनसे ज्यादा आबादी वाले गांव हैं वहां रकम कम खर्च की गयी। फिर कहीं अगर औषधालय के लिए पैसा दे दिया जाता है तो उसको गैर-कानूनी कहा जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या सदस्य महोदय को मालूम है कि वह पंचायत समिति के तहत औषधालय खुल रहा था या सरकार की तरफ से खुल रहा था? यह जानकारी माननीय सदस्य रखते हैं क्या?

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, मैं जहां तक जानकारी रखता हूँ पंचायत समिति के तहत ही औषधालय खोले जाते हैं और ऐसा प्रावधान एक्ट में है कि उन औषधालयों के निरीक्षण करने का अधिकार पंचायत समितियों को ही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पंचायत समिति के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग नहीं है। उसके अन्तर्गत नहीं खोले जाते हैं। आयुर्वेद विभाग बिल्कुल अलग विभाग है।

श्री सभापति : देखिये, आप केवल पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन पर ही बात पूछ लीजिए तो ठीक है, लेकिन भाषण के बीच में दखल देकर भाषण शुरू करना यहां की परम्परा के विरुद्ध है। इसलिए इस बात का आप विचार रखें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सभापति महोदय, यह मैंने एक बात कही और वह माननीय सदस्य की कॉन्स्टीट्युएन्सी से संबंध रखती थी। यह ठीक चुनाव के पहले किया गया था। वहां की एक हायर सेकिन्डरी की बिल्डिंग के लिए २० हजार रुपया दिया जो कि राजस्थान के अन्दर नई स्कूलों के लिये कहीं नहीं दिया गया। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ सरकार की अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की नीति के बारे में आसींद, बनेड़ा और माण्डल के कुछ क्षेत्रों को चुनावों के कुछ दिनों पहले पंचायत समिति और जिला परिषद् की सिफारिश के बाद सरकार ने उनको अभावग्रस्त घोषित किया। आसींद और माण्डल में तो २५-२५ हजार रुपये उस काम के लिए दिए गए और बनेड़ा में सिर्फ १० हजार रुपये दिये गये। उसमें से भी जिस काम के लिए दिए गए थे उसके लिए सिर्फ ५०० रुपये ही खर्च किए गए, क्योंकि वहां से विधान सभा के लिए विरोधी दल का सदस्य खड़ा होनेवाला था। यह राजनीति की बात नहीं तो और क्या है!....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, आपके यहां से कितने गांव अभावग्रस्त घोषित हुए थे?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Pardon Sir, सुना नहीं जरा फिर से दोहरा दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी तहसील के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित हुए थे?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी तहसील माण्डल, आसींद से आधी है या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): आप उस समय कांग्रेसजन ही थे।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : न तो मैं कांग्रेजन उस समय था और न हूँ और न ही होना चाहता हूँ। यह तो आपको ही मुबारक हो और मैं यह भी कह सकता हूँ कि आप न जाने कब वहां से उठ कर यहां आनेवाले हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):xx xx

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !!

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी अभी नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं xxxxगया मैं उसको अपने सम्मान का प्रश्न समझता हूं और सभापति महोदय, मैं आप से रूलिंग चाहता हूं कि उस समय मैं मेम्बर नहीं था और उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और उनको जब तक इन वर्ड्स को वापिस लेने की इजाजत नहीं होगी, मैं इस सदन के बाहर बहिर्गमन करूंगा, क्योंकि एक सज्जन जो यहां सदस्य हैं उनके लिए गलत रिपोर्ट देना यह उसके अपमान की बात है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : These words must be withdrawn, Sir. It is a wrong statement.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए ।

श्री सभापति : इस सदन में मैं समझता

xxxxअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिए जो कि बिल्कुल सीधी अपनी जानकारी में न हो और उत्तेजना में आकर भी कोई बात कहना यहां की परम्परा के विरुद्ध है। इसलिए जो कुछ भी कहा गया उसको एक्सपन्ज करने के लिए मैं मन्जूर करता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी तो सुन लीजिए । मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : It has been expunged.

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि xxxx

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अब खत्म भी करो ।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया: उन्होंने बोला तब तो आप मेरी मदद को नहीं आये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! उन्होंने जो कहा वह एक्सपन्ज कर दिया गया है और जो आपने कहा वह भी एक्सपन्ज किये जाते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : वह तो चेयर की मर्जी है और इसको शिरोधार्य करना मेम्बर का कर्तव्य है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोईन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर, हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके अनुसार जो

xxxxअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री भैरोंसिंह)

शब्द कोई भी माननीय सदस्य यहां सदन में व्यक्त करें और जो अनपार्लियामेंटरी हों या आपत्तिजनक हों तो उन शब्दों को कह कर फेर एक्सपन्ज किया जाता है कि कौन से शब्द एक्सपन्ज किये गये। इस प्रकार से तो पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या कहा था, जो एक्सपन्ज किये और इन्होंने क्या कहा था, जो एक्सपन्ज किये गये। इस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन शब्दों को आप एक्सपन्ज करने के लिए आदेश दे रहे हैं वे सदन को बता दिये जायें ताकि सदन को मालूम हो जाये और प्रेस को और बाकी के मेम्बर्स को मालूम हो जाये कि वे कौन से शब्द हैं जिनको एक्सपन्ज किया गया है।

श्री सभापति : प्रारम्भ में जो यह कहा गया और जहां तक मुझे याद है वह यह था के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे ×XXX मैंने यह समझा कि इस सदन में सिर्फ सीधी जानकारी में कोई इस प्रकार की बात कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है; बल्कि ये उत्तेजनात्मक शब्द हैं इसलिए अनपार्लियामेन्टरी नहीं होते हुए भी सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं। इसलिए उनको एक्सपन्ज किया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो ×XXX की बात कही थी।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंहजी ने जो शब्द कहे थे मैं निवेदन करूंगा कि वह रिपीट करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is on the record. It is unnecessary that it shoiuld be repeated. The chair can refer to the records of the House, Sir.

श्री सभापति : यह जब रेकॉर्ड तैयार हो जायेगा, उनको एक्सपन्ज करने के लिए, मोटे तौर पर मालूम है, और उनको एक्सपन्ज कर दिया जायेगा और सदन की जानकारी के लिये यहां भी कह दिया जाएगा। अब मैं समझता हूं कि आपने काफी समय ले लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापति : एक मिनट के लिए आप बोल सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो भी अभावग्रस्त क्षेत्र वहां भीलवाड़ा जिले में घोषित किया गया उसमें किस तरह से पैसा खर्च करने के लिए दिया गया और कहां कितना रुपया खर्च किया गया, उसके आंकड़े मैंने आपके सामने रखे थे। उन आंकड़ों से यह साफ जाहिर है कि आज की सरकार ही नहीं; बल्कि उसके बड़े बड़े जिम्मेदार जो मंत्री महोदय हैं वे भी जिस चीज को नहीं कहना चाहिए उन चीजों को आम भाषणों के अन्दर जनता के सामने गलत कह देते हैं, जिनका कि संबंध दूसरे डिपार्टमेंट्स से होता है।

तो मैं अपने इन दोनों कटौती प्रस्तावों को रखते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि एक जिले में आग से जो नुकसान होता है और उसके लिए दिये जाने वाले मुआवजे के लिए २६०)रु० जो वहां के जिला कलेक्टर

×XX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को दिये जाते हैं वह रुपया बहुत कम है और उसकी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वह पैसा उन गरीबों को मिलता है कि जिनके यहां छोटे छोटे गांवों में घास जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, मकान जल जाते हैं, उन कच्चे मकानों के अन्दर जो बांस वगैरह लगाते हैं वे जल जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए यह धन राशि दी जाती है। यह धन राशि २६०) रु० बहुत कम है। इसलिए यह धन राशि बढ़ाई जानी चाहिए। यह मेरी खासतौर से आप से अर्ज है। और फ्री फण्ड के बारे में भी अर्ज किया कि किस तरह से म्युनिसिपैलिटीज को इजाजत है, उस पैसे को खर्च करने के लिये जो उनको कर्जे के रूप में या अनुदान के रूप में सरकार से मिलता है। उसी तरह पंचायतों को और पंचायत समितियों को भी यह फ्री फण्ड खर्च करने के लिए आजादी होनी चाहिए, जिससे पंचायतें और पंचायत समितियों अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अपने यहां पर इस तरह की एक ठोस योजना बना कर ऐसे मकान हैं, दूकानें हैं या और खेती के फील्डस वगैरह हैं बना कर अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये कार्य कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस तरह से अनुदान देने का जो बजट में रखा जाता है उसका कोई भी महत्व नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे इस अनुदान के ऊपर दो कटौती-प्रस्ताव हैं और जो समाजवादी समाज की ओर अग्रसर होनेवाली सरकार है उसके लिए रोटी, रोजी और मकान इन तीनों चीजों को एक साथ गवर्न करते हैं।

पहला कटौती-प्रस्ताव है नगरपालिका क्षेत्र में बेघरवालों को मकान बनाने के लिए भूमि का एलॉटमेंट हो। आज १४ साल हमारी स्वतन्त्रता को बीत गये, लेकिन आज हमें अफसोस के साथ देखने को और सुनने को मिलता है और कहने को मिलता है कि लगभग चौथाई हिस्सा हमारा तो बाहर फुटपाथ पर चद्दर ओढ कर दिन गुजार रहा है। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे दिलों के अन्दर एक कराह है और इस बात को कभी कभी जाहिर करना चाहते हैं कि हम प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं; बल्कि अपनी स्वार्थ-पूर्ति की ओर जा रहे हैं। हम इस बात के लिए अग्रसर होते हैं कि लैण्ड का सीलिंग हो। मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस बात का सुझाव रखना चाहता हूं कि जितने भी शहर में केपिटलिस्टों के मकान हैं, जितने भी शहर में बड़े बड़े व्यक्तियों के मकान हैं उन मकानों पर सीलिंग लगादी जाय और जिनके पास मकान नहीं है उन मकानों में उन व्यक्तियों को रहने का मौका दिया जाय ताकि वास्तव में समाजवादी समाज की ओर अग्रसर होने वाली इतनी प्रगतिशील विचारधारा को रखने वाली हमारी सरकार इस बात का एक सुबूत दे सकेगी, एक प्रमाण पेश कर सकेगी कि वास्तव में हम उन व्यक्तियों को जिनके पास रहने को मकान नहीं है और जिन्हें फुटपाथ पर सो कर अपने दिन गुजारने पड़ते हैं उन लोगों को

(श्री अब्दुलजब्बार)

मकान देती है, उनको सिर छिपाने का मौका मिलता है। आज जो हजारों बीमारियां होती हैं तो मकानों की समस्या की वजह से होती हैं। जितनी भी इन्फेक्शस बीमारियां हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स आदि वे इसी से होती हैं। इसलिए एक सार्टीफिकेट इश्यु हो जाय कि ऐसे मकानों में जो लोगबाग कीड़े-मकोड़े की तरह जिस तरह कि मालगाड़ी के डिब्बों में बकरे भरे जाते हैं उन मकानों में रहते हैं। यह हमारी सरकार के लिए अफसोस की बात है कि ऐसी समस्या को हल नहीं कर सकी है। एक टाइट कम्पार्टमेंट की तरह भारत के नागरिक अपना जीवन बिताते हैं। इस समस्या को जितना जल्दी हो सके हल करना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी को ऐसे आदेश देने चाहिए कि आदर्श नगर के रूप में बस्तियां बसाने के लिए जमीन का अलॉटमेंट करने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और धनराशि लोन वगैरह देकर उनको मकान बनाने का मौका दें। इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरफ भी चले जाइये मकानों और बाजारों को देख कर ऐसा नजर आता है कि मनुष्य आज की हमारी सरकार के किसी जेलखाने में पहुंच गया हो जहां पर पेशाब करने की जगह होती है, वहीं पर कैदी बन्द किये जाते हैं। बदबू के मारे दिमाग सड़ता है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया जायगा ताकि देश का उद्धार हो सके, जनता यह महसूस कर सके कि वाकई में समाजवादी सरकार की रचना के लिए तैयारी की जा रही है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह खास तौर से ध्यान करने योग्य है। जब हम म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिमान को तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे हड़ताल करते हैं तो उनके ऊपर एसेन्सल सरविसेज का कानून लागू करके गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि साहब, इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई सरविस रूल्स नहीं हैं और राजस्थान सिविल सरविसेज क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स हैं वे एप्लाई करते है और कहीं पर दूसरे प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी होता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिए कोई सरविस रूल्स ऐसे नहीं हैं और साथ ही साथ वे गरीब कर्मचारी उम्र पूरी कर देते हैं लेकिन उनको पेन्शन नहीं दी जाती है। कितने अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ २०-३० वर्ष तक म्युनिसिपैलिटी की नौकरी करता है, अपनी उम्र खपा देता है और आगे जागर यह डिप्लोमा मिलता है, गेट-आउट की गोली से उसकी छाती को छलनी कर देते हैं। इसको न्यायोचित कैसे कहा जा सकता है? दूसरे डिपार्टमेन्ट को पेन्शन देने के लिए फण्ड हैं और म्युनिसिपल कर्मचारी बेचारे आवाज उठाते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है हर तरह से। उनको किसी किस्म के प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, जो आम तौर से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलते हैं। लिहाजा इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मेरी यह मांग है और बड़े पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन से कि सदन इस सम्बन्ध में जोर लगाये कि जो म्युनिसिपिल कर्मचारी पेन्शन पाने वाले हैं उनको पेन्शन मिला करे।

(श्री अब्दुलजब्बार)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां म्युनिसिपैलिटी को अनुदान दिया जाता है, ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है उसमें म्युनिसिपैलिटी की छाती के ऊपर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्जीक्यूटिव ऑफिसर एज ए रिप्रेजेन्टिव ऑफ दी गवर्नमेंट पहुंचाती है इससे क्या होता है कि मोटी मोटी तनख्वाह म्युनिसिपल फण्ड से उनको देने की जरूरत पड़ती है उनके इन्क्रीमेंट वगैरह एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के एरियर्स बरसों तक म्युनिसिपैलिटी को चुकाने पड़ते है नोटिस इश्यू होता रहता है। ऐसी कई मिलालें मेरे पास मौजूद हैं कि जहां आज तक म्युनिसिपैलिटी ऐसे एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के एरियर्स चुका रही हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान करने की आवश्यकता है ताकि यह पैसा जो इस प्रकार से एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पर चुकाया जाता है वह ऊंचे अफसरों की तनख्वाहों में चुकाया जाता है वह उन गरीब कर्मचारियों की पेन्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह एक अहम मसला है और यह एक करारी चोट है हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की तरफ। एक तरफ कॉन्स्टीट्यूशन गारन्टी देता है और दूसरी तरफ कॉन्स्टीट्यूशन यह नहीं कहता कि इनको पेन्शन दी जाय। मिसाल के तौर पर ६० साल का म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के लिए एक्सटेन्शन कर दिया गया है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उनकी एज लिमिट ६० साल कर दी गई है। ऐसी सूरत में उससे मुक्त हो जाने के बाद, ६० साल के बाद, नौकरी से निकलने के बाद वह क्या करेगा! उसके पास पान की दूकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। मंहगाई का यह हाल है कि वह आसमान को छूने जा रही है। वह कर्मचारी क्या करेगा, सिवाय इसके कि वह भीख मांगे। आज तो दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में भी भीख मांगने पर प्रतिबन्ध हो गया है। उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वह फांसी का फंदा अपने गले में लगा ले और यह दुहाई देता रहे कि समाजवादी सरकार का यह है मौजूदा नकशा, जिसके तहत आज भारत का एक नागरिक पेन्शन नहीं मिलने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। यही नहीं, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के साथ में यही अर्ज करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरा गौर किया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय करीब करीब समाप्त होना चाहता है। क्या इस सदन की मन्शा है कि....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कल तो उत्तर हो जायगा! अब तो एक, दो जने ही रह गये हैं उनको मौका दिया जाय।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : कोई भी समय नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति :श्री दयाचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : १ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय सदन का।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १० मिनट और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : The sense of the House is not to extend the time, so you must finish within half a minute.

श्री मानसिंह महार : १-२ मिनट में क्या बोलूंगा ? ५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह मन्शा है कि ५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

५ मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। हम दो वर्ष पूर्व से सुन रहे थे कि हमारे राजस्थान के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। पंचायत राज कायम हुआ है।

आज जब हम हमारी पंचायतों की दयनीय दशा देखते हैं तो इससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार जिसके बारे में कहती है कि पंचायत राज्य है वह खत्म हो गया। उसके खत्म होने का दूसरा नमूना यह है कि उस तरफ इतने कम आदमी आये हैं और आज विरोधी पक्ष इतना सबल है। वह भी नमूना है कि हमारी सरकार की पंचायत राज की जो नीति है वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं निवेदन करूं कि आज गांवों में इतना असन्तोष है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार की नीति रही है वह शहरों को बढ़ावा देने की है और गांवों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देने की है।

सरकार कहती है कि राजस्थान ने पहल की है पंचायत राज में। लेकिन इस पहल का नमूना अगर आप किसी भी पंचायत में जाकर देखेंगे तो महसूस होगा। मैं भी एक पंचायत का सरपंच हूँ इसलिये जानता हूं कि पंचायतें ऐसी हालत में हैं कि उनका दिवाला निकल गया। खास कर जब से न्याय पंचायतें हो गई तब से तो हद हो गई। उनके पास लिखनेवाला क्लर्क नहीं है, चपरासी नहीं है। सरकार ने ऐलान किया था कि हम लैंड रेवेन्यू से अमुक हिस्सा ऐसी पंचायतों को सहायता के रूप में दिया करेंगे। लेकिन क्या बात हुई कि सरकार ने इसको देना अनुचित समझा और वह भी नहीं दिया गया। मेरे एक पूर्व वक्ता मित्र फरमा रहे थे कि पंचायतों को जितनी सहायता दी जाती है उससे दुगुनी आबादी के हिसाब से म्युनिसिपेलिटीज को दी जाती है और म्युनिसिपेलिटीज से एवजाने में कुछ भी नहीं लिया जाता है, श्रमदान के रूप में। यदि पंचायतों को कुछ दिया भी जाता है तो १० आना का अनुपात बताया था, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें १० आना रुपया जिनके लिए श्रमदान करना पड़ता है, यह अन्याय की चीज है। यदि आपको पंचायत राज को सफल बनाना है, यदि उस राज को जिसकी सारे भारतवर्ष में हमने पहल की है उसको कामयाब बनाना है तो हर पंचायत को हर हालत में कम से कम डेढ दो हजार रुपये वार्षिक सहायता दीजिये। यदि नहीं दी जाती है तो आपका पंचायती राज कभी कामयाब नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

(श्री मानसिंह महार)

आज पंचायतों के पास कोई अच्छा लिखने पढ़ने वाला नहीं होता है, कोई देख-रेख करने वाला नहीं होता है। नतीजा यह हो रहा है कि गोचर भूमि से दरख्त काट कर ले जाते हैं तो उनको कौन देखनेवाला है! सरपंच जो बिना पढ़े लिखे होते हैं उनकी हालत को सोचिये। कम पढ़ा लिखा होता है वह सही तरीके से हिसाब नहीं रख सकता। उनके ऊपर विकास अधिकारी वगैरह छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं तो भी इतने हावी हो जाते हैं कि सरपंच हमेशा के लिये उनका एक प्रकार से नौकर की तरह हो जाता है। यदि आप नहीं मानें तो गोविन्दगढ़ में जाकर देखिये। वहां का सरपंच विकास अधिकारी को हुकुम कह कर बोलता है और छोटी छोटी बातों को लेकर विकास अधिकारी उसको कहता है कि मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा, यह क्या कर दिया, वह क्या कर दिया। उनसे भी ऊपर ऑडिट पार्टीज जाती हैं। आप यह समझिये कि आपकी सरकार तो करोड़ों रुपये देकर अकाउन्ट्स रखती हैं लेकिन वे किसी प्रकार अकाउन्ट्स रखें, उनसे आप किस प्रकार की उम्मेद करते हैं कि सरपंच भी हिसाब रखेगा। मैं यह नहीं कहता कि सरपंच को हिसाब नहीं रखना चाहिये, लेकिन उसको इस प्रकार का मौका दीजिये कि हिसाब सही ढंग से बनावे। यदि नहीं बनाते हैं तो कई सरपंचों पर मामले होते हैं। आज का जमाना ऐसा आया है, मैं निवेदन करूं यदि पंचायतों को सहायता नहीं दी जायगी तो........

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १.०५ बजे, शुक्रवार, दिनांक २० अप्रैल के म. पू. ८.० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १६ अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४४४७

जूनियर स्पेश्यलिस्ट्स की पदोन्नति।

कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलेसर (आमेर) में किया गया गबन।

नगर विकास ट्रस्ट, जयपुर द्वारा अलॉटमेन्ट।

जल कष्ट निवारण योजना, सांचोर।

सघन कृषि योजना व लघु सिंचाई योजनाओं के लिये दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था।

नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा वसूल किये जाने वाला यात्री–कर।

पंचायत समिति, नैनवा (बूंदी)।

भाखरा–नांगल प्रोजेक्ट से प्राप्त हुई बिजली।

डिस्पेन्सरी, नापासर का स्थानान्तरण।

कृषि–निपुणों की नियुक्ति।

जल–प्रदाय योजना।

नगरपालिका, बूंदी।

बूंदी अस्पताल में स्थानाभाव।

सड़क–निर्माण।

डिस्पेन्सरी, लूणकरणसर में डॉक्टर का अभाव।

स्कम्भ

स्थगित प्रश्न

१२-४-६२

सड़क–निर्माण।

अल्पकाल सूचना प्रश्न ४५०३

नगर परिषद्, अलवर द्वाराश्रम सहकारी ठेका समिति लिमिटेड की रकम का भुगतान रोकना।

२. प्रतिवेदन का उपस्थान

श्री मथुरादास माथुर गृह मन्त्री ने कार्य सलाहकार समिति Business Advisory Committee) के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट की गई।

३. आय–व्ययक, १९६२–६३ द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध ४५०४

स्कम्भ

उपरोक्त मांग पर सदन द्वारा आज भी विचार किया गया तथा ४४ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये।

सदन की बैठक १ बज कर ५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक २० अप्रेल, १६६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक २० अप्रेल, १६६२ की कार्य सूची

स्कम्भ

(१) भाग संख्या ३५–विविध (पूर्व क्रम से)।

(२) मांग संख्या २२–सामुदायिक परियोजनाएं इत्यादि।

(३) शेष मांगों पर मतदान।

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६२ पुरःस्थापन।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न १६१ का उत्तर देखिये)

List of roads propcsed during the III Five Year Plan in the Udaipur Division

Works in Progress

S. No.	Name of work	Proposals for III Five Year Plan.	Expenditure during 1961-62
1	2	3	4
	UDAIPUR DISTRICT.		
1.	Gravelled Road from Sarupganj to Kotra.	2 Miles.	33, 154/-
2.	Gravelled Road from Charbhuja to Kelwara and Charbhuja to Rinched.	1 Mile.	6, 354/-
3.	Road from Chirasar to Bhoria Antalikhera, Salumber.	7 Miles	15,737 -
4.	Road from Potlan linking Udaipur, Chittor, road near mile 30 passing via, Jasma and Bhopalsagar.	18 Miles	Nil.
5.	Metalled road from Nahar Magra to Kapasin-Via Mavli, Fatehnagar and Bhopalsagar.	4 Miles	1,57,553/-
6.	Construction of Kot, Dewair Road.	2 Miles.	Nil.

1	2	3	4
7.	Gravelled road from Sarara to Phalodra on Udaipur Jaisamand Road.	2 Miles.	35,842/-
8.	Gravelled road from Kamli Ghat to Jojawar.	2 Miles	3, 910/-
9.	Improvement of bad reaches of road from Kherwara to Kotra.	1/2 Mile	49,719/-
10.	Gravalled road from Gugrod to Pindwara.	8 1/2 Miles	20,807/-
11.	Improvement of Gravelled road from Salumber to Dhariawad.	14 Miles	12,2/58
12.	Metalling remaining miles of Batewar to Dhariawad road.	3 Miles	14,617/-
13.	Road from Akola to Fatehnagar.	2 Miles	Nil.
14.	Road from Udaipur to Som, Via Gogunda, Kolari,(Phalasia) (Part length).	2 Miles	30,466/-
15.	Gravelled road from Udaipur to Som Via, Jharol, Kolari and Phalasia.	42 Miles	60,222/-
16.	-do- Bansi to Lasadia,	11 1/2 Miles	22,570/-

1	2	3	4
17.	Metalled road from Kunwaria to Rail-Magra, Via Kuraj.	6 Miles	Nil.
18.	Improvement and bitumen treatment of road from Udaipur to Jaisamand.	10 Miles	79,605/-
19.	Widening Udaipur-Chittor road.	1/2 Mile	8,670/-
20.	Completing the remaining portion of gravelled road from Bansi to Bhatewar, Via Dhariawad, Kanod and Bhinder.	1/2 Mile	28,657/-
21.	Partly metalled and partly gravelled portion of Udaipur, Salumber, Dhariawad and Pratapgarh Road.	1 Mile	Nil.
22.	Gravelled road from Bhatawar to Dhariawad Road.	2 Miles.	14,617/-
23.	Metalling Deogarh-Mandal Road.	1 Mile.	—
24.	Approach road from Rikhabdaoji to Kalyanpur.	½ Mile.	7035/-
25.	Gravelled road from		

1	2	3	4
	Bherwara to Ranicbani road.	½ Mile.	202/-
	CHITTORE DISTRICT		
26.	Metalled road from Singoli to Bhainsrorgarh.	10 Miles.	1,13,772/-
27.	Road from Pratapgarh to Arnod, Piploada road.	6 Miles.	1,04,108/-
28.	Metalled road from Chittor to Kapasin.	3½ Miles.	56,076/-
29.	-do-Bhadesar to Kapasin.	9½ Miles.	44,869/-
30.	-do- link road from Bhadesar to Chittor, Nimbahera road.	9 Miles.	21,598/-
31.	-do-Rashmi to Kapasin.	7 Miles.	23,353/-
32.	-do- Nimbahera to Pratapgarh.	39 Miles.	82,104/-
33.	-do- Bundi to Chittor.	3 Miles.	1,59,025/-
34.	Bitumen treatment of Nasirabad, Nimbahera road.	10 Miles.	1,42,608/-
35.	Improvement of road to Chittor to Nimbahera, Neemuch road.	5 Miles.	58,629/-
36.	Gravelled road from		

1	2	3	4
	Mangalwar to Nimbahera.	1 Mile.	24,708/-
37.	Metalled road from Chotti Sadri to Bari-Sadri.	1 Mile.	23,664/-
38.	-do- and Bitumen treatment of Deepura to Bhainrorgarh, Chechat Road.	1 Mile.	5,892/-
39.	Bitumen treatment of Udaipur, Chittorgarh road.	1 Mile	8,075/-
40.	Metalled road from Doongla to Kanod.	½ Mile.	7,927/-
	BHILWARA DISTRICT.		
41.	Metalling of remaining miles of Radnore-Beawar Road.	1½ Miles.	21,771/-
42.	Kotri to Bhilwara.	8 Miles.	59,685/-
43.	Metalled road from Bundi to Chittur.	16 Miles.	1,94,599/-
44.	-do-Shahpura to Jahazpur.	7 Miles.	Nil.
45.	-do-Deogarh to Mandal.	7 Miles.	37,622/-
46.	-do-Shahpura to Bijainagar.	6 Miles.	Nil.
	BANSWARA DISTRICT.		
47.	Metalled road from		

1	2	3	4
	Banaswara to Sagwara.	5 Miles.	83,802/-
48.	-do-Banswara to Pratapgarh.	11 Miles.	35,305/-
49.	-do-Kushalgarh to Junction of Banswara Zalod road.	2 Miles.	60,539/-
50.	Metalled road from Banswara to Aspur, Via Loharia and Sabla.	19½ Miles.	43,953/-
	DUNGARPUR DISTRICT.		
51.	Metalled road from Dungarpur to Aspur.	3 Miles.	1,35,804/-
52.	-do-Dungarpur to Sarthuna.	5 Miles.	54,332/-
53.	-do-Galiakot to Badgaon.	3 Miles.	3,766/-
54.	-do-Sagwara to Galiakot.	2 Miles.	90,027/-
55.	Road from Aspur to Banswara upto Mahi.	6 Miles.	92,626/-

II List of New Works (roads) proposed in Udaipur Division, during III Five Year Plan.

1	2	3	4
	UDAIPUR DISTRICT.		
56.	Gravelled road from Gogunda to Kotra (renaining)	11 Miles.	Nil.
57.	-do-Salumber to Bhinder Via Bambora.	6 Miles.	Nil.
58.	Metalled road from Iswal to Kushalgarh Via Kelwara.	4 Miles.	-do-
59.	-do-Havali to Vallabhnagar.	4 Miles.	-do-
60.	-do-Amet to Amertia.	5 Miles.	-do-
61.	-do-Karni to Railmagra Via Puna, Bughni, Galund.	3 Miles.	-do-
62.	Metalling remaining miles of Gogunda, Saira, Ranakpur road.	4 Miles	-do-
63.	Metalled road from Relmagra to Fatehnagar.	3 Miles.	-do-
64.	-do-Debari to Kurabar.	1 Mile.	-do-
65.	Metalling remaining miles of Kotra, Dhepan road.	7 Miles.	-do-
66.	Metalled Road from Som to Ambaji.	4 Miles.	-do-
67.	Gravelling of remaining miles of Kherwara, Kotra road.	6 Miles.	-do-
68,	Surface painting from		

1	2	3	4
	Wavli to Chittor Via Kapasin.	6 Miles.	-do-
69.	Metalling of Palodra Sarera road.	2 Miles.	-do-
70.	Bitumen treatment of approach road from Udaipur to T. B. Hospital.	4 Miles	-do-
71.	Metalled road from Nathdwara to Haldi Ghati.	5 Miles	28,000/-
72.	Construction of roads in Nathdwara.	—	35,000/-
	CHITTOR DISTRICT.		
73.	Metalled road from Bassi to Gwalior.	4 Miles.	Nil.
74.	Metalling remaining miles of Karauli to Relmagra Via Puna, Rashmi and Galund.	1½ Miles.	1,00,135/-
75.	Metalled road from Dhariawad to Pratapgarh.	5 Miles.	Nil.
76.	Metalled road from Rashmi to Gangrar.	1½ Miles.	3,553/-
77.	-do-Kapasin to Karni Via Galund and Matrikund Upto Matri Kundia.	7½ Miles.	9437/-
78.	-do-Nimbahera to Kanera,	4 Miles.	—
79.	Metalled road from Mangarwar to Doongla.	3½ Miles.	-do-
80	-do-Banswara to Pratapgarh.	3½ Miles.	-do-

1	2	3	4
81.	Metalled road from Arnod to Piplod.	5 Miles.	427/-
	BHILWARA DISTRICT.		
82.	Bitumen treatment of road from Jaipur to Bhilwara Via Malpura, Kekri and Sahapura including Cross Drainage Works.	11 Miles.	Nil.
83.	Metalled road from Kanera to Gangapur.	15 Miles.	-do-
84.	-do-Asind to Gulabpura Via Samhhugarh.	2 Miles.	-do-
85.	Metalled remaining miles of Bhilwara-Asind road.	4 Miles.	-do-
86.	Metalled road from Karui to Relmagra Via Puba, Rashmi and Galund.	3 Miles.	-do-
87.	-do-Mandalgarh to Jahazpur Via Kachola.	5 Miles.	-do-
88.	Satur to Shakergarh Via Owan to join Madalgarh-Jazpur road near Gudha.	2 Miles.	-do-
89.	Metalled road from Bhilwara to Mangroop Via Arnia Mahadev.	6 Miles.	-do-
90.	Bitumen treatment of Bundi-Chittorgarh road.	4 Miles.	-do-
91.	Metalling remaining miles from Banswara to Pratapgarh.	6 Miles.	-do-
92.	Metalled road from rema-		

1	2	3	4
	ining miles of Bagidora to Chinch.	7 Miles.	Nil
93.	Metalled road from Kalinjra to Pratap-pur including minor Cross Drainage Works.	10 Miles.	-do-
94.	-do-Kushalgarh to Banswara Via Chirkan.	6 Miles.	-do-
95.	-do-Loharia to Ghatol.	3 Miles.	-do-
96.	-do- Kushalgarh to Bamania Rly. Station.	5 Miles.	-do-
97.	Bitumen treatment of Banswara, Dungarpur road remaining miles.	13 Miles.	-do-
98.	-do-Banswara, Kushalgarh road.	16 Miles.	-do-
99.	Bitumen treatment of Banswara, Ratlam road.	6 Miles.	-do-
100.	-do-from Kushalgarh to Udaigarh.	7 Miles.	-do-
	DOONGARPUR DISTRICT.		
101.	Metalled road from Somerwara to Sagwara Via Obri and Gowadi including Cross Drainage Works.	[illegible]2 Miles.	Nil
102.	-do-Sagwara to Aspur, upto Panjpur Via Saroda and Padawa,	4 Miles.	-do-

1	2	3	4
103.	Metalled road from Sagwara to Sabla in section of Saroda to Sabla,	3 Miles.	Nil
104.	-do-Punali to Mandelgarh JoJawar to Padwa.	1 Mile.	-do-
105.	-do-Paloda to Garhi	3 Miles.	-do-

List of Cross Drainage Works.

S. No.	Name of Works.	Estimated Cost.	Proposals for III Five Year Plan.	Proposal for subsequent Plans.
1	2	3	4	5
	UDAIPUR DISTRICT.			
106.	(i) Vented causeway on River Jakham near Saipura, Pratapgarh, Dhariawad Road.	1,50,000 -	1,50,000 -	Nil.
107.	Cross drainage works on Udaipur, Jharol, Phalasia road.	2,00,000 -	1,00,000 -	1,00,000 -
108.	Vented causeway over river Sambarwati near Rohera on Saroopganj-Kotra road.	1,50,000 -	1.50,000 -	Nil.
109.	Vented causeway over river Banas near Kuraj, Kunwaria, Ratangarh road.	5,00,000 -	1,50,000 -	3,50,000 -
110.	Vented Causeway over river Wakal on Kherwara-Kotra road.	2,00,000 -	1,00,000 -	1,00,000 -
111.	Cross Drainage works on Salumber, Antali, Khera, Bharai-Kalyanpur road.	3,00,000 -	2,00,000 -	1,00,000 -
112.	Cross Drainage works on Salumber-Dhariawad road.	1,50,000/-	2,00,000/-	50,000/-
	CHITTORE DISTRICT.			
113.	High level Bridge on			

1	2	3	4	5
	Kadmali river in mile 121/5 of Nasirabad-Neemuch Road.	4,00,000/-	1,00,000/-	3,00,000/-
114.	Cross Drainage work on Nasirabad-Nimbahera road.	1,02,000/-	50,000/-	52,000/-
115.	Cross Drainage works on Nimbahera-Pratapgarh Road.	3,00,000/-	1,50,000/-	1,50,000/-
116.	Bridge across Matri-Kundia.	2,80,000/-	10,000/-	3,90,000/-
117.	Cross Drainage works on Chhoti Sadri to Bari Sadri.	4,00,000/-	10,000/-	3,90,000/-
	BHILWARA DISTRICT.			
118.	Construction of a causeway over river Kothari on Bhilwara-Sanganer road.	85,000/-	85,000/-	Nil.
119.	Submersible bridge over River Banas on Shahpura-Jahazpur Road.	10,00,000/-	1,50,000/-	8,50,000/-
120.	Cross Drainage works on Kushalgarh-Udaigarh Road.	1,34,000/-	1,34,000/-	Nil.
121.	Cross Drainage works on Banswara-Pratapgarh Road upto Ghatol.	50,000/-	50,000/-	Nil.
122.	-do-on Aspur Bans-			

1	2	3	4	5
	wara Road.	4,50,000/-	1,00,000/-	3,50,000
123.	Vented causeway on river Mahi on Pratapgarh to Ghatol Road near Pipal Khunt.	8,50,000/-	1,00,000/-	7,50,000/-
	DUNGARPUR DISTRICT.			
124.	Cross Drainage works on Dungarpur-Aspur Road.	50,000/-	50,000/-	Nil.
125.	Construction of a bridge across river Som on Aspur-Salumber Road.	6,00,000/-	6,00,000/-	Nil.
126.	Construction of a bridge across river Mahi on Aspur-Banswara Road.	8,50,000/-	6,23,000/-	2,27,000/-
127.	Construction of a minor bridge across river on Dungarpur-Bichiwara Road.	54,000/-	54,000/-	Nil.
128.	Cross Drainage works on Dungarpur-Sarthuna Road.	1,10,000/-	10,000/-	80,000/-
129.	Cross Drainage works on Moran River near Khargoda.	1,50,000/-	1,80,000/-	Nil.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५४ का उत्तर देखिये)

APPENDIX 'F'

APPOINTMENTS (D) DEPARTMENT

CIRCULAR

JAIPUR, THE MARCH 15, 1958.

Sub : Appointments made on temporary basis without the concurrence of the Rajasthan Publie Service Commission.

No. F. 11 (1) Apptts (D)/58- In supersession of the instructions issued to Secretaries and Heads of Departments in the marginally noted communications the following comperehensive instructions are laid down for observance regarding all appointments made on a temporary basis without the concurrence of the Rajasthan Public Service Commission, to posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commssion:-

1. F. 14 (2) Apptts/(C)/51 dt. 27. 7. 51
2. F. 14 (2) Apptts/(C)/61 dt. 20. 9. 54
3. D. 8686/F. 14(2)Apptts(A)56 dt. 1.12.56
4. D. O. No. 2656/PA/Cs dt. 21.3.57 from the Chief Secretary to all Secretarities.
5. D. 7565/F. 24 (37) Apptts/(A)/57 dated 19. 6. 57.

(i) As soon as a decision is taken to fill up an existing vacancy or a newly sanctioned post, which is likely to last for more than 6 months, a requisition should be sent to the Rajasthan Public Service Commission.

(ii) The requisition should be sent before any steps are taken to make temporary appointments.

(iii) Temporary appointments under Regulations 7 of the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951 should be made only in case of real emergency and nct on the excuse of any urgent necessity to fill up a post.

(iv) As far as possible such emergent appointments should be made by temporary promotions of the senior-most persons already serving in the next

lower post in the same department. If any direct recruitment is considered necessary of persons who are not holding the next lower posts in the same department, a summary short notice advertisement should invariably be issued in the newspapers.

(v) Copies of all orders of temporary appointments made after the 31.12.57 should be sent to the Rajasthan Public Service Commission.

(vi) No temporary appointment to a Gazetted Post of which the appointing authority is Government should be made on account of emergency without taking the prior approval of the Chief Minister through the Chief Secretary. In the copy of the appointment order endorsed to the Accountant General, it should be certified that a requisition has been sent to the Public Service Commission and the reference number should be quoted. The Accountant General will be requested not to issue pay slip unless this certificate is received. Prior concurrence of Chief Minister through Chief Secretary need not, however, be obtained in the cases of appointment to the following categories of posts:—

1. Assistant Engineer.

2. Medical Graduates, appointed as C.A.S. II.

3. Vaterinary Assistant Surgeons Class II.

(vii) Where owing to emergency a temporary appointment is made to a Gazetted post of which the appointing authority is not Government, or to a non-Gazetted post, a copy of the order of appointment should be endorsed to the Administrative Department in the Secretariat quoting the reference under which a requistion was sent to the Rajasthan Public Service Commission. In the case of appointments to Gazetted posts, the endorsement to the Accountant General also should contain the reference number under which requisition was sent to the Raj. Pub. Service Commission and the Accountant General will be requested not to issue pay slip unless the reference is quoted.

(viii) A Monthly statement commencing with January, 1958 should be sent to the Appointment (D) Deparment, of all appointments made by various Appointing authorities, on a temporary basis under Regulations 7, to posts within the purview of the Rajasthan Public Service Commission. The Statement should be in the form attached to this order where no appointments have been made 'NIL' report should be sent.

2. The above instructions should be strictly followed in all cases of appointments by direct recruitment and also by transfer from another department, or promotions from within the department which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission. All appointing authorities should note that appointments by promotion within a service are outside the purview of the Rajasthan Public Service Commission only if service rule have been framed and such rules specifically exclude the promotion from the purview of the Commission. Service rules regarding methods of recruitment and Commission.

Service rules regarding methods of recruitment and promotion have been framed under Article 309 of the Constitution of India in respect of some services, but several more services and where such deptts. have yet to frame such rules and to get them finalised. In the Deptt. where such rules have not been framed the approval of the Public Service Commission is required in every case of promotion to posts which are within the purview of the Commission. Hence the above instructions should be observed with regards to such appointments by promotions also, except that, if it is intended to fill up a post by promotion only from within the department, the fact that request to Public Service Commission to assess the suitablity of the persons due to be promoted has been made should be mentioned in the endorsement required under items (vi) and (vii) above instead of quoting the requisition number and date.

Sd-K.N. Subramanian,
Chief Secretary to the Government.

Copy of Circular No. F. 11 (i) Apptts (D)/58 dated Jaipur, the 27th June, 1960 from the Chief Secretary to the Government of Rajasthan Appointments 'D' Department, Jaipur to the All Heads of the Department.

Sub: Appointments made on a temporary basis without the concurence of the Rajasthan Public Service Commission.

Ref; This Deptt. Circulars of even No. dated 15. 3. 58, 25. 6. 58 and 8. 2. 60.

Government are pleased to issue the following further instructions for observation regarding all appointments made on a temporary basis, without the concurrence of the Rajasthan Public Service Commission, to posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission.

(i) In para 1 (viii) of this Department circular of 15. 3. 58. a monthly statement of all appointments made by various appointing authorities on temporary basis to posts within the purview of the Rajasthan Public Service Commission is required to be sent in the prescribed form to this Department. In

future quarterly Statements in the form already prescribed for the quarters ending March, June, September and December should be sent to tho Appointments (D) Department in the First week of the month following the quarter for which the statement relate. The Heads of departments should instruct their subordinate appointing authorities to send such reports to them. A report snould them be sent to this Deptt. after reconsolidating the statements in respect of all appointments made by various appointing authorities under the controlling authority on a temporary basis under Regulation 7 to posts within the purview of the Rajasthan Public Service Commission. Where no appointments have been made a 'NIL' report should be sent. (To this extent instruction No II (viii) of this Deptt. order of even number dated 15. 3. 58. stands modified.)

(ii) It has been noticed that every clear instructions contained in the above circular have not produced the desired result in as much as Rajasthan Public Servic Commission, has brought to our notice certain gross irregularities committed by the appointing authorities. Cases have also been reported wherein posts have been created four short period of three to four months initially. The terms of such posts have been extended from time to time again for short period and appointments thereon were continued for such long period as two years, by granting extension and referring the case for the concurrence of tho Commission only after the appointees had completed one full year or even more. Government take a serious view of such irregularities. This Deptt. has been instructed to submit a periodical report to the Cabinet relating to officers/ Departments.

(a) Who resorted to temporary appointments without making reference to the Public Service Commission,

(b) Who made temporary appointments after making a reference to the Public Service Commission on the excuse of emergency even though circumstances were not such as to warrant such an action;

(c) Who made such temporary appointments without issuing summary short notice advertisement as required in the original circular of 15. 3. 58,

(d) Where posts were created for short periods of three or four months, the terms were then extended for short periods, and appointments continued thereon for long periods and;

(e) Who have referred cases for Rajasthan Public Service Commission's concurrence only after appointees have remained on an adhoc basis for long periods.

(iii) The normal punishment to be awarded to the defaulting officers may be ensure in the first instance ... withholding of grade increments, if a second to instance comes to the notice of the Government.

The Government are further pleased to authorise the Rajasthan Public Service Commission to ask the Accountant General Rajasthan, Jaipur to refuse to issue the pay slips in cases of such irregular appointments of Gazetted officers and the Treasury officers concerned in case of non-Gazetted employees.

The first return prescribed under para 1 (i) of this order may be sent in the first week of July, 1960 for the quarter ending Jnne, 1960.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १६ अप्रेल, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४५३	अंतिम से २	किया गया और	किया गया।
४४७६	२१	Post Graduate	Post Graduates
४४७७	अंतिम से ६	promotion. candidates	promotion, Candidates
४४६१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४४६२	५	से लन्बी	से लम्बी
४४६४	२२	के है	के हैं
४५००	२१	तृतिय	तृतीय
४५०४–७	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर
४५०७	४	जब कोई	अब कोई
४५१३	२३	व्यक्तियों की	व्यक्तियों को
४५१६	१३	चाहती है क्या ?	चाहती है ? क्या
४५२०	२४	इसलिये में	इसलिये मैं
४५२१	१७	बड़ी हैं	बड़ी है
४५२२	६	कॉलेज जी	कॉलेज की
४५३३	११	ी ओर	की ओर
४५३५	४	महिनों में	महीनों में
४५३६	अंतिम से ३	गे जिसने	ने जिसने
४५३६	शीर्ष	(श्री रामान्द	(श्री रामानन्द
,,	अंतिम	पर्सेंट	पर्सेन्ट
४५४०	३	फेमेलीज	फेमिलीज़
४५४१	१३	हैसिगत जो	हैसियत जो
४५४४	६–१०	इम्प्रमेंट	इम्प्रूवमेंट

१	२	३	४
४५४६	१३	पर आचारण	पर आचरण
,,	१५	एग्रीत्चर	एग्रीकल्चर
४५४८	अंतिम से ५	करानी	करनी
,,	,, ,, ४	चालू करे	चालू करें
४५५६	६	रिमार्कस	रिमार्क्स
४५६१	११	कसी को	किसी को
४५६२	१६	बिलकुल	बिल्कुल
४५६३	अंतिम	में झूठ	मैं झूठ
४५६४	८	जाय चाहे	जाय, चाहे
४५६८	७	कायदा या	कायदा है
४५६९	२	मंत्री, न	मंत्री न
४५७०	अंतिम से ७	कम है ?	कम हैं ?
४५७२	७	का	को
,,	८	ओर में	ओर से
४५७३	१९	नहों बन	नहीं बन
४५७४	३	ढ़िलाई	ढिलाई
४५७६	१७	नहों जाता	नहीं जाता
,,	अंतिम	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (आसीह)	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल)
४५८२	१०	एक्सपर्पो	एक्सपर्टों
,,	अंतिम से २	would rquest	would request
४५८३	शीर्ष	(श्री निरजननाथ	(श्री निरंजननाथ
४५८८	अंतिम से ८	Treasuary	Treasury
४५८९	९	मंत्री) : से :	मंत्री)
४५९०	१८	जो वाटेड	जो वोटेड
,,	२१	कहें तो।	कहें तो

१	२	३	४
४५६५	७	सुराणा : सभापति	सुराणा :
४६०२	२१	स्केअरसींटी	स्कोयर्सिटी
४६०४	१	(श्री माणिकचंद सुराणा)	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	१६	(लूणकरनसर)	(लूणकरणसर)
४६०६	शीर्ष	शीर्षक ६१	शीर्षक ७१
४६१६	अंतिम से ८	हमारी चा-	हमारा पंचा
४६२०	१२	नगरपालिकायें थीं में	नगरपालिकाओं में
४६२१	शीर्षक	संख्य ३५	संख्या ३५
४६३२	अंतिम से ६	है ? तो	हैं तो ,
४६३३	१२	मेरा ही दूसरा	दूसरे
४६३६	७	स्केलों के	स्कूलों के
४६४४	४–५	एसेन्सल सरविसेज	एसेन्शियल सर्विसेज
,,	१०	करते है	करते हैं
४६४५	शीर्षक	सख्या ३५	संख्या ३५
४६५०	३	रखती हें	रखती हैं
,,	अंतिम से ३	(तदन्तर	(तदनन्तर
४६५५	२२	Chittor, road	Chittor Road
४६६४	१	परिशिप्ट	परिशिष्ट
४६७१	७	Service rule	Service Rules
,,	८-६	Commission......and Commission	Commission
,,	६ वीं पंक्ति के नीचे	—	Service Rules regarding methods of recruitment and commission
,,	१२	and where such deptts	and Departments
,,	१६	suitablity	suitability
४६७२	२	to tho	to the

१	२	३	४
४६७२	५	snould them	should then
,,	१६	four short	for short
४६७३	२	instance... withholding	instance and with-holding
,,	३	second to instance	second instance